उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-11/2026/1033/तीस-4-2026-30-4099/10/2025
लखनऊ: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2026

अधिसूचना

सुरक्षित, कुशल, विश्वसनीय और पर्यावरण-अनुकूल अंतर्देशीय जल परिवहन तथा जल पर्यटन सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार आवश्यक विधि अधिनियमित करके तथा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जैसी संस्थाओं की स्थापना करके राज्य में एक संस्थागत ढांचा तैयार करने की दिशा में कार्य कर रही है।

यात्री एवं माल परिवहन हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से नौवहन और जल यातायात को सुगम बनाने तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, यांत्रिक और गैर-यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयानों को आच्छादित करने वाले विहित नियमों का होना आवश्यक है। इन नियमों में ऐसे जलयानों के डिज़ाइन एवं निर्माण, रजिस्ट्रीकरण, सर्वेक्षण, चालक दल, सुरक्षित नौवहन, संचार, संकेतन और अन्य सम्बन्धित पक्षों से जुड़े मामलों को संबोधित किया जाना अपेक्षित है।

चूंकि भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) तथा उसके अधीन बनाए गए केंद्रीय नियमों को अधिनियमित किया है।

इससे पूर्व, अंतर्देशीय जलयानों को अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के अधीन विनियमित किया जाता था, और तदनुसार राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2002 बनायी थी।

और चूंकि, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 तथा उसके अधीन बनाए गए केंद्रीय नियमों के आलोक में राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि विद्यमान वर्तमान उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2002 को नयी नियमावली से प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्तावित नियमावली, वर्तमान उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलयान नियमावली, 2002 को प्रतिस्थापित करके केन्द्रीय सरकार के अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 तथा अन्तर्देशीय जलयान नियम, 2022 के अनुसार बनायी गयी है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026

साधारण खंड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) की धारा 107 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल राज्य सरकार के वर्तमान उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2002 के स्थान पर जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन 2021) की अपेक्षानुसार, उससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों के सूचनार्थ और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि में एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्तावित नियमों के संबंध में आपत्ति या सुझाव यदि कोई हो, तो उसे विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन बापू भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ को संबोधित करते हुए लिखित रूप में अथवा ई-मेल आईडी- specialsecretarytransport@gmail.com पर भेजा जाना चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों या सुझाव, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर प्राप्त होगे, पर विचार किया जाएगा।

जो व्यक्ति लिखित में अपनी आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ के कार्यालय कक्ष संख्या-434 में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 09:30 बजे से अपरान्ह 06:00 बजे के मध्य सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकते हैं।

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026" कही जाएगी।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में इसके अंतिम प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से 90 दिनों के भीतर विद्यमान जलयानों को इस नियमावली में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार परिवर्तित करना होगा।

(4) इस नियमावली में कुल सोलह अध्याय हैं, जिनमें अध्याय-एक से अध्याय-चौदह यांत्रिक रूप से संचालित अन्तर्देशीय जलयानों के लिये उपबन्ध करता है तथा अध्याय पन्द्रह, अन्तर्देशीय गैर यांत्रिक जलयानों के लिये उपबन्ध करता है। अध्याय सोलह के नियम यांत्रिक एवं गैर यांत्रिक रूप से संचालित दोनो प्रकार के जलयानों पर लागू होंगे।

(5) इस नियमावली में किसी भी असंगति के मामले में, केन्द्रीय अधिनियम और उसके नियम अभिभावी होंगे।

http://shastranet.up.gov.in

अध्याय-एक

यांत्रिक रूप से संचालित अन्तर्देशीय जल यानों से सम्बन्धित उपबन्ध

2. परिभाषाएँ।

(1) इस नियमावली में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम" का तात्पर्य अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) से है;

(ख) "मूल्यांकनकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो वाणिज्यिक सेवा या यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयानों के नौवहन का अनुभव रखते हों, और जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 76(1) के अधीन अध्याय तेरह के प्रयोजनार्थ नियुक्त किया गया हो;

(ग) ''केन्द्रीय नियम" का तात्पर्य उन नियमों से है जिन्हें भारत सरकार ने अधिनियम (यथा संशोधित) के अधीन बनाया है;

(घ) ''केंद्रीय सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है;

(ड) "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" का तात्पर्य उन प्राधिकारियों से है जिन्हें राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 5(3) के अधीन नियुक्त किया है;

(च) "जिला मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, और इसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम, केंद्रीय नियमों तथा इस नियमावली के अधीन कर्तव्यों के पालन हेतु प्राधिकृत कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित है;

(छ) "परीक्षक या मुख्य परीक्षक" का तात्पर्य अधिनियम के अध्याय-छ: के अधीन प्रमाण-पत्र चाहने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं के परीक्षण हेतु अधिनियम की धारा 36(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों या व्यक्तियों से है;

(ज) "प्रपत्र" का तात्पर्य केंद्रीय नियमों तथा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्रों से है; तथा ''एस.आर. प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्रों से है;

(झ) "सकल टनभार (जी.टी.)" का तात्पर्य जलयान के टनभार मापन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1969 के अनुसार परिकलित सकल टन भार से है;

(ञ) "बंदरगाह या रजिस्ट्रीकरण के स्थान" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कार्यालयों या स्थानों से है, जहाँ अधिनियम के अध्याय पांच के अधीन यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है;

(ट) "मलबे का प्राप्तकर्ता" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 58(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अध्याय दस, केंद्रीय नियमों एवं इन नियमों (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारियों से है;

(ठ) "अंतर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रार" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, केंद्रीय नियमों एवं इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त अधिकारियों या व्यक्तियों से है;

(ड) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अंतर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार से है;

(ढ़) "राज्य प्राधिकरण" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से है, जिसे उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2023) (यथासंशोधित) के अधीन गठित किया गया है, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य प्राधिकरण अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत है;

(ण) "राज्य प्राधिकरण अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2023) (यथासंशोधित) से है;

(त) "राज्य प्राधिकरण निधि", का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 23(1) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से है;

(थ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(द) "सर्वेक्षक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अंतर्देशीय जलयानों के सर्वेक्षकों के रूप में अधिनियम, केंद्रीय नियमों एवं इन नियमों में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निष्पादन हेतु नियुक्त अधिकारियों या व्यक्तियों से है;

(ध) "जलयान निर्माता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या कंपनी से है जो मुख्य रूप से जलयानों, नौकाओं या अन्य तैरने वाले जलयानों का डिज़ाइन एवं निर्माण में अभिनियोजित हो, जिसमें डिजाइन निरीक्षक, निर्माण परीक्षण, निरीक्षण एवं स्वामियों को सुपुर्दगी सम्मिलित है;

(न) "जलयान मरम्मतकर्ता " का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या कंपनियों से है जो जलयानों एवं नौकाओं की मरम्मत एवं रखरखाव में विशेषज्ञ हैं, जिसमें पतवार संरचना, मशीनरी, विद्युत और इलेक्ट्रानिक प्रणालियों से सम्बन्धित क्षति की मरम्मत, नियमित रखरखाव, उन्नयन या रूपांतरण कार्य सम्मिलित हैं।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम या केंद्रीय नियमों में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या केन्द्रीय नियमों में उनके लिए समनुदेशित हों।

अध्याय-दो

अंतर्देशीय जल क्षेत्र को परिक्षेत्रों में घोषित करना

3. जल क्षेत्र का अवधारण- राज्य सरकार, अथवा राज्य प्राधिकरण तकनीकी विशेषज्ञ विभाग (यथा सिंचाई विभाग) या संबंधित तकनीकी संस्थानों से परामर्श के आधार पर इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए, पृथक आदेशों द्वारा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन किसी भी आंतरिक जल क्षेत्र को ''परिक्षेत्र''घोषित कर सकती है, जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिकतम 'सार्थक तरंग ऊँचाई' मानदंड के अनुसार होगा।

अध्याय-तीन

प्रशासनिक उपबन्ध

4. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति -अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन, समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अपने-अपने संभाग के नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी होंगे, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वे अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों, प्राधिकारों या कर्तव्यों का प्रयोग करेंगे।

5. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी जलयानों का रजिस्ट्रीकरण और सर्वेक्षण जलयान एवं नाविक पोर्टल के माध्यम से, अधिनियम की धारा 41 तथा अन्तर्देशीय जलयान (केंद्रीय डेटाबेस और संबद्ध विषय) नियम, 2024 (यथासंशोधित) के अनुसार किया जाए।

अध्याय-चार

अन्तर्देशीय जलयानों का सर्वेक्षण और प्रमाणन

6. यांत्रिक रुप से चालित अन्तर्देशीय जलयानों का वर्गीकरण- अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन यांत्रित रुप से चालित अन्तर्देशीय जलयानों का वर्गीकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये अन्तर्देशीय जलयान (डिजाइन व निर्माण) नियम 2024 (यथासंशोधित) के अनुरुप होगा।

7. यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयान का सर्वेक्षण और प्रमाणन- अधिनियम के अध्याय-4, तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये अन्तर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण एवं प्रमाणन) नियम-2022 (यथासंशोधित) तथा इन नियमों द्वारा शासित होगा।

परन्तु यह कि कोई भी यांत्रिक रुप से चालित अन्तर्देशीय जलयान जिसे सर्वेक्षण या अनुमोदन का अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र जारी होने तक, समय-समय पर नामनिर्दिष्ट प्राधिकरी द्वारा विहित शर्तों के अध्यधीन अस्थायी रुप से यात्रा पर जा सकता है या सेवा में उपयोग किया जा सकता है।

8. सर्वेक्षकों की नियुक्ति-

(क) अधिनियम की धारा 10(1) के अधीन भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की सरकारी संस्था राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान यांत्रिक रूप से चालित जलयानों के सर्वेक्षक के रूप में कार्य करेगी और अन्तर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण एवं प्रमाणन) नियम-2022 (यथासंशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। ऐसे सर्वेक्षक भारतीय न्याय संहिता के अधीन लोक सेवक समझे जायेगें। यह संस्था/सर्वेक्षक/मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी कार्य करेंगी। राज्य प्राधिकरण, अधिनियम की धारा-12(4) के अधीन अन्य संस्थाओं/सर्वेक्षकों को भी प्राधिकृत कर सकता है।

(ख) यांत्रिक रुप से चालित अन्तर्देशीय जलयानों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया, सर्वेक्षकों की योग्यता और रिर्पोट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी गयी अन्तर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम-2022 (यथासंशोधित) के अनुसार होगी।

(ग) उपर्युक्त 10 (क) के अनुसार नियुक्त सर्वेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि यांत्रिक रुप से चालित अन्तर्देशीय जलयान केन्द्रीय सरकार के नियमों और इन नियमों का अनुपालन करते हैं और नियम 3 के अधीन जलयान की श्रेणी और उपयुक्त परिचालन परिक्षेत्र का अवधारण करेगा।

(घ) अन्तर्देशीय जलयानों के सर्वेक्षण हेतु आवेदन पोर्टल (http://navic.iwai.gov.in) के माध्यम से आनलाइन किये जायेंगे।

(ड.) सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षक को संदेय शुल्क, इस नियमावली से संलग्न अनुसूची-1 में यथा विहित के अनुसार होगा।

9. सर्वेक्षण और प्रमाणन के लिए शुल्क

(क) यांत्रिक रूप से संचालित अन्तर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण और प्रमाणन के प्रयोजन के लिए इन नियमों में संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट शुल्क संदेय होगा।

(ख) यदि स्वामी, कप्तान या चालक दल के किसी सदस्य के दोष, कृत्य या चूक के कारण पुनः सर्वेक्षण अपरिहार्य हो जाता है, तो स्वामी अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(ग) यदि आवेदन निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाता है, प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए, पाँच प्रतिशत (5%) की दर से अतिरिक्त शुल्क संदेय होगा, जो विहित शुल्क के दोगुने की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा।

(घ) ऐसा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक या अन्य विहित माध्यमों से संदत्त किया जाएगा, और राज्य प्राधिकरण निधि में जमा किया जाएगा।

(ड.) अधिनियम या इस नियमावली के अधीन संदत्त कोई भी शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

10. अस्थायी सर्वेक्षण प्रमाणपत्र धारक जलयानों का अस्थायी संचालन- कोई भी यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयान, जिसे अधिनियम की धारा 13(1) के अधीन अस्थायी सर्वेक्षण प्रमाणपत्र या अनुमोदन जारी किया गया हो, वह सर्वेक्षण प्रमाणपत्र जारी होने तक, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और शर्तों के अनुसार, अस्थायी रूप से यात्रा या सेवा में उपयोग किया जा सकेगा।

11. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण-

(1) नोटिस जारी करने की प्रक्रियाः

(क) यदि राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, प्राधिकृत सर्वेक्षक या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को यह विश्वास हो कि अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी शर्त का स्वामी, संचालक या कप्तान द्वारा उल्लंघन किया गया है तो वह अधिनियम की धारा 15(2) या 15(3) के अधीन, सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र के निलंबन या रद्दकरण का नोटिस जारी करेगा।

सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण संबंधी ऐसा नोटिस राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पावती सहित, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में उल्लिखित पते पर स्वामी, संचालक, कप्तान या निर्माण यार्ड को भेजा जाएगा। नोटिस जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

(ख) नोटिस में निलंबन या रद्दकरण के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिसमें निरीक्षण या सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित किये गए उल्लंघन या कमियाँ सम्मिलित होंगी।

(ग) यदि अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो तो स्वामी, संचालक, कप्तान या निर्माण यार्ड, कारणों और सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में आवेदन कर सकता है।

(घ) यदि जारीकर्ता प्राधिकारी संतुष्ट है, तो वह अनुपालन अवधि को एक माह की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(2) **निलंबन की अवधिः** निलंबन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक त्रुटियाँ या दोष सुधार नहीं लिए जाते और शर्तों का पालन नहीं हो जाता, या निलंबन आदेश के दिनांक से अधिकतम छह माह की अवधि तक, जो भी पहले हो।

(3) **प्रमाणपत्र का रद्दकरण**

(क) यदि निलंबन छह माह या उससे अधिक की अवधि तक जारी रहता है, तो राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, प्राधिकृत सर्वेक्षण या पंजीकरण प्राधिकारी, प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है।

यदि प्रमाणपत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, तो मामले को मूल जारीकर्ता प्राधिकारी को निरस्त करने के लिए अग्रेषित किया जायेगा।

(4) **प्रमाणपत्र की समाप्ति, निलंबन या निरस्तीकरण का अभ्यर्पण:**

(क) स्वामी या मास्टर समाप्त, निलंबित या निरस्त प्रमाणपत्र अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार को सौंपेगा।

(ख) रजिस्ट्रार निरस्त करने का विवरण पंजीकरण अभिलेख (registry book) में दर्ज करेगा।

(ग) निलंबन या निरस्तीकरण के सम्बन्ध में निर्गमन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 15 तथा केंद्रीय नियमों एवं इन नियमों के समस्त प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

अध्याय पाँच
अन्तर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रीकरण

12. अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार के कार्य-

1. अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन परिशिष्ट-2 में उल्लिखित अपने-अपने जिलों के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे।
2. अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार द्वारा निम्नवत् कार्य संपादित किया जाता है, अर्थात्-
   - (क) बंदरगाह या के रजिस्ट्रीकरण स्थान के प्रमुख के रूप में कार्य;
   - (ख) यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयानों से संबंधित उपबन्धों के कार्यान्वयन हेतु नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा;
   - (ग) अधिनियम, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं के अधीन विनिर्दिष्ट सभी कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करना;
   - (घ) अधिकार क्षेत्र के भीतर चलने वाले सभी अन्तर्देशीय जलयानों द्वारा नियमों का अनुपालन;
   - (ड.) जल परिवहन के नियमन और नियंत्रण के लिए हितधारकों के साथ समन्वय करेगा;
   - (च) नदी क्रूज़ संचालन के लिए पर्यटक सर्किट मार्ग तैयार करने और विनियमित करने हेतु समन्वय करेगा;
   - (छ) जलयानों, बंदरगाहों, टर्मिनलों, नौवहन, अन्तर्देशीय जल परिवहन एवं पर्यटन गतिविधियों से सम्बन्धित सुरक्षा एवं पर्यावरणीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;
   - (ज) माल एवं यात्री टर्मिनलों तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं पर जनसामान्य हेतु आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्तता की जाँच करेगा;
   - (झ) अन्तर्देशीय जल परिवहन और अन्य परिवहन प्रणालियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेगा;
   - (ञ) अधिनियम और नियमों के अधीन अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा;
   - (ट) लागू डेटा संरक्षण कानूनों के अधीन जलयान अभिलेखों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा;

http://transportadesh.up.gov.in

(ठ) पंजीकरण प्रक्रियाओं और अन्तर्देशीय जलयान विनियामक आवश्यकताओं, संचालन से संबंधित हितधारकों को मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण प्रदान करेगा;

(ड) अन्तर्देशीय जलयानों से संबंधित अन्य विनिर्दिष्ट जिम्मेदारियाँ निभाएगा;

(ण) अधिनियम की धारा 41(1) के अधीन प्रमाणपत्रों के विवरण एवं आँकड़े दर्ज करने हेतु एक रजिस्टर रखेगा;

(त) राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य और दायित्वों का निर्वहन करेगा।

13. पंजीकरण पुस्तिका में रिपोर्टिंग का ब्यौरा :-

अधिनियम की धारा 21 (2) के अधीन रजिस्ट्रार, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक माह के अंत में, पंजीकरण पुस्तिका के विवरण या उसमें की गई प्रविष्टियों को अन्तर्देशीय जलमार्ग (पंजीयन एवं अन्य तकनीकी मामले) नियम, 2022 (यथासंशोधित) में निर्धारित प्रपत्र-10 पर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं राज्य प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजेगा।

14. पंजीकरण प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट विवरण- अधिनियम की धारा 24(2) के अधीन यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयानों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में अंतर्विष्ट विवरण अन्तर्देशीय जलयान (पंजीकरण एवं अन्य तकनीकी मामले) नियम-2022 (यथासंशोधित) के प्रारुप संख्या-17 के अनुरुप होगा।

15. अन्तर्देशीय जलयान पर आधिकारिक पंजीकरण संख्या का प्रदर्शनः

(1) अन्तर्देशीय प्रत्येक यांत्रिक रुप से चालित अन्तर्देशीय जलयान को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी किया जाएगा। पंजीकरण संख्या अक्षरांकीय होगी और इसमें 10 अक्षर होंगे। प्रथम दो अक्षर अंग्रेजी में एमपी (यांत्रिक रूप से चालित) के द्योतक होंगे, अगला दो अक्षर राज्य कोड यू.पी. का प्रतिनिधित्व करेंगे, अगला दो अंक जिला वाहन पंजीकरण कोड (उदाहरण के लिए लखनऊ के लिए 32, परिशिष्ट-3 के अनुसार) तथा अंतिम चार अंक 0001 से 9999 क्रमांक होगा। तदनुसार लखनऊ जिला के लिए प्रथम नामांकन संख्या MPUP320001 होगा। क्रमांक-0001 से 9999 समाप्त हो जाने के पश्चात जिला कोड के बाद A से Z तक (I और O को छोड़कर) के अक्षरों से प्रारम्भ होने वाली अक्षरांकीय श्रृंखला का उपयोग किया जायेगा। A से Z तक की श्रृंखला पूर्ण हो जाने के पश्चात् AA, AB, AC से ZZ (I और O को छोड़कर) तक की द्विअक्षरीय श्रृंखला का उपयोग किया जायेगा।

(2) अधिनियम की धारा 24(3) के अधीन प्रत्येक पंजीकृत जलयान पर उसका आधिकारिक पंजीकरण संख्या और नाम को जलयान के अग्रभाग, पश्चभाग और पतवार दोनों ओर या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों पर, स्पष्ट रूप से प्रदर्षित किया जाएगा ताकि वह दूर से भी स्पष्ट और पठनीय हो तथा किसी फिटिंग, या उपकरण अथवा संरचना द्वारा ढका न हो।

(3) **आकार एवं फॉन्ट**: आधिकारिक पंजीकरण संख्या का आकार पर्याप्त बड़ा और विपरीत रंग में होगा ताकि जलयान की पृष्ठभूमि पर स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। फॉन्ट अन्तर्देशीय जलयान (पंजीयन एवं अन्य तकनीकी मामले) नियम-2022 के अनुरूप होगा।

(4) **सामग्री एवं स्थायित्वः** पंजीकरण संख्या ऐसी टिकाऊ और मौसम-प्रतिरोधी सामग्री से अंकित की जायेगी जो मौसम के प्रभावों का सामना करने में सक्षम हो तथा लंबे समय तक स्पष्ट बनी रहे।

(5) **रखरखावः** जलयान के संचालक पंजीकरण चिन्हों के नियमित निरीक्षण और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा और ताकि उसकी दृश्यता और पठनीयता किसी भी समय बाधित, धुंधली या क्षतिग्रस्त न हो।

16. पंजीकरण प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति के लिए आवेदन-

यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र खो जाए, नष्ट हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो स्वामी अधिनियम की धारा 26(1) के अधीन निर्धारित शुल्क के साथ इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक माध्यम से एसआर प्रपत्र-। में पंजीकरण अधिकारी को आवेदन करेगा।

17. पंजीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तन या संशोधन की प्रक्रिया-

यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी या संचालक या मास्टर जलयान में किसी परिवर्तन या उपान्तरण की तिथि से 30 दिनों के भीतर अन्तर्देशीय जलयान (पंजीयन एवं अन्य तकनीकी मामले) नियम-2022 (यथासंशोधित) के अधीन विहित प्रारुप-15 में अधिनियम की धारा 28(1)(2) के अधीन आवश्यक दस्तावेजों और विहित शुल्क सहित आवेदन करेगा।

18. पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन एवं रद्दकरण- अधिनियम की धारा-31 एवं 32 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी यांत्रिक रुप से संचालित अन्तर्देशीय जलयानों के संबंध में कार्यवाही हेतु अधिकृत होगा। निरीक्षण ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा समान्य या विशेष आदेश के माध्यम से प्राधिकृत किया जायेगा।

19. पंजीकरण शुल्क -

(1) अधिनियम के अध्याय पांच धारा 24(1), 26(2), 28(2) तथा संबंधित केंद्रीय नियमों के अधीन किसी अन्तर्देशीय जलयान के पंजीकरण हेतु संदेय शुल्क संलग्न अनुसूची-2 के अनुसार संदेय होगी।

(2) अधिनियम, केन्द्रीय नियमों तथा इन नियमों के अधीन संदेय शुल्क एवं शास्ति का संदाय उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बैंक खाता में यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग अथवा अन्य ऑन लाइन माध्यमों से जमा किया जायेगा।

(3) अधिनियम या इन नियमों के अधीन संदाय किया गया कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(4) विलम्ब से किये गये आवेदन पर विहित शुल्क के अतिरिक्त तो प्रत्येक माह या उसके अंश के लिए पाँच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, परंतु विलंब शुल्क निर्धारित शुल्क की दो गुनी राशि से अधिक नहीं होगा।

(5) अनुसूची-1 में उल्लिखित शुल्क इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य विहित विधि से संदाय किया जाएगा और राज्य प्राधिकरण निधि में जमा किया जाएगा।

अध्याय-छः

चालक दल प्रबंधन, योग्यता, प्रशिक्षण, परीक्षा और प्रमाणीकरण

20. इस अध्याय के नियम केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये अन्तर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम-2022 (यथा संशोधित) में अन्तर्देशीय यांत्रिक रुप से चालित यानों के लिये विनिर्दिष्ट उपबन्धों केअनुसार होंगे।

21. राज्य प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना या विशेष आदेश के माध्यम से अधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण अधिनियम की धारा 37 और धारा 38 के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

22. प्रमाणपत्र धारक का अभिलेख और केंद्रीय अभिलेखः

(1) अधिनियम के अध्याय-6 के अधीन जारी, स्वीकृत, रद्द या निलंबित किए गए प्रमाणपत्रों या अन्य किसी भी प्रकार के निष्पादन से संबंधित विवरण और आंकड़े राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और यथा विहित रीति से, जो राज्य सरकार की स्वीकृति के अध्यधीन होंगें, रजिस्टरों में रखरखाव किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर जारी, अनुमोदित, रद्द या निलंबित किए गए प्रमाणपत्रों के विवरण और आंकड़े तथा संबंधित प्राधिकरण द्वारा की गई अन्य टिप्पणियों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करेगी और उसे अद्यतन करेगी।

अध्याय-सात

विशेष श्रेणी के जलयान

23. अधिनियम के अध्याय- सात के अधीन विशेष श्रेणी के जलयानों के संबंध में उपबंधों को राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य प्राधिकरण के माध्यम से अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम-2021 (यथासंशोधित) के अधीन निर्गत करते हुये लागू किया जायेगा।

अध्याय - आठ

अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयानों द्वारा प्रदूषण की रोकथाम

{अधिनियम की धारा 54(3)(5)(6)}

24. प्रदूषण सर्वेक्षक एवं निरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति-अधिनियम की धारा 53(2), 55(1) एवं 56(1) के प्रयोजन हेतु इस नियम की धारा-10 के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक ही प्रदूषण सर्वेक्षक के रूप में भी कार्य करेगा। इस प्रयोजन के लिए पृथक फीस अनुसूची-1 के अनुरूप संदेय होगी।

25. अपशिष्ट निस्तारण सुविधा शुल्क- तेल, तैलीय मिश्रण, सीवेज, कचरा, हानिकारक रसायन या अन्य दुर्गंधयुक्त पदार्थों को निस्तारित/उतारने हेतु अपशिष्ट निस्तारण सुविधाएँ प्रदान करने वाला यात्री या माल टर्मिनल का स्वामी या संचालक राज्य सरकार/राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, विहीत दरों पर शुल्क प्राप्त करेगा।

26. अपशिष्ट निस्तारण सुविधाएँ और प्रदूषण का नियंत्रणः

(1) यात्री या स्थोरा टर्मिनल का स्वामी या संचालक या मास्टर, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को, राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और विहित रीति से, जो राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगी, अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण, लिखित आदेश द्वारा, यात्री या स्थोरा टर्मिनल के स्वामी या परिचालक से विनिर्दिष्ट प्रारूप में अनुपूरक अनुपालन रिपोर्ट की मांग कर सकता है, जिसे यात्री या स्थोरा टर्मिनल के स्वामी या परिचालक द्वारा विहित अवधि में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

27. **बंदरगाह अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं पर प्रदूषकों के निस्तारण की विधिः**

(1) कोई भी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान का स्वामी या संचालक या मास्टर निम्नलिखित रीति के अनुसार बंदरगाह अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं पर प्रदूषकों का निस्तारण करेगा-

(क) **नामनिर्दिष्ट अपशिष्ट निस्तारण सुविधाएँ-** अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान केवल राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बंदरगाह अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं पर ही प्रदूषकों का निस्तारण करेगा।

(ख) **पृथक्करण और भंडारणः** अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को अलग-अलग करेगा और उन्हें निर्धारित ऑन-बोर्ड टैंकों या कंटेनरों में संग्रहीत करेगा।

(ग) **कचरा पात्रों का उपयोगः** प्रदूषकों को बंदरगाह प्रदूषक निस्तारण सुविधा द्वारा प्रदत्त कचरा पात्रों में इस रीति से निस्तारित किया जाएगा कि फैलाव या रिसाव न हो।

(घ) **सुविधा संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालनः** जलयान बंदरगाह प्रदूषक निस्तारण सुविधा द्वारा विहित समस्त विशिष्ट प्रक्रियाओं या आवश्यकताओं जिनमें समय, स्थान या मात्रा संबंधी सीमाएँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, का पालन करेगा।

(ड.) **निस्तारण की विधिः** राज्य प्राधिकरण अन्तर्देशीय जलयान (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषकों के निपटान की प्रक्रिया विहित कर सकता है। अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयानों द्वारा प्रदूषकों की प्रकृति और मात्रा के संबंध में रिपोर्ट या दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

(2) राज्य प्राधिकरण, लिखित आदेश के माध्यम से, यात्री या स्थोरा टर्मिनल के स्वामी या संचालक के लिए प्रदूषकों के निस्तारण की अन्य उपयुक्त विधियाँ भी विहित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

अध्याय - नौ
मलबे और बचाव कार्य

28. अधिनियम की धारा 58(1) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर मलबे के प्राप्तकर्ता होंगे।

अध्याय - दस
दायित्व एवं दायित्व की सीमाएँ

29. इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी-

यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार को अधिनियम के अध्याय ग्यारह धारा-63 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयानों को किसी दावे या अपराध के संबंध में निरूद्ध करने का अधिकार रखेगा।

30. **यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयान को निरूद्ध और अवमुक्त करने की प्रक्रिया -**

(1) यदि उपरोक्त धारा 29 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह मानने का कारण हो कि कोई अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान अधिनियम के अध्याय ग्यारह के उपबंधों के उल्लंघन में उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसे जलयान को निरूद्ध कर सकता है। अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के स्वामी या संचालक या मास्टर प्रभारी व्यक्ति या चालक दल के सदस्य को निरूद्ध करने का आदेश जारी करेगा, जिसमें निरूद्ध करने के कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे, तथा वह जलयान की अस्थायी अभिरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाएगा या व्यवस्था करेगा।

(2) जहाँ किसी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान को निरूद्ध किया गया है, वहाँ स्वामी या संचालक या प्रभारी मास्टर या चालक दल का सदस्य, राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक या अन्य प्रारूप में, आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित प्राधिकारी के समक्ष जलयान की निर्मुक्त के लिए आवेदन कर सकता है। संबंधित प्राधिकारी, दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात, उपयुक्त शर्तों के अध्यधीन एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट जुर्माना अथवा शास्ति का सदाय किए जाने पर, आदेश द्वारा अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान को निर्मुक्त कर सकता है।

31. **शुल्क और प्रभार:**

(1) निरूद्ध किये गए या जब्त किए गए अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान की सुरक्षित अभिरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए लगाए जाने वाले प्रभार, शास्ति एवं अन्य देय इन नियमों के अधीन संलग्न अनुसूची-1 के अनुरूप संदेय होगा।

(2) उक्त प्रभार, शास्ति एवं अन्य देय राज्य प्राधिकरण के बैंक खाते में यू0पी0आई0, क्यू0आर0कोड0, नेट बैंकिंग अथवा अन्य ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जाएगा।

अध्याय - ग्यारह

अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयानों के दुर्घटना, आकस्मिक क्षति या विनाशग्रस्त होने की जाँच

32. इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी - अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयानों के रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो, अधिनियम के अध्याय-तेरह एवं उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन हेतु नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा।

33. **सूचना का प्रारूप और रीति -**

(1) किसी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान का स्वामी या संचालक या मास्टर को जब भी अन्तर्देशीय जलक्षेत्रों में किसी अंतर्देशीय जलयान के ध्वंस, परित्याग, क्षति, हताहत, दुर्घटना, विस्फोट या हानि का सामना करे, तो वह एस.आर.प्रपत्र-2 में निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को तथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना देगा।

(2) सूचना विनिर्दिष्ट पोर्टल, या ई-मेल, अन्य कोई इलेक्ट्रानिक माध्यम भौतिक माध्यम, या दोनों माध्यम से, जैसा कि राज्य प्राधिकरण अवधारित करे, प्रस्तुत करेगा।

34. अन्तर्देशीय जलक्षेत्रों में दुर्घटनाओं की जाँच के लिए जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ एवं प्रक्रिया-

(1) राज्य सरकार के निदेश पर, जिला मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता में घटित घटनाओं की जांच प्रारंभ कर सकता है और अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा गठित जांच समिति को, अध्याय तेरह के अधीन जांच के प्रयोजनों से साक्षियों को बुलाने, साक्ष्यों का परीक्षण करने तथा संबंधित दस्तावेजों की प्रस्तुति कराने का अधिकार होगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट या जांच समिति, जलयान स्वामियों, संचालकों, चालक दल के सदस्यों एवं संबंधित प्राधिकारियों सहित समस्त सम्बंधित पक्षों को जांच की सूचना देते हुए नोटिस जारी करेगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट या जांच समिति सुनवाई करेगी, साक्षियों का परीक्षण करेगी और समुद्री घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्र करेगी।

(5) जांच की कार्यवाही निष्पक्ष और बिना भेदभाव के की जाएगी।

(6) जिला मजिस्ट्रेट या जांच समिति, कार्यवाही के समस्त अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी, जिसमें अभिलेख, प्रदर्ष और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज सम्मिलित होंगे।

(7) जांच पूर्ण होने पर, जिला मजिस्ट्रेट या जांच समिति दुर्घटना के सम्बन्ध में अपने निष्कर्षों, परिणामों एवं अनुशंसाओं सहित प्रतिवेदन तैयार करेगी।

(8) यदि जांच उक्त समिति द्वारा की गई हो, तो जिला मजिस्ट्रेट समिति को प्रतिवेदन की समीक्षा करने या अनुपूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

(9) जांच का प्रतिवेदन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति संबंधित जिला के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को भेजी जाएगी।

35. कर-निर्धारकों के लिए अर्हता, मानदंड, पारिश्रमिक, शुल्क या प्रभार -

कर-निर्धारक भारत सरकार के अधिनियम के अध्याय-13 के धारा-76 के उत्तरादायित्व का निर्वहन करेगा। इन नियमों के नियम-10 (क) के अधीन सर्वेक्षण हेतु नामनिर्दिष्ट संस्था/सर्वेक्षक द्वारा कर निर्धारकों के दायित्वों का भी निर्वहन किया जायेगा। कर निर्धारकों के लिये प्रतिफल पारिश्रमिक, शुल्क या प्रभार इन नियमों से संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार होगा।

अध्याय- बारह
नौचालन सेवा, जलयान निरोधन और विकास निधि

36. नौचालन सेवा की आवश्यकताः

राज्य सरकार की अधिकारिता के भीतर स्थित विनिर्दिष्ट अंतर्देशीय जलमार्गों के संपूर्ण अथवा आंशिक भाग अथवा ऐसे मार्ग जिनके संबंध में अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निदेश नहीं किया गया है, उनके लिए नौचालन सेवा की आवश्यकताएँ राज्य प्राधिकरण द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

37. इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारीः

अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयानों के रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन किसी यांत्रिक रूप से चालित जलयान को निरोधित करने का अधिकार रखेगें।

38. निरोधन तथा निर्मुक्ति की प्रक्रियाः

(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यदि यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान अधिनियम की धारा 85(1) का उल्लंघन करते हुए प्रयुक्त किया गया है या किया जा रहा है, तो वह अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के स्वामी, संचालक या प्रभारी व्यक्ति को निरूद्ध करने का आदेश जारी कर सकता है। आदेश में निरूद्ध करने के कारणों को विनिर्दिष्ट करेगा और इस प्रयोजन के लिए वह जलयान की अस्थायी अभिरक्षा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कोई भी उपाय कर सकता है या करवाने को बाध्य कर सकता है।

(2) जब किसी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान को निरूद्ध किया गया हो, तो उसका स्वामी, संचालक या प्रभारी व्यक्ति राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक या अन्य प्रारूप में, आवश्यक दस्तावेजों सहित, संबंधित प्राधिकारी के समक्ष निर्मुक्ति हेतु आवेदन कर सकता है। रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह उपयुक्त समझे तथा उस पर लगाए गए अर्थदंड या दंड के भुगतान की शर्त पर, जैसा कि इस नियम के अनुसूची-1 में उल्लिखित है, आदेश द्वारा अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान को निर्मुक्त कर सकता है।

39. शुल्क एवं प्रभारः

(1) निरूद्ध या जब्त अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान की सुरक्षित अभिरक्षा एवं अनुरक्षण हेतु शुल्क एवं प्रभार, इन नियमों के अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट दरों पर संदेय होगा।

(2) ऐसा शुल्क एवं प्रभार इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी माध्यम से राज्य प्राधिकरण के बैंक खाते में यू0पी0आई0, क्यू0आर0कोड0, नेट बैंकिंग व अन्य ऑनलाईन माध्यमों से जमा किए जाएँगे।

40. राज्य विकास निधिः अधिनियम की धारा 86 के अधीन विकास निधि का गठन किया जाएगा।

(1) विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा,

(क) आपातकालीन तैयारियों की पूर्ति हेतु;

(ख) तेल, मिश्रणों, अपवर्ज्य पदार्थों, रसायनों, अस्वास्थयकर या अन्य हानिकारक पदार्थों के रिसाव से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु, जिससे अंतर्देशीय जल की सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके;

(ग) उन व्यक्तियों या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की आंशिक अथवा पूर्ण वित्तीय सहायता करने हेतु जो अंतर्देशीय जल पर आधारित व्यापार अथवा जीविकोपार्जन में संलग्न हैं;

(घ) अज्ञात अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के मलबे या अवरोधों को हटाने हेतु जो नौवहन को प्रभावित या बाधित करते हैं; तथा

(ड.) अंतर्देशीय जल नौवहन के विकास कार्यों को सुरक्षा और परिवहन की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करने हेतु।

(2) निम्नलिखित स्रोतों से सहायता लेकर विकास कोष की स्थापना के लिए प्रयास किये जायेंगे।

(क) राज्य सरकार;

(ख) हितधारकों;

(ग) अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के मलबे या स्थोरा अथवा उसके अवशेष की बिक्री से व्यय की कटौती के पश्चात प्राप्त राशि,

(घ) न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किसी संपत्ति, अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान अथवा माल के बिक्रय से प्राप्त आय में से न्यायालय अथवा प्रशासनिक तंत्र के व्ययों का समायोजन करने के पश्चात् अधिशेष निधि।

(ड.) अन्तर्देशीय यांत्रिक रुप से चालित जलयान/स्थोरा वाहन से शुल्क, शास्ति आदि से प्राप्त धनराशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा ऐसी धनराशि जैसा कि उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय, राज्य प्राधिकरण के खाते में जमा की जायेगी।

(3) **राज्य विकास निधि के प्रचालन हेतु समिति का गठन**- अधिनियम की धारा-86 के अधीन गठित होने वाली विकास निधि का प्रचालन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा, जो निम्नवत् होगी-

क्रमांक	पदनाम	प्रास्थिति
1	**2**	**3**
1	अध्यक्ष,उ0प्र0 अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन, उ0प्र0	सदस्य
3	परिवहन आयुक्त, उ0प्र0	सदस्य
4	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	सदस्य
5	प्रमुख सचिव वित, उ0प्र0 द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेष सचिव	सदस्य
6	प्रमुख सचिव पर्यटन, उ0प्र0 द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेष सचिव पर्यटन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव सिंचाई, उ0प्र0 द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेष सचिव	सदस्य
8	अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0	सदस्य सचिव
9	अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	सदस्य
10.	सचिव राजस्व/राहत आयुक्त, राजस्व विभाग	विशेष आमंत्रित सदस्य

समिति के कृत्य- समिति अधिनियम की धारा-86 के अधीन गठित विकास निधि में प्राप्त धनराशि के लेखाओं का अनुरक्षण करेगी उसका उचित उपयोग सुनिश्चित करेगी मण्डल तथा जिला स्तर पर गठित जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा

http://shadi.deeh.up.gov.in

एवं सलाहकार समितियों की आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय स्तर पर वित्तीय आर्थिक सहायता प्रदान करेगी एवं व्यय अभिलेखों का अनुरक्षण तथा लेखा परीक्षा करेगी।

अध्याय - तेरह
अपराध एवं शास्तियां

41. रसीद प्रपत्रों, लेखा-अनुरक्षण, फीस की दरें एवं अंतराल, अतिरिक्त प्रभार और शास्तियों से सम्बन्धित प्रक्रिया-

अधिनियम के अधीन दरों और अंतराल सहित संदेय फीस और अतिरिक्त फीस और किसी शास्ति के विरूद्ध अन्य प्रभार या भुगतान, और ऐसी राशि की प्राप्ति, संकलन, लेखांकन एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रक्रियाएँ, रसीदों के प्रारूप, लेखा अनुरक्षण तथा अन्य आवश्यक मामले, अधिनियम की धारा 89 के अधीन, राज्य सरकार की स्वीकृति के अध्यधीन, राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जब तक परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट न हो।

42. विचारण का स्थानः

राज्य सरकार, अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विचारण हेतु स्थानों को अधिसूचित करेगी।

अध्याय - चौदह
आपातकालीन तैयारी, अपील सलाहकार समिति और रजिस्ट्रीकरण/सर्वेक्षण हेतु एवं पंजीकरण एवं सर्वेक्षण का पत्तन अथवा कार्यालय

43. आपातकालीन तैयारीः

राज्य प्राधिकरण समय-समय पर ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनसे नौवहन सुरक्षा, मानव जीवन की सुरक्षा या अंतर्देशीय जल के संरक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली किसी आपात स्थिति या संकट की स्थिति को न्यूनतम किया जा सके या उसका सामना किया जा सके।

44. अपील-

(1) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (यथासंशोधित) की धारा 105 के अनुपालनार्थ राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव अपील प्राधिकारी होंगे।

(2) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उचित आदेश पारित करेगा, जो अंतिम होगा।

45. रजिस्ट्रीकरण और सर्वेक्षण हेतु पत्तन अथवा कार्यालयः संचालित अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण और सर्वेक्षण के प्रयोजन से, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित सभी पत्तनों या रजिस्ट्रीकरण एवं सर्वेक्षण कार्यालयों की प्रशासनिक अधिकारिता, इस नियमावली के परिशिष्ट-1 के अनुसार होगी।

अध्याय- पंद्रह
गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयानों से सम्बन्धित उपबन्ध

46. परिभाषाएं- जब तक कि इस नियमावली के इस अध्याय के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) **"अपील प्राधिकारी"** का तात्पर्य संबंधित संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) से है जिसके द्वारा नामांकन प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी के किसी विनिश्चय/आदेश के विरूद्ध की गयी अपील का निस्तारण किया जायेगा।

(2) **''नौका घाट/नौका टर्मिनल''** का तात्पर्य लकड़ी, ईंट, पत्थर, लोहा, कंक्रीट, उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई)/फाइबर ग्लास-प्रबलित प्लास्टिक (एफआरपी) फ्लोटर्स आदि से बने एक चबूतरे/डेक से है, जिसका उपयोग जल निकायों में प्रवेश करने के लिए और चालक दल और यात्रियों के चढ़ने/उतरने के साथ-साथ माल, पशुओं और मवेशियों, वस्तुओं और सामग्रियों आदि को लादने और उतारने करने के लिए उपयोग किया जाता है।

(3) **"सक्षम प्राधिकारी"** का तात्पर्य संबंधित जिला के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) से है जिसके द्वारा नामांकन प्राधिकारी के किसी विनिश्चय/आदेश के विरूद्ध की गयी शिकायत का निस्तारण किया जायेगा।

http://transport.uttarpradesh.up.gov.in

(4) **''वाणिज्यिक संचालन"** का तात्पर्य किराया, फीस अथवा लाभ के लिए गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान के संचालन से है।

(5) **''स्थोरा जलयान''** का तात्पर्य गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान से है, जो सामान्यतः पशुओं सहित सभी प्रकार की चल या व्यक्तिगत संपत्ति का परिवहन करता है।

(6) **''विभाग''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के परिवहन विभाग से है, या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी ऐसे विभाग से है, जो नौकाओं और इन नौकाओं पर कार्यरत कार्मिकों के नामांकन/निरीक्षण और रजिस्ट्रीकरण जारी करने/निलंबित करने/रद्द करने के लिए प्राधिकृत है;

(7) **"नामांकन"** का तात्पर्य गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान का सक्षम प्राधिकारी के अभिलेखों में रजिस्ट्रीकरण से है।

(8) **''गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान निरीक्षक''** का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन नौका निरीक्षण हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी विभाग/प्राधिकरण/संस्था द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है।

(9) **''गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान''** का तात्पर्य ऐसे जलयान से है जो इंजन, मोटर अथवा यांत्रिक शक्ति से संचालित नहीं किया जा सकता है परन्तु मानव बल, पतवार, डंडा, पाल अथवा अन्य प्राकृतिक साधनों से संचालित किया जाता है।

(10) **''गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान स्वामी''** का तात्पर्य उस व्यक्ति/संस्था से है जिसके नाम पर गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान रजिस्ट्रीकृत है।

(11) **''गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान संचालक''** का तात्पर्य उस व्यक्ति जो गैर-यांत्रिक नोदित अन्तर्देशीय जलयान का संचालन करता हो।

(12) **"यात्री जलयान"** का तात्पर्य ऐसे गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान से है जो व्यक्तियों के परिवहन हेतु उपयोग किया जाता हो।

(13) **''निर्बन्धित क्षेत्र''** का तात्पर्य ऐसे जलक्षेत्रों से है जहाँ राज्य सरकार द्वारा गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान का संचालन प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(14) **''परंपरागत गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान नौचालक''** का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो परंपरागत रूप से गैर-यांत्रिक नोदित अन्तर्देशीय जलयान का संचालन करता है लेकिन जिसके पास औपचारिक अर्हता या प्रशिक्षण नहीं हो सकती है।

(15) **''नामांकन प्राधिकारी''** का तात्पर्य परिवहन विभाग में जिला मुख्यालय पर तैनात मोटरयान निरीक्षक तथा तहसील स्तर पर तैनात सहायक मोटर यान निरीक्षक से है, जो अपनी-अपनी अधिकारिता के लिए नामांकन प्राधिकारी होंगे और अधिनियम की धारा-91(1) के अधीन गैर-यांत्रिक संचालित जलयानों के डेटाबेस को संकलित और अनुरक्षित करेंगें।

(16) **''उद्धारण''** का तात्पर्य किसी दुर्घटना या अन्य नदी दुर्घटना के बाद नौका और उसके कार्गो को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। उद्धारण में नौका को अनुकर्षण करना, उठाना या उसकी मरम्मत करना सम्मिलित हो सकता है।

(17) **''क्रीड़ा जलयान''** का तात्पर्य गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय क्रीड़ा जलयान से है, जिनका उपयोग क्रीड़ा, व्यक्तिगत उपयोग या किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाता है।

(18) **''राज्य प्राधिकरण''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से है। परन्तु यह कि इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होंगे जो केन्द्रीय नियमों या अधिनियम में क्रमशः समानुदेशित हैं।

47. प्रशासन और क्रियान्वयन - अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम-2021 की धारा-91(1) के अधीन परिवहन विभाग गैर यांत्रिक नोदित अन्तर्देशीय जलयान के संचालन, प्रशासन एवं विनियमन हेतु प्राधिकृत होगा। इसके अधीन जिला स्तर पर

http://uptransport.up.gov.in

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगें, जिसका कर्तव्य निम्नवत् होगाः-

(1) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम-2021 (यथासंशोधित) के अध्याय-17 के अधीन नामांकन प्राधिकारी के माध्यम से गैर यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान का नामांकन सुनिश्चित करना।

(2) नामांकन प्राधिकारी के माध्यम से नामांकित गैर यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान के संबंध में डाटा संग्रहीत करना तथा भारत सरकार के सुसंगत पोर्टल एवं उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को रिपोर्ट करना।

(3) नामांकन प्राधिकारी के माध्यम से समय-समय पर जलयान की फिटनेस/सुरक्षित संचालन की जाँच करना।

(4) जिला स्तरीय जल परिवहन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव के रूप में दायित्वों का निर्वहन करना।

(5) नामांकित गैर यांत्रिक रूप से संचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामियों, संचालकों या सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन देना और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।

(6) ऐसे अन्य कर्तव्य निष्पादित करना जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

48. गैर यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान की श्रेणियाँ

इस नियमावली के प्रयोजनार्थ गैर यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयानों का वर्गीकरण निम्नवत् होगा-

क्रम संख्या	**वर्गीकरण का आधार**	**श्रेणी क**	**श्रेणी ख**	**श्रेणी ग**
1	2	3	4	5
1	यात्रियों के वहन की क्षमता	10 से अधिक यात्री	5 से अधिक किंतु 10 से कम यात्री	5 या कम यात्री
2	माल वहन की क्षमता	5 टन से अधिक	3 टन से अधिक किन्तु 5 टन से कम	3 या कम

49. गैर यांत्रिक संचालित जलयानों के निर्माण और सुरक्षा हेतु बुनियादी न्यूनतम मानक- गैर यांत्रिक संचालित जलयानों के निर्माण और सुरक्षा हेतु बुनियादी न्यूनतम मानक ऐसे होंगे जैसा कि इस नियमावली में विनिर्दिष्ट किया जाय अथवा उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश् अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (यथासंशोधित) की धारा-94 के अधीन गजट अधिसूचना के माध्यम से विहित किया जाय।

50. नामांकन और रजिस्ट्रीकरण-

(1) जिला स्तर पर मोटरयान निरीक्षक तथा तहसील स्तर पर सहायक मोटरयान निरीक्षक नामांकन प्राधिकारी के रूप में दायित्वों का निर्वहन करेंगें। जब तक तहसील स्तर पर सहायक मोटरयान निरीक्षकों की तैनाती नहीं हो जाती है, जिला स्तर पर तैनात मोटरयान निरीक्षक द्वारा अपने जिला के समस्त तहसीलों के नामांकन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जिन जनपदों में एक से अधिक मोटरयान निरीक्षक तैनात होंगे वहाँ परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश किसी एक मोटरयान निरीक्षक को नामांकन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा। किसी जिले में जहां मोटरयान निरीक्षक तैनात न हो, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश किसी अन्य जिला अथवा मुख्यालय पर तैनात मोटरयान निरीक्षक को ऐसे जिला हेतु नामांकन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा।

(2) राज्य के भीतर संचालित प्रत्येक गैर यांत्रिक संचालित जलयान का नामांकन अनिवार्य होगा।

(3) गैर यांत्रिक संचालित जलयान के नामांकन हेतु आवेदन विहित प्रपत्र एसआर एनएम-1 पर विहित फीस के साथ किया जाएगा।

(4) गैर-यांत्रिक नोदित अंतर्देशीय जलयान के नामांकन हेतु निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे-

(क) जलयान के स्वामी का पहचान प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड या उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विहित कोई अन्य दस्तावेज)

(ख) वर्तमान पते/वर्तमान निवास का प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड या उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विहित कोई अन्य दस्तावेज)

(ग) आवेदक का पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ।

(घ) गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान का विवरण एवं फोटो।

(ड.) क्षमता का विवरण।

(च) गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामित्व का प्रमाणपत्र (नये जलयान की दशा में जलयान निर्माता का प्रमाणपत्र/घोषणापत्र, किसी अन्य व्यक्ति/संस्था से क्रय की स्थिति में क्रय प्रमाणपत्र, पुराने जलयान की दशा में स्वामित्व का घोषणापत्र)

51. नामांकन प्राधिकारी द्वारा जलयान का नामांकन-

(क) नामांकन प्राधिकारी, गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान के नामांकन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की संवीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो गैर-यांत्रिक नोदित अन्तर्देशीय जलयान का निरीक्षण करेगा एवं प्रपत्र एसआर एनएम-2 पर नामांकन प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ख) गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान को एक अद्वितीय नामांकन संख्या जारी किया जाएगा। नामांकन संख्या बारह अक्षरों/अंकों में होगी जिसमें प्रथम दो अक्षर अंग्रेजी में एनएम (गैर यांत्रिक) होंगे अगले दो अक्षर राज्य कोड यूपी होंगें, परिशिष्ट एनएम-1 के अनुसार अगले दो अंक संबंधित जिला यान रजिस्ट्रीकरण कोड (लखनऊ के लिए 32) होंगे, परिशिष्ट एनएम-2 के अनुसार अगले दो अक्षर तहसील कोड (जैसे तहसील सदर हेतु एसआर, मोहनलालगंज हेतु एमजी, बख्शी का तालाब का हेतु बीटी) होंगे तथा अंतिम चार अंक 0001 से 9999 तक क्रमांक होगा। इस प्रकार लखनऊ जिला के लिए प्रथम नामांकन संख्या एनएमयूपी32एसआर0001 होगी। क्रमांक -0001 से 9999 समाप्त हो जाने के उपरांत जिला के रजिस्ट्रीकरण कोड के पश्चात वर्ण ए, बी, सी से जेड तक जोड़े जायेंगे। ए से जेड (आई और ओ अपवर्जित कर) तक पूर्व होने के पश्चात दोहरे वर्ण जैसे एए, एबी, एसी से जेडजेड प्रयोग किया जायेगा।

(ग) गैर-यांत्रिक नोदित अन्तर्देशीय जलयान के लिए जारी की गई संख्या को स्पष्ट अक्षरों एवं अंको में यथाविहित मानक के अनुसार स्टील/एल्युमिनियम प्लेट पर इस प्रकार प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा जिससे वह दूर से सुस्पष्ट दर्शनीय एवं पठनीय हो।

(घ) नामांकन हेतु प्रस्तुत गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान राज्य सरकार अथवा उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित मानदंडों एवं सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान के नामांकन का विवरण विहित प्रपत्र-एसआर 9 में अनुरक्षित करेगा।

(च) गैर यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयानों का संचालन ऐसे जलक्षेत्रों में नहीं किया जाएगा, जहाँ राज्य सरकार अथवा उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जलयानों का संचालन प्रतिषिद्ध किया गया हो।

52. द्विप्रतिक नामांकन प्रमाणपत्र जारी करना- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नामांकन प्रमाणपत्र खो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने की स्थिति में गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान स्वामी विहित प्रपत्र एसआर एनएम-3 में अनुसूची-1 के अधीन विहित फीस जमा करने के साथ आवेदन करेगा और फटी/विकृत प्रमाण-पत्र प्रति अथवा खो जाने की स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति जमा करेगा। ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नामांकन प्राधिकारी सत्यापन के पश्चात द्विप्रतिक नामांकन प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसे अभिलेख/डेटाबेस में अभिलिखित करेगा।

53. नामांकन प्रमाणपत्र युक्त जलयान का अंतरण- यदि नामांकन प्रमाण-पत्र वाले गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी जलयान को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करता है तो स्वामी विहित प्रपत्र एसआर एनएम-4 में अनुसूची-1 के अधीन विहित फीस तथा विक्रय विलेख प्रपत्र एसआर एनएम-5 के साथ नामांकन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा। क्रेता एवं विक्रेता दोनों का पासपोर्ट साइज फोटो एवं निवास/पहचान का प्रमाण भी संलग्न किया जायेगा। ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी सत्यापन के पश्चात नामांकन प्रमाणपत्र में अंतरण का पृष्ठांकन करेगा और अभिलेख/डेटाबेस में दर्ज करेगा।

54. नामांकन प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - यदि किसी नामांकन प्रमाण पत्र वाले गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी घोषित करता है कि जलयान अब उपयुक्त नहीं है, सञ्चालन बंद कर दिया गया है/स्क्रैप कर दिया

गया है, तो स्वामी विहित प्रपत्र एसआर एनएम-6 में स्वप्रमाणित घोषणा प्रपत्र एसआर एनएम-7 सहित नामांकन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा। स्क्रैप प्रमाणपत्र की प्रति भी संलग्न की जाएगी। ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नामांकन प्राधिकारी सत्यापन के पश्चात नामांकन प्रमाणपत्र निरस्त करेगा और उसे अभिलेख/डेटाबेस में दर्ज करेगा।

55.घाट प्रबंधन-

(1) नामनिर्दिष्ट घाटों से संचालन- संबंधित स्थानीय निकाय/जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति, विकास प्राधिकरण के माध्यम से घाटों के प्रबंधन हेतु पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। घाटों का पट्टा, प्रबंधन, अनुरक्षण एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी स्थानीय निकाय/ जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति तथा विकास प्राधिकरण का होगा। घाटों को संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा पट्टे पर दिये जाने की स्थिति में घाटों के प्रबंधन, अनुरक्षण एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व पट्टाधारक का होगा। गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान स्वामी/संचालक संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट घाटों से ही केवल संचालन करेंगें। जिन जलक्षेत्रों में घाट उपलब्ध अथवा नामनिर्दिष्ट नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला जल परिवहन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति पट्टा/ठेका की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। जहाँ जिलास्तरीय जलयान कल्याण निधि में धनराशि उपलब्ध है, वहां ऐसे घाटों का प्ररबंधन उक्त निधि के माध्यम से किया जा सकेगा।

(**2) घाट संचालक/पट्टाधारक का उत्तरदायित्व घाट संचालक/पट्टाधारक सुनिश्चित करेगा कि**-

(क) घाट सुरक्षित हो।

(ख) घाट साफ-सुथरा हो।

(ग) चढने-उतरने हेतु उचित व्यवस्था हो।

(घ) रात्रि में स्थायी विद्युत प्रकाश व्यवस्था हो।

(ड.) भीड़ नियंत्रण व्यवस्था उपलब्ध हो।

(च) प्लेटफार्मों और घाटों पर अनिवार्य सुरक्षा नियमों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने वाले हिंदी और अंग्रेजी में स्थायी साइनबोर्ड संस्थापित हो।

(छ) प्रत्येक घाट पर बचाव रस्सी, लाइफ बॉय, गोताखोर एवं प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो।

(3) यात्रियों हेतु अनुदेश-

(क) लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा।

(ख) गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान में खड़े होकर यात्रा करना प्रतिषिद्ध होगा।

(ग) नशे की हालत में यात्रा करना प्रतिषिद्ध होगा।

(घ) ज्वलनशील अथवा परिसंकटमय सामग्री ले जाना प्रतिषिद्ध होगा।

56. गैर यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामियों/संचालकों का उत्तरदायित्व-

(1) संक्षिप्त यात्री सुरक्षा जानकारी-

(क) प्रत्येक यात्रा से पहले, गैर-यांत्रिक संचालित अन्तर्देशीय जलयान संचालकों को स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिंदी में भी सुरक्षा जानकारी देनी होगी।

(ख) इस ब्रीफिंग में प्रमुख सुरक्षा प्रक्रियाओं, सुरक्षा उपस्करों के उपयोग और स्थान, विशेष रूप से लाइफ जैकेट, यात्री क्षमता, गति सीमा, नौचालन नियम, धूम्रपान प्रतिषेध और आपात स्थिति में कार्यवाही सम्मिलित होगी।

(2) लाइफ जैकेट प्रवर्तन-

(क) सवार सभी व्यक्ति विहित सुरक्षा मानकों के अनुरूप लाइफ जैकेट पहनेगें ।

(ख) आपात स्थितियों में लाइफ जैकेट उचित आकार की होगी और सुरक्षित रूप से बांधी जाएगी।

(ग) बच्चे अपनी उम्र और वजन के अनुसार डिज़ाइन की गई लाइफ जैकेट का उपयोग करेंगें।

(घ) बैठने की क्षमता के अनुसार, मजबूत रस्सी के साथ लाइफ बॉय उपलब्ध रखा जाएगा।

(3) संचालन निर्बंधनों का अनुपालन-

(क) अनुभवी व्यक्ति ही जलयान संचालन करेगा।

(ख) नाबालिग व्यक्तियों द्वारा संचालन प्रतिषिद्ध होगा।

(ग) रात्रि मे संचालन केवल पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होने पर ही अनुमन्य होगा।

(घ) कोई संचालक अल्कोहल या मादक द्रव्यों के प्रभाव में संचालन नहीं करेगा।

(ड.) प्रतिकूल मौसम जैसे-तेज हवाएं, आंधी-तूफान, भारी बारिश और कम दृश्यता के दौरान संचालन प्रतिषिद्ध रहेगा। संचालन केवल सुरक्षित संचालन अवधि के दौरान ही किया जाए।

(च) निर्बन्धित जलक्षेत्रों में संचालन प्रतिषिद्ध होगा।

(छ) गैर-यांत्रिक चालित अन्तर्देशीय जलयान संचालक जलयान को टक्कर से बचाने के लिए अन्य जल उपयोगकर्ताओं से सुरक्षित दूरी बनाएगा।

(4) सुरक्षा उपस्कर प्रत्येक गैर-यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान में निम्न सुरक्षा सामाग्री अनिवार्य होगी-

(क) यात्री क्षमता से 10 प्रतिशत अधिक जीवन रक्षक जैकेट

(ख) न्यूनतम 10 मीटर रस्सी

(ग) प्राथमिक उपचार पेटी

(घ) बैटरी से संचालित प्रकाश व्यवस्था

(ड.) सीटी

(5) अधिकतम भार एवं यात्री सीमा-

(क) जलयान स्वामी/संचालन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक यात्रियों या भार का वहन नहीं करेगा।

(ख) अधिकतम भार/यात्री क्षमता जलयान पर अंकित की जायेगी।

(6) संञ्चालन तत्परता- संचालक यह सुनिश्चित करने के लिए दैनिक निरीक्षण करेंगे कि जलयान संचालन के लिए पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है, उसमें कोई छिद्र या रिसाव नहीं है और विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री मजबूत है, और टूटी क्षतिग्रस्त या सड़ी हुई नहीं है।

57. आपातकालीन प्रतिक्रिया जलयान-

(क) पर्यटन क्रियाकलापों, मत्स्ययन, यात्रियों एवं स्थूरा के परिवहन क्रियाकलापों से संबंधित प्रत्येक स्थान पर समुचित रूप से सुसज्जित आपातकालीन प्रतिक्रिया नौकाएं त्वरित ख़ोज एवं बचाव हेतु तत्पर उपलब्ध रहेंगी।

(ख) आपातकालीन प्रतिक्रिया जलयानों और संचालित जलयानों का अनुपात 1:10 होगा।

(ग) ऐसे स्थानों पर जहाँ 10 से कम संचालित जलयान कार्यरत है, कम से कम एक गैर-यांत्रिक चालित अंतर्देशीय जलयान को आपातकालीन प्रतिक्रिया जलयान के रूप में नामनिर्दिष्ट और सुसज्जित किया जाएगा।

(घ) जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति आपातकालीन प्रतिक्रिया जलयान संचालकों की बचाव कौशल दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करेगी।

(ङ) सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया जलयानों की उपयुक्तता और संचालन क्षमता का वार्षिक निरीक्षण किया जाएगा ताकि उनकी संचालन तत्परता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

58. गैर-यांत्रिक चालित अन्तर्देशीय जलयान संचालन हेतु अग्नि सुरक्षा और चालक दल प्रशिक्षण- नौका विहार उपस्कर की प्रकृति और प्रकार के आधार पर, आग लगने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए।

(क) जलयान में किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन नहीं किया जाना चाहिए और किसी प्रकार की अग्नि स्त्रोत स्टोव आदि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) आपातकालीन योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए और नियमित रूप से अभ्यास की जानी चाहिए;

(ग) बाल्टी या अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए।

(घ) किसी भी दहनशील वस्तु को सुरक्षित रूप से जल में फेंका जायेगा।

59. गैर-यांत्रिक नोदित अन्तर्देशीय जलयान का बीमा- राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण यथा अपेक्षित भविष्य में गैर-यांत्रिक नोदित अन्तर्देशीय जलयानों, उनके कार्मिकों एवं यात्रियों के लिए बीमा के संबंध में पृथक अनुदेश जारी किये जा सकेंगें।

60. पर्यावरण संरक्षण-

http://inlandwaterways.up.gov.in

(1) गैर-यांत्रिक नोदित अन्तर्देशीय जलयान के संचालक जलयान पर उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्ट को एकत्र करके तट पर निर्दिष्ट स्थानों पर उसका निपटान करेगा।

(2) सभी अपशिष्ट जल को एकत्र किया जाएगा, सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाएगा और उत्तरदायित्व से निपटाया जाएगा।

(3) पॉलीथीन थैलों के स्थान पर कागज या कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(4) पुनर्चक्रण योग्य कचरे को गैर-पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट से पृथक करने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) स्थानीय पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने के लिए जैव अवकर्षणीय अपशिष्ट का उचित ढंग से निपटान करने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे।

(6) प्रत्येक यात्री को दिखाई देने वाले क्षेत्रों में 'कूड़ा न फैलाएं' के चिन्हयुक्त बोर्ड लगाए जाएंगें।

61. दुर्घटना और जांच-

(1) दुर्घटना के सम्बन्ध में सूचना-किसी भी गैर-यांत्रिक नोदित अन्तर्देशीय जलयान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर जलयान का स्वामी/संचालक द्वारा निकटतम पुलिस थाना एवं नामांकन प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(2) दुर्घटना की जांच-गम्भीर दुर्घटना के मामले में अध्याय-16 के अधीन गठित जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति द्वारा दुर्घटना की जांच 07 दिनों के अंदर संचालित की जायेगी।

62. अपराध और शास्तियां- निम्नलिखित अतिक्रमणों के लिए अनुसूची-03 में उल्लिखित शास्तियां गैर-यांत्रिक नोदित अन्तर्देशीय जलयानों के स्वामियों पर अधिरोपित की जायेगी-

(1) बिना नामांकन जलयान का संचालन।

(2) क्षमता से अधिक यात्रियों/स्थोरा ले जाना।

(3) सुरक्षा उपस्करों की अनुपस्थिति।

(4) मत्तता के अधीन संचालन।

(5) प्रतिषेध मौसम/क्षेत्रीय परिस्थितियों के दौरान संचालन।

63. नामांकन का निलम्बन- गम्भीर उपेक्षा की दशा में 07 दिवस की सूचना जारी करने और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात गैर-यांत्रिक नोदित अन्तर्देशीय जलयान के संचालन के लिए नामांकन या अनुमति निलंबित की जा सकती है। निलंबन की अवधि 03 माह से अधिक नहीं होगी।

64. अपील- नामांकन प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी स्वामी ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर विहित प्रपत्र एसआर-एनएम-8 पर अनुसूची-1 में विहित अपील फीस के साथ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त होने से 15 कार्यदिवसों के भीतर अपील का निस्तारण करेगा।

65. गैर यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयानों का रजिस्टर और डेटाबेस का अनुरक्षण:- नामांकन प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर नदियों/नहरों/झीलों/जलाशयों या अन्य किसी जल निकाय में संचालित सभी गैर यांत्रिक चालित अंतर्देशीय जलयानों का डेटाबेस भारत सरकार के पोर्टल या राज्य सरकार के पोर्टल/रजिस्टर पर अनुरक्षित करेगा और उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को मासिक सूचना प्रदान करेगा, जो राज्य के भीतर संचालित ऐसे सभी जलयानों के डेटाबेस को संरक्षित करेगा। ऐसा डेटाबेस निरीक्षण अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जब भी अपेक्षित हो उच्च प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। उच्च अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कराया जा सकेगा। नामांकन का रजिस्टर प्रपत्र एसआर-एनएम-9 में अनुरक्षित किया जाएगा।

66. गैर यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयान के सुरक्षित संचालन और अनुरक्षण के लिए सलाहकार समिति का गठन- इस नियमावली के अध्याय- 16 के अधीन गठित समिति, गैर यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयानों से संबंधित सुरक्षित संचालन और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का कार्य संपादित किया जायेगा।

67. कल्याण निधि का गठन- प्रत्येक जिला में गैर यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयानों के लिए एक'जिला कल्याण निधि होगा। तद्नुसार प्रत्येक जिले में राष्ट्रीयकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जिला मजिस्ट्रेट या सहायक संभागीय

परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के नाम से पृथक बैंक खाता खोला जा सकता है। यह कल्याण निधि में विभागीय बजट, स्थानीय निकायों की निधियों, कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.), सार्वजनिक अंशदानों और अन्य स्रोतों से धन प्राप्त कर सकेगी। इसके अतिरिक्त, इस नियमावली के अध्याय-12 के अधीन गठित 'विकास निधि' का उपयोग भी कल्याण निधि के लिए किया जायेगा, कल्याण निधि का प्रबन्धन 'जिला जल परिवहन प्रबन्धन, सुरक्षा सलाहकार समिति' द्वारा किया जायेगा; जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और सम्बन्धित जिला का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) इसके सदस्य सचिव होंगे। इस कल्याण निधि की बैठक प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

68. विविध -

(1) शुल्क/शास्तियां: इस विनियमावली के विभिन्न नियमों के अधीन विहित शुल्क/शास्तियां अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित दरों के अनुसार संदेय होगी।

(2) अधिनियम, केन्द्रीय नियमावली और इस नियमावली के अधीन संदेय शुल्क और शास्तियों का संदाय उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बैंक खाता में यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग एवं अन्य आन लाइन माध्यमों से किया जायेगा।

अध्याय- सोलह
विविध

69. इस नियमावली में भविष्य में कोई भी संशोधन या उपांतरण राज्य सरकार के अनुमोदन से उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

70. **जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति का गठन-** अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 99(1) के अधीन यांत्रिक एवं गैर यांत्रिक रूप से संचालित अन्तर्देशीय जलयान के सुरक्षित संचालन और अन्य विनियमन संबंधित विषयों पर विचार के लिए प्रत्येक जिला में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला परिवहन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति और प्रत्येक मण्डल में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय जल परिवहन प्रबंधन सुरक्षा एवं सलाहकार समिति गठित की जायेगी, जो निम्नवत् होगी-

(1) जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति-

क्र0सं0	अधिकारी का पदनाम	स्थिति
1	2	3
1	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2	पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4	नगरपालिका आयुक्त	सदस्य
5	अपर जिला मजिस्ट्रेट, जो जिला आपदा प्रबंधन समिति का कार्य देख रहे हों	सदस्य
6	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
7	अधिशाशी अभियंता, सिंचाई विभाग	सदस्य
8	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन)	सदस्य सचिव
9	जिला पर्यटन अधिकारी	सदस्य
10	जिला अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
11	अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी विभाग/विशेषज्ञ/एसोसिएशन के प्रतिनिधि (एक से अधिक भी हो सकते हैं)	नामनिर्दिष्ट सदस्य

http://shudhjalmarg.up.gov.in

(क) **जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नवत् होगा-**

(एक) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 99 के अधीन विहित दायित्वों का निर्वहन करना।

(दो) आपातकालीन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के निदेशानुसार या स्वयं की पहल पर परिस्थिति को आपातकाल के रूप में घोषित कर सकेगें और उपधारा-7 के अधीन विहित उपाय और ऐसे अन्य व्यावहारिक उपायों को जो ऐसी आपातकालीन स्थिति को न्यूनतम करने या उससे निपटने के लिए सर्वोत्तम संभव निर्णय के अनुसार आवश्यक हो, अपनायेगी।

(तीन) विशेष परिस्थितियों में नौसेना, तटरक्षक बल, किसी अन्य आपातकालीन बल या किसी अन्तर्देशीय जलयान से ऐसी सहायता प्राप्त कर सकती है जैसा आवश्यक हो।

(चार) आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावित व्यक्तियों या जलयानों को सभी आवश्यक और अनिवार्य बुनियादी सुविधायें प्रदान करना।

(पांच) अन्तर्देशीय जलयान के सुरक्षित संचालन को बढ़ावा देना,

(छह) अन्तर्देशीय जलयानों के सुरक्षित संचालन का अनुश्रवण करना तथा इन जलयानों से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकना।

(सात) जिला/शहर के भीतर पर्यटन क्रियाकलापों, मछली पकड़ने, यात्रियों एवं स्थूरा के परिवहन को विनियमित करने वाले स्थापित नियमावली को लागू करना।

(आठ) सुरक्षित नौवहन के लिए आवश्यक सुधारों के संबंध में स्वामियों, संचालक और सेवा उपयोगकर्ता को शिक्षित करने हेतु जागरूकता पैदा करना और ज्ञान प्रसार सत्र आयोजित करना।

(नौ) हताहतों, दुर्घटनाओं या ऐसी आपात स्थितियों के दौरान सहायता या राहत प्रदान करना।

(दस) दैनिक आधार पर जल परिवहन प्रबंधन का दायित्व निर्वहन।

(ग्यारह) गैर यांत्रिक रूप से चालित जलयानों हेतु गठित जिला कल्याण निधि का प्रबन्धन एवं संचालन एवं उसके माध्यम से व्यय/विभिन्न कार्यो का कराया जाना एवं उनका अनुश्रवण करना।

(बारह) ऐसे अन्य कार्यों को करना जिन्हें समिति समुचित समझे।

(तेरह) इस नियमावली में इंगित अन्य उद्देश्यों के लिए।

(ख) बैठकें और गणपूर्ति-

(एक) जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी।

(दो) जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

(तीन) अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव सहित न्यूनतम 05 सदस्यों का बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है।

(ग) रिपोर्टिंग.-

(एक) जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति सभी निरीक्षण गतिविधियों, एकत्रित डेटा, की गई प्रवर्तन कार्रवाईयां और पर्यटन क्रियाकलापों, मछली पकड़ने, यात्रियों एवं स्थूरा के परिवहन संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित रिपोर्ट की गई घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए एक सुरक्षित डेटाबेस बनाएगा।

(दो) जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति निरीक्षण निष्कर्षों, रुझानों और सिफारिशों का सारांश प्रस्तुत करते हुए प्रत्येक बैठक की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को प्रेषित करेगा और समीक्षा निष्कर्षों के आधार पर जल परिवहन सुरक्षा योजना, विनियमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार की सिफारिश करेगा।

(तीन) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण को घटनाओं, परिणामों और उपधारा-3 के अधीन अपनाये गये उपायों का विवरण और आपातकाल से निपटने के लिए ऐसे उपायों की प्रभावशीलता की रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

(घ) भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

http://sirsaiup.gov.in

(एक) जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति द्वारा निरीक्षण और पाक्षिक पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा ताकि इस नियमावली के कार्यान्वयन को सत्यापित किया जा सके।

(दो) समिति द्वारा आवश्यकतानुसार नाव घाटों पर कैमरे लगाए जाएंगे ताकि यह निगरानी की जा सके कि यात्री जीवन जैकेट पहनते हैं और बैठने की सीमा का पालन करते हैं, विशेष रूप से त्योहारों और छुट्टियों के दौरान।

(तीन) समिति द्वारा प्रति माह आकस्मिक निरीक्षण कराना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई हैं। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जीवन सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के साथ आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास कराएगी और इन गतिविधियों का मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करेगी।

(चार) निरीक्षण और पाक्षिक पर्यवेक्षण के लिए नामार्दिष्ट अधिकारी जलयान स्वामियों/संचालकों के अधिकारों का सम्मान करते हुए और उचित सावधानी बरतते हुए निरीक्षण करेगा। निरीक्षण से पहले ऐसा अधिकारी अपनी पहचान बताएगा और आवश्यकतानुसार पहचान पत्र प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण के दौरान साक्ष्य के रूप में तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकेगा।

(पांच) नौका संचालन के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(छः) विभिन्न विशेष अवसरों पर समिति अंतर विभागीय निकायों जैसे पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग, तटरक्षक बल, चिकित्सा सेवा विभाग और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ अंतर्देशीय जलक्षेत्रों में सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु बैठकों का आयोजन करेगी।

(सात) संबंधित हितधारकों के सहयोग से समिति पर्यटन क्रियाकलापों/यात्रियों के परिवहन के लिए सुरक्षा नियमों, आपातकालीन प्रक्रियाओं और प्राथमिक उपचार के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करेगी।

(आठ) जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जब भी आवश्यक हों, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार करेगी।

(2) मण्डलीय जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति-

क्र0सं	अधिकारी का पदनाम	स्थिति
1	2	3
1	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2	यथा-अपेक्षित जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य
3	पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक	सदस्य
4	अपर निदेशक, स्वास्थय	सदस्य
5	मण्डलीय मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग	सदस्य
6	संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	सदस्य सचिव
7	मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	सदस्य
9	अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी विभाग/विशेषज्ञ/एसोसिएशन के प्रतिनिधि (एक से अधिक भी हो सकते हैं)	नामार्दिष्ट सदस्य

(क) मण्डलीय जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नवत् होगा-

(एक) जिला जल परिवहन प्रबन्धन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति के कार्यों की समीक्षा।

(दो) जिला जल परिवहन प्रबन्धन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति को समय-समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना।

(तीन) आपातकालीन परिस्थितियों का आंकलन करना एवं जिला जल परिवहन प्रबन्धन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति को जहां तक संभव हो सके सहायता प्रदान करना।

(ख) बैठकें और गणपूर्ति-

(एक) मण्डलीय जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार होगी।

(दो) मण्डलीय जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एव सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता मण्डलायुक्त द्वारा की जाएगी।

(तीन) अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव सहित न्यूनतम 04 सदस्यों का बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगी।

71. व्यावृत्ति/ संरक्षा खण्ड

(क) इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किसी अधिनियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश अथवा निदेश के उपबंध अभिभावी रहेंगे तथा असंगति की स्थिति में ऐसे अधिनियम, नियम अथवा आदेश के उपबंध अभिभावी होंगे।

(ख) इस नियमावली के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही, प्रदान की गई अनुज्ञा, नामांकन, निरीक्षण, जारी आदेश अथवा निदेश, यदि नामांकन/सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाही सद्भावपूर्वक किया गया हो, तो केवल तकनीकी त्रुटि अथवा प्रक्रियात्मक कमी के आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

(ग) इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी अन्य प्रचलित विधि, पर्यावरणीय उपबंध, लोक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पुलिस प्रशासन अथवा राजस्व विधियों के प्रवर्तन को सीमित अथवा निष्प्रभावी करता है।

(घ) राज्य सरकार अथवा प्राधिकृत अधिकारी को लोकहित, यात्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जलमार्ग सुरक्षा अथवा आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त निदेश, निर्बंधन अथवा सुरक्षा उपाय अधिरोपित करने का प्राधिकार होगा।

(ड़) इस नियमावली के अधीन जारी किसी अनुज्ञा अथवा रजिस्ट्रीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति जलमार्ग, घाट, तट अथवा सार्वजनिक संपत्ति पर स्वामित्व अथवा स्थायी अधिकार अर्जित नहीं कर लेगा।

(च) यदि इस नियमावली का कोई उपबंध किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अविधिमान्य अथवा अप्रभावी घोषित किया जाता है, तो शेष उपबंध प्रभावी बने रहेंगे।

(छ) राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकता, तकनीकी प्रगति, सुरक्षा मानकों अथवा लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए इस नियमावली में संशोधन, शिथिलीकरण अथवा स्पष्टीकरण जारी करने का प्राधिकार प्रतिधारण करेगी।

72. विवाद निवारण खण्ड

(क) इस नियमावली के अधीन नामांकन, संचालन परमिट, फीस, निरीक्षण, शास्ति, निलंबन, रद्दकरण अथवा किसी प्रशासनिक आदेश से उत्पन्न किसी विवाद अथवा शिकायत का विनिश्चय सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिला के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा किया जाएगा। कोई भी प्रभावित व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस के भीतर नामार्दिष्ट अपील प्राधिकारी अर्थात संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(ख) अपील प्राधिकारी, अभिलेखों का परीक्षण करने तथा संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत यथोचित आदेश पारित करेगा, और ऐसा आदेश संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(ग) यदि विवाद तकनीकी, संचालनगत अथवा सुरक्षा मानकों से संबंधित हो, तो राज्य सरकार आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ समिति अथवा जिला जल परिवहन प्रबंधन, सुरक्षा एवं सलाहकार समिति की संस्तुतियों के आधार पर विनिश्चय करेगी।

(घ) विवाद निवारण की प्रक्रिया के दौरान, लोक सुरक्षा, यात्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण अथवा जलमार्ग प्रबन्धन अनुरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी अंतरिम आदेश अथवा निर्बधनात्मक निदेश जारी कर सकेगा।

(ड़) इस नियमावली के अधीन सभी विवादों एवं विधिक कार्यवाहियों की अधिकारिता संबंधित जिला अथवा राज्य के सक्षम न्यायालयों को होगी।

(च) इस नियमावली के अधीन विवाद निवारण हेतु कार्यवाहियां भारतीय विधिशास्त्र, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा प्रचलित विधिक उपबंधों के अनुरूप होगी।

73. कठिनाईयां दूर करने संबंधी खण्ड

(क) यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार अथवा उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर अथवा आदेश जारी कर, ऐसी कठिनाई को दूर करने हेतु यथाआवश्यक ऐसे उपबंध, निदेश अथवा स्पष्टीकरण जारी कर सकेगी, परन्तु यह कि ऐसा आदेश इस नियमावली अथवा प्रचलित अधिनियम के मूल उद्देश्यों से असंगत न हो।

(ख) राज्य सरकार अथवा उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रत्येक आदेश, स्पष्टीकरण अथवा निदेश इस नियमावली का अभिन्न अंग समझा जाएगा और संबंधित प्राधिकारी एवं हितधारकों पर बाध्यकारी होगा।

(ग) इस खण्ड के अधीन प्रदत्त शक्तियां केवल उन विषयों तक सीमित रहेंगी, जिनके संबंध में इस नियमावली में स्पष्ट उपबंध उपलब्ध न हों अथवा जिनके क्रियान्वयन में व्यावहारिक अथवा प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न हो रही हो।

(घ) राज्य सरकार अथवा उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आवश्यकतानुसार, तकनीकी विशेषज्ञों, जिला प्रशासन, अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकारियों अथवा अन्य संबंधित विभागों से परामर्श प्राप्त कर सकती है।

अमृत अभिजात
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

परिशिष्ट-1
नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का कार्यालय

क्र0सं0	नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	स्थान	जिला (अधिकारिता का क्षेत्र)
1.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा	आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा
2.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ़	अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज
3.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, अयोध्या	अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, अमेठी
4.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ, बलिया
5.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, बाँदा	बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा
6.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, बरेली	बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूँ
7.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर
8.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद	गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़
9.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, देवीपाटन-गोण्डा	गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती
10.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर	गोरखपुर, महराजगंज, कुषीनगर, देवरिया
11.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी	झाँसी, ललितपुर, उरई
12.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर	कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज
13.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ	लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुरखीरी
14.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, मिर्जापुर	मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर(भदोही)
15.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद	मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, संभल
16.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ	मेरठ, बागपत
17.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रयागराज	प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौषांबी
18.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली

http://bhasan.gov.in

19.	अन्तर्देशीय जलयान का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी	वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली

http://shasanadesh.up.gov.in

परिशिष्ट-2
पत्तन या रजिस्ट्रीकरण और सर्वेक्षण के कार्यालय

क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
01	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला सहारनपुर	21	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला सीतापुर
02	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला मुजफ्फरनगर	22	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला उन्नाव
03	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला बुलंदशहर	23	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला अमेठी
04	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला गाजियाबाद	24	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला हापुड़
05	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला मेरठ	25	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला संभल
06	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला गौतमबुद्धनगर	26	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला बहराइच
07	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला बागपत	27	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला बाराबंकी
08	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला शामली	28	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला अयोध्या
09	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला बिजनौर	29	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला गोंडा
10	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला मुरादाबाद	30	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला सुल्तानपुर
11	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला रामपुर	31	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला अम्बेडकरनगर
12	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला अमरोहा	32	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला श्रावस्ती
13	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला बदायूँ	33	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला बलरामपुर
14	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला बरेली	34	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला आजमगढ
15	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला पीलीभीत	35	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला बस्ती
16	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला शाहजहाँपुर	36	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला देवरिया
17	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला हरदोई	37	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला गोरखपुर
18	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला लखीमपुर खीरी	38	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला मऊ

http://shasanadesh.up.gov.in

19	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला लखनऊ	39	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला सिद्वार्थनगर
20	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला रायबरेली	40	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला महाराजगंज
41	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला कुषीनगर	61	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला आगरा
42	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला संतकबीरनगर	62	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला अलीगढ़
43	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला बलिया	63	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला एटा
44	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला गाजीपुर	64	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला फिरोजाबाद
45	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला जौनपुर	65	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला मैनपुरी
46	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला मिर्जापुर	66	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला मथुरा
47	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला सोनभद्र	67	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला हाथरस
48	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला वाराणसी	68	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला कासगंज
49	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला भदोही	69	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला बाँदा
50	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला चंदौली	70	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला हमीरपुर
51	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला प्रयागराज	70	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला हमीरपुर
52	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला फतेहपुर	71	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला जालौन
53	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला प्रतापगढ़	72	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला झाँसी
54	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला कौषांबी	73	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला ललितपुर
55	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला कन्नौज	74	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला महोबा
56	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला इटावा	75	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला चित्रकूट
57	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला फर्रूखाबाद		
58	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला कानपुर देहात		

http://shasanadesh.up.gov.in

59	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला कानपुर नगर		
60	अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जिला औरैया		

http://shasanadesh.up.gov.in

परिशिष्ट-3

क्रमांक	जिला का नाम	कोड	क्रमांक	जिला का नाम	कोड
01	सहारनपुर	U P-11	21	सीतापुर	U P-34
02	मुजफ्फरनगर	U P-12	22	उन्नाव	U P-35
03	बुलंदशहर	U P-13	23	अमेठी	U P-36
04	गाजियाबाद	U P-14	24	हापुड़	U P-37
05	मेरठ	U P-15	25	संभल	U P-38
06	गौतमबुद्धनगर	U P-16	26	बहराइच	U P-40
07	बागपत	U P-17	27	बाराबंकी	U P-41
08	शामली	U P-19	28	अयोध्या	U P-42
09	बिजनौर	U P-20	29	गोंडा	U P-43
10	मुरादाबाद	U P-21	30	सुल्तानपुर	U P-44
11	रामपुर	U P-22	31	अम्बेडकरनगर	U P-45
12	अमरोहा	U P-23	32	श्रावस्ती	U P-46
13	बदायूँ	U P-24	33	बलरामपुर	U P-47
14	बरेली	U P-25	34	आजमगढ	U P-50
15	पीलीभीत	U P-26	35	बस्ती	U P-51
16	शाहजहाँपुर	U P-27	36	देवरिया	U P-52
17	हरदोई	U P-30	37	गोरखपुर	U P-53
18	लखीमपुर खीरी	U P-31	38	मऊ	U P-54
19	लखनऊ	U P-32	39	सिद्वार्थनगर	U P-55
20	रायबरेली	U P-33	40	महाराजगंज	U P-56
41	कुशीनगर	U P-57	61	आगरा	U P-80
42	संतकबीरनगर	U P-58	62	अलीगढ़	U P-81
43	बलिया	U P-60	63	एटा	U P-82
44	गाजीपुर	U P-61	64	फिरोजाबाद	U P-83
45	जौनपुर	U P-62	65	मैनपुरी	U P-84
46	मिर्जापुर	U P-63	66	मथुरा	U P-85
47	सोनभद्र	U P-64	67	हाथरस	U P-86
48	वाराणसी	U P-65	68	कासगंज	U P-87
49	भदोही	U P-66	69	बाँदा	U P-90
50	चंदौली	U P-67	70	हमीरपुर	U P-91
51	प्रयागराज	U P-70	70	हमीरपुर	U P-91
52	फतेहपुर	U P-71	71	जालौन	U P-92
53	प्रतापगढ़	U P-72	72	झाँसी	U P-93
54	कौशाम्बी	U P-73	73	ललितपुर	U P-94
55	कन्नौज	U P-74	74	महोबा	U P-95
56	इटावा	U P-75	75	चित्रकूट	U P-96
57	फर्रूखाबाद	U P-76			
58	कानपुर देहात	U P-77			

http://shramadesh.up.gov.in

एस.आर. प्रपत्र-1

अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति हेतु आवेदन

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

बंदरगाह या रजिस्ट्रीकरण का कार्यालय (नाम).....

मैं/हम.....निवासी.....

.....जो मेरी/हमारी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान, जिसका अधिकारिक रजिस्ट्रीकरण संख्या.....है, का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो गया है/नष्ट हो गया है/कट-फट गया है।(जो लागू न हो, उसे काट दें) अगर खो गया है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण निम्नवत् है-

.....

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार अधिनियम या उसके नियमों के अधीन अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या निरस्त नहीं किया गया है।

अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के विवरण निम्नवत् है-

1. स्वामी का नाम एवं पूरा पता.....
2. रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का नाम और क्रमांक (यदि पूर्व से पंजीकृत है).....
3. अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान का प्रकार यथा इंजन निर्माता का नाम व पता, हॉर्स पावर, गति एवं निर्माण का वर्ष.....
4. प्रदूषण प्रमाणपत्र का विवरण (प्रमाणपत्र संख्या, जारीकर्ता प्राधिकारी और प्रमाणपत्र की वैधता).....
5. बीमा प्रमाणपत्र का विवरण (प्रमाणपत्र संख्या, जारीकर्ता प्राधिकारी और प्रमाणपत्र की वैधता).....
6. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का विवरण (प्रमाणपत्र संख्या, जारीकर्ता प्राधिकारी और प्रमाणपत्र की वैधता).....
7. स्वामी या मास्टर का मोबाइल नंबर.....
8. स्वामी या मास्टर के ई-मेल का पता.....
9. संलग्नक.....

(क) चालान की रसीद जिसमें उक्त प्रयोजन से शुल्क भुगतान का साक्ष्य हो,

(ख) प्रदूषण प्रमाणपत्र की प्रति

(ग) अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के बीमा प्रमाणपत्र की प्रति

(घ) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की प्रति

(ड) बंधक संबंधी विवरण यदि अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान किसी किराया/खरीद/पट्टे के समझौते के तहत है तो वित्तपोशक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करे

(च) खोने के मामले में, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति

(छ) क्षतिग्रस्त होने के मामले में मूल कटे-फटे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति

(ज) नष्ट होने के मामले में 100रू0/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथपत्र जिसमें नष्टे होने के स्थान या कारण का विवरण उल्लिखित हो

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने के मामले में, मैं/हम घोषणा करते हैं कि यदि मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मिल जाता है तो इसे रद्दकरण हेतु जारीकर्ता प्राधिकारी को सौंप दिया जाएगा।

मैं/हम एतद्द्वारा पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैंने/हमने कोई भी तथय नहीं छुपाया है और ऊपर दी गई जानकारी सत्य है।

मैं/हम वचन देते हैं कि किसी भी जानकारी के गलत या असत्य होने के लिए स्वयं उत्तरयदायी होगें।

दिनांकः

स्थानः

अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के स्वामी का हस्ताक्षर,
नाम व पता

http://shasanadesh.up.gov.in

एस.आर. प्रपत्र-2

अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने या अन्य संबंधित जानकारी की सूचना

(अधिनियम की धारा-74(2) के अधीन)

सेवा में,

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

.....

मैं/हम अधिनियम की धारा 74(2) के अधीन निम्न सूचना प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं

(एक) अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान का नाम.....

(दो) अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान का प्रकार

(क) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत.....

(ख) विदेश में रजिस्ट्रीकृत (देश का नाम).....

(ग) वाणिज्यिक जलयान परिवहन अधिनियम-1958 के अधीन पंजीकृत.....

(तीन) रजिस्ट्रीकरण या अधिकारिक संख्या.....

(चार) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी.....

(पांच) रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का नाम.....

(छह) घटना का विवरण

(क) घटना का दिनांक एवं समय.....

(ख) घटना का स्थान.....

(ग) विनाशग्रस्त होने, क्षति, हताहत, दुर्घटना, विस्फोट या हानि की प्रकृति एवं विस्तार.....

(घ) घटना का कारण एवं परिस्थितियां.....

(ड) घायलों का विवरण.....

(च) मृतकों का विवरण.....

(छ) पर्यावरणीय क्षति का विवरण.....

(सात) घटना के प्रभावों को कम करने के लिए उठाए गए या नियोजित कदम-

(आठ) अवरोध का विवरण

(क) वस्तुओं की प्रकृति.....

(ख) वस्तुओं का आकार.....

(ग) नौवहन को खतरे का प्रकार.....

(नौ) बीमाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को सूचित करने की तिथि.....

(दस) बीमाकर्ता का नाम व पता.....

(ग्यारह) सूचना देने वाले का विवरण

(क) नाम.....

(ख) पदनाम.....

(ग) पता.....

(घ) कंपनी/फर्म/ अन्य विधिक इकाई का नाम.....

(ड) पता

मैं/हम, मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विष्वास के साथ एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने कोई भी तथय को नहीं छुपाया है और ऊपर दी गई जानकारी सत्य है।

मैं/हम वचन देते हैं कि किसी भी जानकारी के गलत या असत्य होने के लिए स्वयं उत्तरयदायी होंगे।

दिनांकः

स्थानः

अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के स्वामी का हस्ताक्षर,
नाम व पता

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसूची-1

क्रम सं.	उद्देश्य	राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)
1	अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयानों (जिनका सकल टन भार G T निर्धारित है) के प्रारंभिक सर्वेक्षण, वार्षिक सर्वेक्षण, नवीनीकरण सर्वेक्षण, मध्यवर्ती सर्वेक्षण तथा अतिरिक्त सर्वेक्षण के संचालन हेतु शुल्क।	
	(क) 10 G T (सकल टन भार) तक तथा उसे सम्मिलित करते हुए	1500.00
	(ख) 10 G T से अधिक किन्तु 25 G T से अनधिक	2100.00
	(ग) 25 G T से अधिक किन्तु 50 G T से अनधिक	2500.00
	(घ) 50 G T से अधिक किन्तु 75 G T से अनधिक	3000.00
	(ङ) 75 G T से अधिक किन्तु 100 G T से अनधिक	3500.00
	(च) 100 G T से अधिक किन्तु 200 G T से अनधिक	4500.00
	(छ) 200 G T से अधिक किन्तु 400 G T से अनधिक	5000.00
	(ज) 400 G T से अधिक किन्तु 600 G T से अनधिक	6000.00
	(झ) प्रत्येक अतिरिक्त 100 G T या उसके अंश के लिए।	500.00
2	केंद्रीय नियमों के प्रपत्र सं. 5 या प्रपत्र सं. 6 में सर्वेक्षण प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 50%
3	केंद्रीय नियमों के प्रपत्र सं. 4 या प्रपत्र सं. 6 में सर्वेक्षण के अस्थायी प्रमाणपत्र के निर्गमन हेतु शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 25%
4	रविवार एवं अन्य अवकाशों पर सर्वेक्षण हेतु देय अतिरिक्त शुल्क, जो क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क के अतिरिक्त देय होगा	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 10%
5	यदि सर्वेक्षक को सायंकाल 5.30 बजे के बाद तथा प्रातःकाल 9.00 बजे से पूर्व सर्वेक्षण करने के लिए बुलाया जाता है, तो क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क के अतिरिक्त देय शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 10%
6	सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाने का शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 10%
7	सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि से 3 माह से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाने का शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 25%
8	ड्राई-डॉकिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण 6 माह अनधिक अवधि के लिए सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाने का शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 50%
9	सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान (vessel) के नाम में परिवर्तन करने का शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 25%
10	सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि (द्वितीय या प्रमाणित प्रति) जारी करने का शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 25%
11	सर्वेक्षक के आदेश के विरुद्ध अपील करने का शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 25%
12	अनुरोध किये गये डिजाइन योजनाओं/चित्रों/लेआउट के परीक्षण एवं विमर्ष के लिए शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 25%

http://shodhganga.inflibnet.ac.in

13	अनुरोध पर अग्निशामक यंत्रों, जीवनरक्षक उपकरणों, जंजीरों और लंगरों आदि के परीक्षण के लिए निरीक्षण हेतु प्रति निरीक्षण शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 25%
14	सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में रूपांतरण, संशोधन या परिवर्तन दर्ज करने हेतु सर्वेक्षण किए जाने का शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क के समान
15	सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में रूपांतरण, संशोधन या परिवर्तन दर्ज करने का शुल्क	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 50%
16	अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयानों के निर्माता या मरम्मतकर्ता के रजिस्ट्रीकरण या सूचीबद्धीकरण का शुल्क	5000
17	सर्वेक्षणकर्ता शुल्क	1- रू0 5000 प्रति दिवस तथा यात्रा, आवास एवं भोजन व्यय (जलयान के स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा) 2- रविवार अथवा अवकाश के दिनों में रू0 1000 अतिरिक्त
18	जब्त किये गये जलयानों के सुरक्षित जब्ती और रख-रखाव शुल्क	1- जब्ती हेतु सर्वेक्षक प्रति यात्रा शुल्क - 3000 प्रति विजिट 2- जब्ती के दौरान टर्मिनल अथवा खड़े किये गये स्थान एवं टो किये जाने का शुल्क- 500 प्रति दिवस तथा टोइंग शुल्क 3- सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड शुल्क- 500 प्रति पाली (08 घण्टा) 4- सुरक्षित जब्ती के दौरान टर्मिनल की सुरक्षा एवं सेफ्टीगार्ड शुल्क- 1000 प्रति दिवस
19	मूल्यांकनकर्ता शुल्क	1000 तथा केन्द्र सरकार के लेवल-12 स्तर के अधिकारियों को देय वास्तविक टी0ए0 व डी0ए0
20	प्रदूषण सर्वे शुल्क	इस अनुसूची के क्रमांक-1 की संबंधित श्रेणी हेतु अंकित राशि का 20 प्रतिशत।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसूची-2

क्रम सं	उद्देश्य	राशि (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयानों के प्रमाणपत्र के स्वीकृति या नवीनीकरण हेतु शुल्क (G T अर्थात् सकल टन भार हेतु)	
	(क) 50 G T सकल टन भार तक और उसे सम्मिलित करते हुए	1000.00
	(ख) 50 G T सकल टन भार से अधिक परंतु 100 G T सकल टन भार से अनधिक	2000.00
	(ग) 100 G T सकल टन भार से अधिक परंतु 200 G T सकल टन भार से अनधिक	4000.00
	(घ) प्रत्येक अतिरिक्त 100 G T सकल टन भार या उसके अंश के 1000.00लिए	1000.00
2	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 50%
3	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 25%
4	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन या परिवर्तन के आवेदन हेतु	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क के समान
5	रजिस्ट्रीकरण का स्थानांतरण (Transfer of Registr)	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क के समान
6	अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान का स्थानांतरण (Transfer of Registr)	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क के समान
7	अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयानों के रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 25%
8	ऐसे किसी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के रजिस्ट्रीकरण हेतु शुल्क जो वाणिज्यिक जलयान परिवहन अधिनियम, 1958 (Merchant Shipping Act,1958) के अधीन पंजीकृत किया गया है	क्रमांक 1 के अधीन देय शुल्क का 25%

http://shipsandcraft.gov.in

अनुसूची एनएम-1

गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के नामांकन, हस्तांतरण एवं द्वितीय प्रति हेतु शुल्क

क्र0सं0	विवरण	शुल्क
1	नामांकन प्रमाणपत्र जारी करना	50/-
2	नामांकन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	50/-
3	नामांकन प्रमाणपत्र का हस्तांतरण	50/-
4	नामांकन/सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील	50/-

नोट- उक्तानुसार निर्धारित दरों को उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरांत परिवर्तित किया जा सकेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसूची एनएम-2

गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के अपराध एवं दण्ड हेतु शुल्क

क्र0सं0	विवरण	शुल्क
1	बिना नामांकन गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का संचालन	1000/-
2	गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान में क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन	50/- प्रति यात्री (अधिकतम 500/-)
3	गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान में क्षमता से अधिक माल का परिवहन	200/-
4	गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान में सुरक्षा उपकरणों का अभाव	200/-
5	नशे की हालत में गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का संचालन	500/-
6	निर्बन्धित मौसम में गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का संचालन	500/-
7	गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान में अंकित नामांकन प्लेट में छेड़छाड़	200/-
8	निर्बन्धित क्षेत्र में गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का संचालन	200/-
9	यात्रियों के लिए-यात्रियों द्वारा सुरक्षा जैकेट न पहनना	50/- प्रति यात्री (अधिकतम 500/-)

नोट- उक्तानुसार निर्धारित दरों को उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरांत परिवर्तित किया जा सकेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-एसआर एनएम-1
(नियम-8ग देखें)
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के नामांकन हेतु आवेदन

सेवा में,
नामांकन प्राधिकारी,
.....
उत्तर प्रदेश गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 के नियम-8(ख) के अधीन गैर यांत्रिक अंतर्देशीय जलयान के संचालन हेतु ऐसे गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का नामांकन होना अनिवार्य है। अतः मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि आवेदक के गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का नामांकन, विहित शुल्क जमा करने के पश्चात किया जाय ।
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं-

1. स्वामी या संचालक का नाम
2. स्वामी या संचालक का पूरा पता
3. मोबाइल नम्बर
4. ई-मेल आईडी
5. व्यवसाय
6. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के निर्माण का वर्ष/कील बिछाने का वर्ष
7. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के डिजाइन का विवरण (यदि वर्गीकृत किया गया हो तो)
8. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की समग्र लंबाई
9. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की अंतिम चौड़ाई
10. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के मध्य डेक के अंदर गहराई
11. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के निर्माणकर्ता का नाम और पता, निर्माण स्थान और वर्ष सहित (नये जलयान की दशा में)
12. नए गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के लिए बिल्डर का प्रमाण पत्र/घोषणापत्र (नये जलयान की दशा में)
13. विक्रय विलेख (द्वितीयक गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के लिए);
14. बंधक विवरण; और
15. स्वामित्व की घोषणा का प्रमाणपत्र (पुराने गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की दशा में)
16. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क के भुगतान का प्रमाण देने वाली चालान रसीद;

स्थानः
दिनांकः

(गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान स्वामी के हस्ताक्षर)
स्वामी का नाम-

http://sjnasantaleshup.gov.in

प्रारूप-एसआर एनएम-2
(नियम-9क देखें)
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का नामांकन प्रमाणपत्र

गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान नामांकन संख्या-.....
जारी करने की तिथि-.....
जारी करने का स्थान.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान स्वामी का नाम.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान स्वामी का पूर्ण पता.....

गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का विवरण-
यात्री/मालवाहक.....
सकल टन धारिता.....
रजिस्ट्रीकृत टन धारिता.....
यात्रियों को ले जाने की क्षमता.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की विशिष्टियां-
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की समग्र लंबाई.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की अंतिम चौड़ाई.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के मध्य डेक के अंदर गहराई.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के निर्माता का नाम और पता.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का निर्माण/कील बिछाने का वर्ष.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान हल लकड़ी/इस्पात आदि का है.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के डेकों की संख्या.....

नामांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक-

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-एसआर एनएम-3

(नियम-10 देखें)

गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का नामांकन प्रमाणपत्र खो जाने, नष्टे हो जाने या कट फट जाने की सूचना और द्वितीय प्रति के लिए आवेदन

सेवा में,
नामांकन प्राधिकारी
.....

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी..... ..... गैर यांत्रिक अंतर्देशीय जलयान का स्वामी हूँ, जिसका नामांकन क्रमांक.....है। मेरे गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का नामांकन प्रमाणपत्र खो गया है/कट फट गया है/नष्टे हो गया है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के नामांकन को मेरे संज्ञान में अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन न तो निलंबित किया गया है और न ही निरस्त किया गया है। मैं इसके साथ रू-..... शुल्क जमा कर रहा/रही हूँ और नामांकन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ।

स्थान-
दिनांक-

(विक्रेता/ गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान स्वामी के हस्ताक्षर)
स्वामी का नाम-

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-एसआर एनएम-4
(नियम-11 देखें)
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के नामांकन प्रमाण पत्र के हस्तान्तरण के लिए आवेदन

सेवा में,
नामांकन प्राधिकारी
.....

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
गैर यांत्रिक अंतर्देशीय जलयान का स्वामी हूँ, जिसका नामांकन क्रमांक.....है। एतद्द्वारा निवेदन करता/करती हूँ कि उक्त जलयान का नामांकन श्री .....पुत्र श्री.....निवासी..... के नाम हस्तान्तरित कर दिया जाए।
स्थान-
दिनांक

(गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के विक्रेता/हस्तान्तरी के हस्ताक्षर)
स्वामी का नाम-

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
..... गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान नामांकन क्रमांक..... को श्री .....पुत्र श्री.....निवासी..... से क्रय कर लिया गया है। नामांकन प्रमाणपत्र तथा हस्तान्तरण शुल्क रू0-.....के जमा का प्रमाण/ट्रेजरी चालान संलग्न किया जा रहा है। कृपया उक्त गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान आवेदक के पक्ष में हस्तान्तरित किया जाए।
स्थान-
दिनांक-

(क्रेता/हस्तान्तरक के हस्ताक्षर)
क्रेता का नाम-

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-एसआर एनएम-5
(नियम-11 देखें)
विक्रय विलेख

मैं/हम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
.....गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान नामांकन संख्या.....
..... का स्वामी हूँ। उक्त जलयान को मेरे/हमारे द्वारा श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.
.....निवासी.....को
विक्रय कर दिया गया है तथा विक्रय के फलस्वरूप सहमति राशि प्राप्त कर ली गई है।
विक्रीत गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का विवरण निम्नवत् है-

1. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का नामांकन संख्या
2. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का नामांकन स्थल (तहसील/जिला)
3. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की लम्बाई
4. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की चौड़ाई
5. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की गहराई
6. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की सकल टन धारिता
7. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की रजिस्ट्रीकृत टन धारिता
8. गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की यात्री वहन की क्षमता

मैं/हम अग्रतर एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान समस्त प्रकार के उत्तरदायित्वों से मुक्त है।

(विक्रेता/ गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान स्वामी के हस्ताक्षर)
स्वामी का नाम-

(क्रेता के हस्ताक्षर)
क्रेता का नाम-
गवाह के नाम व हस्ताक्षर
1.
2.
टिप्पणी- इस विलेख को रू0 100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-एसआर एनएम-6
(नियम-12 देखें)
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का नामांकन प्रमाणपत्र निरस्त किये जाने के लिए आवेदन

सेवा में,
नामांकन प्राधिकारी
.....

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी..... ..... गैर यांत्रिक अंतर्देशीय जलयान का स्वामी हूँ, जिसका नामांकन क्रमांक.....है। मेरा जलयान संचालन योग्य नहीं रह गया है/नष्टे हो गया है।

अतः मेरे गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान, जिसका नामांकन क्रमांक..... है, का नामांकन निरस्त कर दिया जाए। मेरे जलयान के विरूद्ध कोई भी वाद अथवा कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है। मैं इसके साथ जलयान का नामांकन प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ।

स्थान-
दिनांक-

(गैर यांत्रिक अंतर्देशीय जलयान स्वामी के हस्ताक्षर)
स्वामी का नाम-

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-एसआर एनएम-7
(नियम-12 देखें)
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का नामांकन प्रमाणपत्र निरस्त किये जाने के संबंध में घोषणा पत्र

सेवा में,
नामांकन प्राधिकारी
.....

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
घोषणा करता हूँ कि मैं गैर यांत्रिक अंतर्देशीय जलयान का स्वामी हूँ, जिसका नामांकन क्रमांक.....है। मेरा जलयान संचालन योग्य नहीं रह गया है/नष्टे हो गया है। जिसे मेरे द्वारा स्क्रैप/समाप्त कर दिया गया है।उक्त जलयान अब अस्तित्व में नहीं रह गया है। मेरे जलयान के विरूद्ध कोई भी वाद अथवा कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है। उक्त समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी विपरीत तथय पाये जाने पर पूरी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
स्थान-
दिनांक-

(गैर यांत्रिक अंतर्देशीय जलयान स्वामी के हस्ताक्षर)
स्वामी का नाम-

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-एसआर एनएम-8
(नियम-22 देखें)
नामांकन/सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील

सेवा में,
अपीलीय प्राधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन)
.....

`मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
..... गैर यांत्रिक अंतर्देशीय जलयान का स्वामी हूँ, जिसका नामांकन क्रमांक.....है। मेरे उक्त गैर यांत्रिक अंतर्देशीय जलयान के विरूद्ध नामांकन/सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किये गये आदेश दिनांक.....से व्यथित होकर उत्तर प्रदेश गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 के नियम-22 के तहत अपील दायर करता हूँ। अपील हेतु अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट शुल्क रू0 100/-जमा की रसीद संलग्न है।
स्थान-
दिनांक-

(गैर यांत्रिक अंतर्देशीय जलयान स्वामी के हस्ताक्षर)
स्वामी का नाम-

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-एसआर एनएम-9
(नियम-23 देखें)
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के नामांकन का रजिस्टर

रजिस्टर क्रमांक-.....
नामांकन संख्या-.....
नामांकन का दिनांक-.....
नामांकन का स्थान-.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान स्वामी का नाम-.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान स्वामी का पूर्ण पता-.....

गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का विवरण-
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान (यात्री/मालवाहक)-.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की सकल टन धारिता.-.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की रजिस्ट्रीकृत टन धारिता-.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की यात्रियों को ले जाने की क्षमता-.....

गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की विशिष्टियां-
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की समग्र लंबाई-.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान की अंतिम चौड़ाई-.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के मध्य डेक के अंदर गहराई-.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के निर्माता का नाम और पता-.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान के निर्माण/कील बिछाने का वर्ष-.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान का हल लकड़ी/इस्पात आदि का है-.....
गैर यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान में डेकों की संख्या-.....

(नामांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

http://shastra.up.gov.in

परिशिष्ट एनएम-1

क्रमांक	जिला का नाम	कोड	क्रमांक	जिला का नाम	कोड
01	सहारनपुर	U P-11	21	सीतापुर	U P-34
02	मुजफ्फरनगर	U P-12	22	उन्नाव	U P-35
03	बुलंदशहर	U P-13	23	अमेठी	U P-36
04	गाजियाबाद	U P-14	24	हापुड़	U P-37
05	मेरठ	U P-15	25	संभल	U P-38
06	गौतमबुद्धनगर	U P-16	26	बहराइच	U P-40
07	बागपत	U P-17	27	बाराबंकी	U P-41
08	शामली	U P-19	28	अयोध्या	U P-42
09	बिजनौर	U P-20	29	गोंडा	U P-43
10	मुरादाबाद	U P-21	30	सुल्तानपुर	U P-44
11	रामपुर	U P-22	31	अम्बेडकरनगर	U P-45
12	अमरोहा	U P-23	32	श्रावस्ती	U P-46
13	बदायूँ	U P-24	33	बलरामपुर	U P-47
14	बरेली	U P-25	34	आजमगढ	U P-50
15	पीलीभीत	U P-26	35	बस्ती	U P-51
16	शाहजहाँपुर	U P-27	36	देवरिया	U P-52
17	हरदोई	U P-30	37	गोरखपुर	U P-53
18	लखीमपुर खीरी	U P-31	38	मऊ	U P-54
19	लखनऊ	U P-32	39	सिद्वार्थनगर	U P-55
20	रायबरेली	U P-33	40	महाराजगंज	U P-56
41	कुशीनगर	U P-57	61	आगरा	U P-80
42	संतकबीरनगर	U P-58	62	अलीगढ़	U P-81
43	बलिया	U P-60	63	एटा	U P-82
44	गाजीपुर	U P-61	64	फिरोजाबाद	U P-83
45	जौनपुर	U P-62	65	मैनपुरी	U P-84
46	मिर्जापुर	U P-63	66	मथुरा	U P-85
47	सोनभद्र	U P-64	67	हाथरस	U P-86
48	वाराणसी	U P-65	68	कासगंज	U P-87
49	भदोही	U P-66	69	बाँदा	U P-90
50	चंदौली	U P-67	70	हमीरपुर	U P-91
51	प्रयागराज	U P-70	70	हमीरपुर	U P-91
52	फतेहपुर	U P-71	71	जालौन	U P-92
53	प्रतापगढ़	U P-72	72	झाँसी	U P-93
54	कौशांबी	U P-73	73	ललितपुर	U P-94
55	कन्नौज	U P-74	74	महोबा	U P-95
56	इटावा	U P-75	75	चित्रकूट	U P-96
57	फर्रूखाबाद	U P-76			
58	कानपुर देहात	U P-77			

http://shramadesh.up.gov.in

59	कानपुर नगर	U P-78			
60	औरैया	U P-79			

परिशिष्ट एनएम-।।

जिलावार तहसीलों की सूची

क्रमांक	जिला	तहसील	कोड
01	सहारनपुर (यू0पी0-11)	1. सहारनपुर(सदर) 2. बेहट 3. नकुड 4. देवबन्द 5. रामपुर मनिहारन	(SR) (JN) (KT) (BD) (BD)
02	मुजफ्फरनगर (यू0पी0-12)	1. सदर 2. जानसठ 3. खतौली 4. बुढ़ाना	(SR) (JN) (KT) (BD)
03	बुलंदशहर (यू0पी0-13)	1. बुलंदशहर (सदर) 2. सिकंदराबाद 3. स्याना 4. अनूपशहर 5. डिबाई 6. शिकारपुर 7. खुर्जा	(SR) (SK) (SY) (AN) (DB) (SK) (KJ)
04	गाजियाबाद (यू0पी0-14)	1. गाजियाबाद 2. मोदीनगर 3. लोनी	(SR) (MD) (LN)
05	मेरठ (यू0पी0-15)	1. मेरठ 2. मवाना 3. सरधना	(SR) (MV) (SR)
06	गौतमबुद्धनगर (यू0पी0-16)	1. सदर 2. दादरी 3. जेवर	(SR) (DD) (JV)
07	बागपत (यू0पी0-17)	1. बागपत 2. बड़ौत 3. खेकड़ा	(SR) (BD) (KH)
08	शामली (यू0पी0-19)	1. शामली 2. कैराना 3. उन	(SR) (KR) (UN)
09	बिजनौर (यू0पी0-20)	1. बिजनौर 2. चांदपुर 3. धामपुर 4. नगीना	(SR) (CD) (DM) (NG)

http://shasanadesh.up.gov.in

		5.	नजीबाबाद	(NJ)
10	मुरादाबाद (यू0पी0-21)	1. 2. 3. 4.	मुरादाबाद बिलारी कांठ ठाकुरद्वारा	(SR) (BL) (KT) (TK)
11	रामपुर (यू0पी0-22)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	सदर बिलासपुर मिलक शाहाबाद सवार टांडा	(SR) (BL) (ML) (SH) (SV) (TD)
12	अमरोहा (यू0पी0-23)	1. 2. 3. 4.	अमरोहा हसनपुर धनौरा नौगांव सादत	(SR) (HS) (DN) (NG)
13	बदायूँ (यू0पी0-24)	1. 2. 3. 4. 5.	बदायूँ सदर बिसौली बिल्सी दातागंज सहसवान	(SR) (BS) (BI) (DT) (SH)
14	बरेली (यू0पी0-25)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	आंवला बहेड़ी बरेली फरीदपुर मीरगंज नवाबगंज	(AN) (BH) (SR) (FR) (MR) (NW)
15	पीलीभीत (यू0पी0-26)	1. 2. 3. 4. 5.	पीलीभीत बीसलपुर पूरनपुर कलीनगर अमरिया	(SR) (BS) (PR) (KL) (AM)
16	शाहजहाँपुर (यू0पी0-27)	1. 2. 3. 4. 5.	सदर पुवायाँ तिलहर जलालाबाद कलान	(SR) (PV) (TL) (JL) (KL)
17	हरदोई (यू0पी0-30)	1. 2. 3. 4. 5.	हरदोई शाहाबाद सवायजपुर बिलग्राम संडीला	(SR) (SH) (SV) (BL) (SN)

http://shasanadesh.up.gov.in

18	लखीमपुर खीरी (यू0पी0-31)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	लखीमपुर मोहम्मदी गोला निघासन धौरहरा पलिया मितौली	(SR) (MH) (GL) (NG) (DR) (PL) (MT)
19	लखनऊ (यू0पी0-32)	1. 2. 3. 4. 5.	सदर सरोजनीनगर बक्शी का तालाब मलीहाबाद मोहनलालगंज	(SR) (SR) (BK) (ML) (MH)
20	रायबरेली (यू0पी0-33)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	रायबरेली सलोन लालगंज डलमऊ ऊंचाहार महराजगंज	(SR) (SL) (LL) (DL) (UC) (MH)
21	सीतापुर (यू0पी0-34)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	सीतापुर मिश्रिख महोली महमूदाबाद बिसवां सिधौली लहरपुर	(SR) (MS) (MH) (MM) (BS) (SD) (LH)
22	उन्नाव (यू0पी0-35)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	उन्नाव सफीपुर हसनगंज पुरवा बीघापुर बांगरमऊ	(SR) (SF) (HS) (PR) (BS) (BG)
23	अमेठी (यू0पी0-36)	1. 2. 3. 4.	गौरीगंज अमेठी मुसाफिरखाना तिलोई	(GR) (SR) (MS) (TL)
24	हापुड़ (यू0पी0-37)	1. 2. 3.	हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर धौलना	(SR) (GD) (DH)
25	संभल (यू0पी0-38)	1. 2. 3.	संभल चंदौसी गुन्नौर	(SR) (CD) (GN)

http://shasandesh.up.gov.in

26	बहराइच (यू0पी0-40)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	पयागपुर नानपारा मोतीपुर महसी बहराइच कैसरगंज	(PY) (NN) (MT) (MH) (SR) (KS)
27	बाराबंकी (यू0पी0-41)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	नवाबगंज फतेहपुर रामसनेही घाट हैदरगढ़ रामनगर सिरौली गौसपुर	(SR) (FT) (RG) (HD) (RM) (SG)
28	अयोध्या (यू0पी0-42)	1. 2. 3. 4. 5.	सदर सोहावल बीकापुर मिल्कीपुर रूदौली	(SR) (SH) (BK) (ML) (RD)
29	गोंडा (यू0पी0-43)	1. 2. 3. 4.	करनैलगंज गोण्डा मनकापुर तरबगंज	(KR) (SR) (MN) (TR)
30	सुल्तानपुर (यू0पी0-44)	1. 2. 3. 4. 5.	सदर जयसिंहपुर लम्भुआ कादीपुर बल्दीराय	(SR) (JS) (LM) (KD) (BL)
31	अम्बेडकरनगर (यू0पी0-45)	1. 2. 3. 4. 5.	अकबरपुर टांडा भीटी जलालपुर आलापुर	(SR) (TD) (BT) (JL) (AL)
32	श्रावस्ती (यू0पी0-46)	1. 2. 3.	भिनगा इकौना जमुनहा	(SR) (EK) (JM)
33	बलरामपुर (यू0पी0-47)	1. 2. 3.	बलरामपुर तुलसीपुर उतरौला	(SR) (TL) (UT)
34	आजमगढ (यू0पी0-50)	1. 2. 3. 4.	लालगंज सदर सगड़ी मेंहनगर	(LL) (SR) (SG) (MH)

http://shasanadesh.up.gov.in

		5.	बूढ़नपुर	(BD)
		6.	निजामाबाद	(NJ)
		7.	मार्टीनगंज	(MR)
		8.	फूलपुर	(PL)
35	बस्ती (यू0पी0-51)	1.	बस्ती सदर	(SR)
		2.	हर्रैया	(HR)
		3.	भानपुर	(BN)
		4.	रूधौली	(RD)
36	देवरिया (यू0पी0-52)	1.	देवरिया सदर	(SR)
		2.	सेलमपुर	(SL)
		3.	रूद्रपुर	(RD)
		4.	बरहज	(BR)
		5.	भाटपर रानी	(BH)
37	गोरखपुर (यू0पी0-53)	1.	सदर	(SR)
		2.	कैम्पियरगंज	(KM)
		3.	बांसगांव	(BS)
		4.	खजनी	(KJ)
		5.	चौरी चौरा	(CH)
		6.	सहजनवा	(SH)
		7.	गोला	(GL)
38	मऊ (यू0पी0-54)	1.	मऊ	(SR)
		2.	मुहम्मदाबाद गोहना	(MG)
		3.	घोसी	(GS)
		4.	मधुबन	(MD)
39	सिद्वार्थनगर (यू0पी0-55)	1.	नौगड़	(SR)
		2.	बांसी	(BS)
		3.	डुमरियागंज	(DM)
		4.	इटवा	(ET)
		5.	शोहरतगढ़	(SH)
40	महाराजगंज (यू0पी0-56)	1.	महाराजगंज(सदर)	(SR)
		2.	फरेंदा	(FR)
		3.	निचलौल	(NC)
		4.	नौतनवा	(NT)
41	कुशीनगर (यू0पी0-57)	1.	पडरौना	(SR)
		2.	कसिया	(KS)
		3.	हाटा	(HT)
		4.	तमकुहीराज	(TM)
		5.	कप्तानगंज	(KP)
		6.	खड्डा	(KD)
42	संतकबीरनगर (यू0पी0-58)	1.	खलीलाबाद	(SR)
		2.	मेहदावल	(MH)

http://shasandesh.up.gov.in

		3.	धनघटा	(GH)
43	बलिया (यू0पी0-60)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	बलिया(सदर) बेल्थरा रोड बाँसडीह रसड़ा सिकंदरपुर बैरिया	(SR) (BL) (BS) (RS) (SK) (BR)
44	गाजीपुर (यू0पी0-61)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	सदर जमानिया जखनिया मुहम्मदाबाद सैदपुर कासिमाबाद सेवराई	(SR) (JM) (JK) (MH) (SD) (KS) (SV)
45	जौनपुर (यू0पी0-62)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	जौनपुर (सदर) बदलापुर केराकत मछलीशहर मणियाहू शाहगंज	(SR) (BD) (KR) (MC) (MR) (SH)
46	मिर्जापुर (यू0पी0-63)	1. 2. 3. 4.	मिर्जापुर(सदर) चुनार मणिहान लालगंज	(SR) (CN) (MR) (LL)
47	सोनभद्र (यू0पी0-64)	1. 2. 3. 4.	रॉबर्टसगंज घोरावल दुद्धी ओबरा	(SR) (GR) (DD) (OB)
48	वाराणसी (यू0पी0-65)	1. 2. 3.	वाराणसी(सदर) पिंड्रा राजातालाब	(SR) (GR) (DD)
49	भदोही (यू0पी0-66)	1. 2. 3.	भदोही औराई ज्ञानपुर	(SR) (AU) (GN)
50	चंदौली (यू0पी0-67)	1. 2. 3. 4. 5.	चंदौली सदर सकलडीहा चकिया मुगलसराय नौगढ़	(SR) (SK) (CK) (MG) (NG)
51	प्रयागराज (यू0पी0-70)	1. 2.	करछना कोरांव	(KR) (KV)

http://shasanadesh.up.gov.in

		3.	फूलपुर	(PF)
		4.	बारा	(BR)
		5.	मेजा	(MJ)
		6.	सदर	(SR)
		7.	सोरांव	(SV)
		8.	हंडिया	(HD)
52	फतेहपुर (यू0पी0-71)	1.	फतेहपुर	(SR)
		2.	बिन्दकी	(BN)
		3.	खागा	(KH)
53	प्रतापगढ़ (यू0पी0-72)	1.	रानीगंज	(RN)
		2.	सदर	(SR)
		3.	कुंडा	(KD)
		4.	लालगंज	(LL)
		5.	पट्टी	(PT)
54	कौशांबी (यू0पी0-73)	1.	मंझनपुर	(SR)
		2.	सिराथू	(ST)
		3.	चायल	(CH)
55	कन्नौज (यू0पी0-74)	1.	कन्नौज	(SR)
		2.	छिबरामऊ	(CB)
		3.	तिर्वा	(TR)
		4.	हसेरन	(HS)
56	इटावा (यू0पी0-75)	1.	इटावा	(SR)
		2.	भरथना	(BR)
		3.	जसवंतनगर	(JS)
		4.	सैफई	(SF)
		5.	चकरनगर	(CR)
		6.	ताखा	(TK)
57	फर्रूखाबाद (यू0पी0-76)	1.	फर्रूखाबाद	(SR)
		2.	कायमगंज	(KM)
		3.	अमृतपुर	(AM)
58	कानपुर देहात (यू0पी0-77)	1.	अकबरपुर	(SR)
		2.	भोगनीपुर	(BG)
		3.	डेरापुर	(DR)
		4.	रसूलाबाद	(RS)
		5.	मैथा	(MT)
		6.	सिकंदरा	(SK)
59	कानपुर नगर (यू0पी0-78)	1.	कानपुर नगर	(SR)
		2.	बिल्हौर	(BL)
		3.	घाटमपुर	(GT)
		4.	नरवल	(NR)
60	औरैया	1.	औरैया	(SR)

http://shasandesh.up.gov.in

	(यू0पी0-79)	2.	बिधुना	(BL)
		3.	अजीतमल	(GT)
61	आगरा	1.	आगरा	(SR)
	(यू0पी0-80)	2.	फतेहाबाद	(FT)
		3.	किरावली	(KR)
		4.	खेरागढ़	(KG)
		5.	बाह	(BH)
		6.	एत्मादपुर	(ET)
62	अलीगढ़	1.	कोल	(KL)
	(यू0पी0-81)	2.	अतरौली	(AT)
		3.	खैर	(KR)
		4.	इगलास	(EG)
		5.	गभाना	(GB)
63	एटा	1.	एटा	(SR)
	(यू0पी0-82)	2.	अलीगंज	(AL)
		3.	जलेसर	(JL)
64	फिरोजाबाद	1.	फिरोजाबाद	(SR)
	(यू0पी0-83)	2.	शिकोहाबाद	(SK)
		3.	टूंडला	(TD)
		4.	जसराना	(JS)
		5.	सिरसागंज	(SR)
65	मैनपुरी	1.	मैनपुरी	(SR)
	(यू0पी0-84)	2.	करहल	(KR)
		3.	किशनी	(KS)
		4.	कुरावली	(KR)
		5.	घिरोर	(GH)
		6.	भोगांव	(BG)
66	मथुरा	1.	मथुरा	(SR)
	(यू0पी0-85)	2.	महावन	(MH)
		3.	छाता	(CT)
		4.	मंट	(MT)
		5.	गोवर्धन	(GV)
67	हाथरस	1.	हाथरस	(SR)
	(यू0पी0-86)	2.	सादाबाद	(SD)
		3.	सिकंदरामऊ	(SK)
		4.	सासनी	(SS)
68	कासगंज	1.	कासगंज	(SR)
	(यू0पी0-87)	2.	पटियाली	(PT)
		3.	सहावर	(SH)
69	बाँदा	1.	बाँदा	(SR)
	(यू0पी0-90)	2.	पैलानी	(PL)

http://shasanadesh.up.gov.in

		3.	बबेरू	(BB)
		4.	अतर्रा	(AT)
		5.	नरैनी	(NR)
70	हमीरपुर (यू0पी0-91)	1.	हमीरपुर	(SR)
		2.	मौदहा	(MD)
		3.	राठ	(RT)
		4.	सरीला	(SR)
71	जालौन (यू0पी0-92)	1.	जालौन	(JL)
		2.	कौंच	(KC)
		3.	उरई	(UR)
		4.	माधौगढ़	(MD)
		5.	कालपी	(KL)
72	झाँसी (यू0पी0-93)	1.	झाँसी	(SR)
		2.	मऊरानीपुर	(MR)
		3.	मोठ	(MT)
		4.	टहरौली	(TH)
		5.	गरौठा	(GR)
73	ललितपुर (यू0पी0-94)	1.	ललितपुर	(SR)
		2.	तालबेहट	(TB)
		3.	महरौनी	(MH)
		4.	मदावरा	(MD)
		5.	पाली	(PL)
74	महोबा (यू0पी0-95)	1.	महोबा	(SR)
		2.	चरखारी	(CH)
		3.	कुलपहाड़	(KL)
75	चित्रकूट (यू0पी0-96)	1.	कर्वी	(SR)
		2.	मऊ	(MU)
		3.	मानिकपुर	(MN)
		4.	राजापुर	(RJ)

http://shasandesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 11/2026/1033/30-4-2026-30-4099/10/2025, dated 30 October, 2026:

NOTIFICATION

No. 11/2026/1033 /30-4-2026 -30-4099/10/2025

Lucknow: Dated: 30 October, 2026

To ensure safe, efficient, reliable, and environmentally friendly inland water transport and water tourism, the Government of Uttar Pradesh is working towards creating an institutional framework in the State by enacting necessary laws and establishing institutions such as the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority.

For facilitating navigation and water transport through inland waterways for passenger and cargo movement, and for promoting inland water transport connectivity, it is necessary to have prescribed rules covering mechanically and non-mechanically propelled inland vessels. These rules are expected to address matters relating to design and construction, registration, survey, manning, safe navigation, communication, signaling, and other related aspects of such vessels.

Whereas, the Government of India enacted The Inland Vessels Act, 2021(Act No. 24 of 2021) and the Central Rules have been framed thereunder.

Earlier, inland vessels were regulated under the Inland Vessels Act, 1917, and accordingly the State Government had framed the Uttar Pradesh Inland Vessels Rules, 2002.

And whereas, in view of the Inland Vessels Act, 2021 and the Central Rules framed thereunder, it has become necessary for the State Government to supercede the existing Uttar Pradesh Inland Vessels Rules, 2002 and replace them with new rules.

The proposed rules have been framed as per the Inland Vessels Act-2021 and Inland Vessels Rules-2022 of the Central Government by superceding the present Uttar Pradesh Inland Vessel Rules, 2002.

DRAFT RULES

The Uttar Pradesh Inland Vessels Rules, 2026

The draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sections 107 of the Inland Vessels Act, 2021 (Act No. 24 of 2021)read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), superceding the present Uttar Pradesh Inland Vessel Rules, 2002of State Government are hereby published as required under the Inland Vessels Act, 2021 (Act No. 24 of 2021)for the information of all persons likely to be affected thereby and with view to invite objections or suggestions in respect thereof;

Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed rules should be sent in writing addressed to the Vishesh Sachiv, Parivahan Anubhag-4, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Uttar Pradesh Sachivalaya, Lucknow or on Email -specialsecretarytransport@gmail.com . Only such objections or suggestions as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette shall be taken into consideration;

The persons who file their objections or suggestions in writing may appear before Vishesh Sachiv, Parivahan Anubhag-4, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Uttar Pradesh Sachivalaya, Lucknow in his office room no. 434 for hearing in any working day at 09:30 a.m to 06:00 p.m.

Preliminary

1. Short Title and Commencement

1. (1) These rules shall be called the "Uttar Pradesh Inland Vessels Rules, 2026".

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

(3) The existing vessels shall be converted to the standards specified in these rules within 90 days from the date of coming into force of these rules.

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) These Rules contain sixteen chapters, of which Chapters One to Fourteen provide for mechanically propelled Inland vessels, and Chapter Fifteen provides for non-mechanically propelled inland vessels. The rules of Chapter Sixteen shall apply to both mechanically and non-mechanically propelled vessels.

(5) In case of any inconsistency between these rules, the provisions of the Central Act and the rules shall prevail.

Chapter-I
Provisions relating to Mechanically Propelled Inland Vessel

Definitions

2 (1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Inland Vessels Act, 2021 (Act No. 24 of 2021);

(b) "Assessor" means such persons having experience in navigation of commercial service or mechanically propelled inland vessels and appointed by the State Government under Section 76(1) of the Act for the purposes of Chapter XIII;

(c) "Central Rules" means the rules framed by the Government of India under the Act(as amended);

(d) "Central Government" means the Government of India;

(e) "Designated Authority" means the authorities appointed by the State Government under Section 5(3) of the Act;

(f) "District Magistrate" means an officer appointed by the State Government and includes an Additional District Magistrate or any Executive Magistrate authorized by the District Magistrate to perform duties under the Act, Central Rules, and these rules;

(g) "Examiner or Chief Examiner" means the officers or persons appointed by the State Government under Section 36(1) of the Act for examining the qualifications of persons seeking certificates under Chapter VI of the Act;

(h) "Form" means forms appended to the Central Rules and these rules and "SR Form" means forms appended to State rules only;

(i) "Gross Tonnage (GT)" means the gross tonnage calculated in accordance with the International Convention onTonnage Measurement of Ships, 1969;

(j) "Ports or Places of Registry" means offices or places notified by the State Government under Section 20 of the Act where mechanically propelled inland vessels are registered under Chapter V of the Act;

(k) "Receiver of Wreck" means officers appointed or authorized by the State Government under Section 58(1) of the Act for carrying out functions specified under Chapter X of the Act, Central Rules, and these rules (as amended);

(l) "Registrar of Inland Vessels" means officers or persons appointed by the State Government under Section 20 of the Act for carrying out functions specified under the Act, Central Rules, and these rules;

(m) "Registering Authority" means the Registrar of Inland Vessels appointed by the State Government;

(n) "State Authority" means the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority constituted under the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023 (Act No. 22 of 2023)(as amended), authorized to exercise powers and perform duties throughout the State of Uttar Pradesh under the State Authority Act;

(o) "State Authority Act" means the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023 (Act No. 22 of 2023) (as amended);

(p) "State Authority Fund" means the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Fund constituted under Section 23(1) of the State Authority Act, 2023;

(q) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(r) "Surveyor" means officers or persons appointed by the State Government under Section 10 of the Act as surveyors of inland vessels for carrying out duties specified under the Act, Central Rules, and these rules (as amended);

http://shipsmadesh.up.gov.in

(s) "Vessel Builder" means a person or company primarily engaged in the design and construction of vessels, boats, or other floating crafts, including design inspection, construction testing, inspection, and delivery to owners;

(t) "Vessel Repairers" means persons or companies specializing in the repair and maintenance of vessels and boats, including damage repair, regular maintenance, upgradation, or conversion work relating to hull structure, machinery, electrical, and electronic systems.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act or Central Rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or Central Rules.

Chapter II
Declaration of Inland Water Areas into Zones

3. Determination of Water Areas

The State Government or the State Authority may, on the basis of consultation with the Technical Expert Department (such as the Irrigation Department) or related technical institutions, by separate orders, declare any inland water area as a "Zone" under Section 4(1) of the Act for the purposes of these rules, in accordance with the maximum significant wave height standards specified under Section 4(2) of the Act.

Chapter III
Administrative Provisions

4. Appointment of Designated Authority

Under Section 5(3) of the Act, all Regional Transport Officers (Administration) shall be the Designated Authorities for their respective divisions, whose list is annexed as Appendix-1. They shall exercise powers, authorities, and duties conferred under the Act and rules framed thereunder.

5. The Designated Authority shall ensure that registration and survey of all vessels are conducted through the Vessel and Navigator Portal in accordance with Section 41 of the Act and the Inland Vessels (Central Database and Allied Subjects) Rules, 2024 (as amended).

Chapter IV
Survey and Certification of Inland Vessels

6. Classification of Mechanically Propelled Inland Vessels- Classification of mechanically propelled inland vessels under Section 7(2) of the Act shall be in accordance with the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 (as amended); framed by the Central Government.

7. Survey and Certification of Mechanically Propelled Inland Vessels- Survey and certification of mechanically propelled inland vessels shall be governed by Chapter IV of the Act, the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022 (as amended) framed by the Central Government, and these rules;

provided that Any mechanically propelled inland vessel issued a provisional certificate of survey or approval may temporarily undertake voyages or be used in service until issuance of the survey certificate, subject to conditions prescribed by the Designated Authority from time to time.

8. Appointment of Surveyors

(a) Under Section 10(1) of the Act, the National Inland Navigation Institute, a government institution under the Inland Waterways Authority of India, shall function as Surveyor for mechanically propelled inland vessels and ensure compliance with the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022 (as amended) . Such surveyors shall be deemed public servants under the Bharatiya Nyaya Sanhita. This institution/Surveyor will also act as Assessor.The State Authority may also authorize other institutions/surveyors under Section 12(4) of the Act.

(b) The procedure for survey of mechanically propelled inland vessels, qualifications of surveyors, and procedure for submission of reports shall be in accordance with the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022 (as amended) framed by the Central Government.

(c) The surveyor appointed asper10(a) above shall ensure compliance of mechanically propelled inland vessels with Central Government rules and these rules and determine the class of vessel and the operational zone suitable under Rule 3.

http://shipping.up.gov.in

(d) Applications for survey of inland vessels shall be made online through the portal: htpp://navic.iwai.gov.in.

(e) Fees payable to the surveyor for survey shall be as prescribed in Schedule-1 annexed to these rules.

9. Fees for Survey and Certification

(a) For the purposes of survey and certification of mechanically propelled inland vessels, fees specified in Schedule-1 annexed to these rules shall be payable.

(b) If re-survey becomes necessary due to fault, act, or omission of the owner, master, or crew member, the owner shall be liable to pay the fee specified in Schedule-1

(c) If the application is submitted after the prescribed period, an additional fee at the rate of five percent per month or part thereof shall be payable, subject to a maximum of double the prescribed fee.

(d) Such fee or additional fee shall be paid through electronic or other prescribed modes specified by the State Authority and deposited in the State Authority Fund.

(e) Any fee paid under the Act or these rules shall not be refundable.

10. Temporary Operation of Vessels Holding Temporary Survey Certificate- Any mechanically propelled inland vessel issued a temporary survey certificate or endorsement under Section 13(1) of the Act may temporarily undertake voyages or services in accordance with the procedure and conditions specified by the Designated Authority until issuance of the survey certificate.

11. Suspension or Cancellation of Certificate of Survey

(1) Procedure for Issuance of Notice

(a) If the State Government, State Authority, authorized surveyor, or registering authority believes that any condition specified under Section 15(1) of the Act has been violated by the owner, operator, or master, notice for suspension or cancellation of the certificate of survey may be issued under Section 15(2) or 15(3) of the Act.

Such Notice regarding suspension or cancellation of a certificate of survey shall be sent by the State Government by registered post with acknowledgment due to the address mentioned in the survey certificate to the owner, operator, master, or construction yard. Compliance with the conditions shall be ensured within three months from the date of notice.

(b) The notice shall clearly specify the reasons for suspension or cancellation, including deficiencies or violations identified during inspection or survey.

(c) If additional time is required for compliance, the owner, operator, master, or construction yard may apply in writing with reasons and supporting documents.

(d) If satisfied, the issuing authority may extend the compliance period by one additional month.

(2) Period of Suspension- The suspension shall remain effective until defects are rectified and compliance ensured, or for a maximum period of six months from the date of suspension order, whichever is earlier.

(3) Cancellation of Certificate

(a) If suspension continues for six months or more, the State Government, State Authority, authorized surveyor, or registering authority may cancel the certificate.

If the certificate was not issued by such Authority, the matter shall be forwarded to the original issuing Authority for cancellation.

(4) Surrender of Expired, Suspended, or Cancelled Certificate

(a) The owner or master shall surrender the expired, suspended, or cancelled certificate to the Registrar of Inland Vessels.

(b) The Registrar shall record details of cancellation in the registry book.

(c) The issuing authority shall comply with Section 15 of the Act and all provisions of Central Rules and these rules regarding suspension or cancellation.

Chapter V

Registration of Inland Vessels

12. Functions of Registrar of Inland Vessels

http://shipsandports.up.gov.in

1. Under Section 20(2) of the Act, Assistant Regional Transport Officers (Administration) shall act as Registrars for their respective districts as listed in Appendix-2.
2. The Registrar of Inland Vessels shall perform the following functions, namely :-

(a) function as head of the port or registration place;
(b) act as Nominated Authority for implementation of provisions relating to mechanically propelled inland vessels;
(c) ensure compliance with all duties specified under the Act, rules, regulations, and notifications;
(d) ensure compliance of all inland vessels operating within jurisdiction;
(e) coordinate with stakeholders for regulation and control of water transport;
(f) coordinate for preparation and regulation of tourist circuit routes for river cruise operations;
(g) ensure compliance with safety and environmental laws relating to vessels, ports, terminals, navigation, inland water transport, and tourism activities;
(h) examine adequacy of facilities for the public at cargo and passenger terminals and infrastructure;
(i) ensure coordination between inland water transport and other transport systems;
(j) submit reports required under the Act and rules;
(k) ensure confidentiality and protection of vessel records under applicable data protection laws;
(l) provide guidance and clarification to stakeholders regarding registration procedures, regulatory requirements, and inland vessel operations;
(m) perform other prescribed responsibilities relating to inland vessels;
(n) maintain a register under Section 41(1) of the Act for recording certificate details and data;
(o) perform additional duties assigned by the State Government or State Authority.

13. Reporting of Details in Registry Book- Under Section 21(2) of the Act, the Registrar shall electronically submit details and entries made in the Book of Registry at the end of each month of every calendar year to the Central Government, State Government, and State Authority in Form-10 prescribed under the Inland Waterways (Registration and Other Technical Matters) Rules, 2022 (as amended) of Government of India.

14. Details Contained in Registration Certificate- The particulars contained in the certificate of registration of mechanically propelled inland vessels under Section 24(2) of the Act shall be in accordance with Form-17 prescribed under the Inland Vessels (Registration and Other Technical Matters) Rules, 2022 (as amended) .

15. Display of Official Registration Number on Inland Vessel-

(1) A unique registration number shall be issued by the registering authority to every mechanically propelled inland vessel. The registration number shall be alphanumeric and consist of 10 characters. The first two characters shall be in English denoting **"MP" (Mechanically Propelled)**, followed by two characters representing the State Code **"UP"**, followed by two digits representing the district vehicle registration code (for example, **32 for Lucknow** as per Appendix-3), and the last four digits shall be a serial number from **0001 to 9999**.

Accordingly, the first registration number for Lucknow district shall be **MPUP320001**. After exhaustion of serial numbers from 0001 to 9999, alphabetic series shall be used after the district code starting from **A to Z (excluding I and O)**. After completion of A to Z series, double alphabet series such as **AA, AB, AC up to ZZ** (excluding I and O) shall be used.

(2) Every registered vessel under Section 24(3) of the Act shall clearly display its official registration number and name at the **bow (front), stern (rear), and both sides of the hull**, or as specified by the registering authority, so that it remains clearly visible and legible from a distance and is not obstructed by any fittings, equipment, or structures.

(3) **Size and Font:** The size of the official registration number shall be sufficiently large and in contrasting colour so that it is clearly readable against the background of the vessel. The font shall be in accordance with the Inland Vessels (Registration and Other Technical Matters) Rules, 2022.

http://shasonline.up.gov.in

(4) **Material and Durability:** The registration number shall be marked using durable, weather-resistant materials capable of withstanding environmental conditions and remaining clearly visible for a long period.

(5) **Maintenance:** The operator of the vessel shall be responsible for ensuring regular inspection and maintenance of the registration markings so that their visibility and legibility are not obstructed, faded, or damaged at any time.

16. Application for Duplicate Registration Certificate

If the registration certificate is lost, destroyed, or damaged, the owner shall apply to the registering authority in SR Form-1 electronically or physically with prescribed fee under Section 26(1) of the Act.

17. Procedure for Alteration or Modification in Registration Certificate

The owner or operator or master of a mechanically propelled inland vessel shall apply within 30 days from the date of alteration or modification in Form-15 prescribed under the Inland Vessels (Registration and Other Technical Matters) Rules, 2022 (as amended) along with required documents and prescribed fees under Section 28(1)(2) of the Act.

18. Suspension and Cancellation of Registration Certificate

Under Sections 31 and 32 of the Act, the registering authority shall be authorized to take action in relation to mechanically propelled inland vessels. Inspection shall be conducted by persons or authorities authorized by the State Government through general or special order.

19. Fees for registration

1. Fees payable for registration of inland vessels under Chapter V, Sections 24(1), 26(2), and 28(2) of the Act and relevant Central Rules shall be payable as per Schedule-2 annexed to these rules.
2. Fees and penalties payable under the Act, Central Rules, and these rules shall be deposited through UPI, QR code, net banking, or other online modes into the bank account of the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority;
3. Any fee paid under the Act or these rules shall not be refundable.
4. Delayed applications shall attract additional fee at five percent per month or part thereof, subject to a maximum of double the prescribed fee.
5. Fees mentioned in Schedule-1 shall be paid through electronic or other prescribed methods and deposited into the State Authority Fund.

Chapter VI
Crew Management, Qualification, Training, Examination and Certification

20. The rules under this Chapter shall be in accordance with the provisions specified for inland mechanically propelled vessels in the Inland Vessels (Crew) Rules, 2022(as amended) framed by the Central Government.

21. The State Authority or any officer or authority authorized by the State Government through notification or special order shall discharge the functions and duties specified under Sections 37 and 38 of the Act.

22. Record of Certificate Holders and Central Record:

(1) The details and data relating to certificates issued, approved, cancelled or suspended under Chapter VI of the Act, or relating to any other kind of execution, shall be maintained in registers by the State Authority in such format and manner as specified, subject to the approval of the State Government.

(2) The State Government shall, in accordance with sub-section (2) of Section 41 of the Act, provide and update the Central Government at prescribed intervals with details and data of certificates issued, approved, cancelled or suspended, along with information regarding other remarks made by the concerned authority.

Chapter VII
Special Category Vessels

23. The provisions relating to special category vessels under Chapter VII of the Act shall be implemented by the State Government **through** the State Authority by issuing simple orders under the Inland Vessels Act, 2021(as amended).

http://shipping.uppwa.up.gov.in

Chapter VIII

Prevention of Pollution by Inland Mechanically Propelled Vessels

(Section 54(3)(5)(6) of the Act)

24. Appointment of Pollution Surveyor and Inspection Authority: For Purposes of Sections 53(2), 55(1) and 56(1) of the Act, the Surveyor appointed under section 10 of this rule, shall also act as pollution surveyor. A separate fees as per Schedule- 1, shall be payable for this purpose.

25. Reception Facilities Charges: The owner or operator of a passenger or cargo terminal providing reception facilities for disposal/unloading of oil, oily mixtures, sewage, garbage, hazardous chemicals or other foul-smelling substances shall collect charges at prescribed rates, subject to approval of the State Government, in accordance with orders issued from time to time by the State Government/State Authority.

26. Reception Facilities and Pollution Control:

(1) The owner or operator or master of a passenger or cargo terminal shall submit compliance reports to the officer appointed by the Central Government or State Government, in the format and manner specified by the State Authority, subject to approval of the State Government.

(2) The State Authority may, through written order, require supplementary compliance reports from the owner or operator of the passenger or cargo terminal in the specified format, and such reports must be submitted within the prescribed period.

27. Method for Disposal of Pollutants at Port Reception Facilities:

(1) The owner or operator or master of any inland mechanically propelled vessel shall dispose pollutants at port reception facilities in the following manner, namely —

(a) **Designated Reception Facilities:** An inland mechanically propelled vessel shall dispose pollutants only at port reception facilities approved by the State Authority.

(b) **Segregation and Storage:** The inland mechanically propelled vessel shall separate different categories of pollutants and store them in designated onboard tanks or containers.

(c) **Use of Waste Containers:** Pollutants shall be disposed into waste containers provided by the port pollution reception facility in such a manner that there is no spillage or leakage.

(d) **Compliance with Facility Requirements:** The vessel shall comply with all specific procedures or requirements prescribed by the port pollution reception facility, including but not limited to limits relating to time, place or quantity.

(e) **Method of Disposal:** State Authority may prescribe procedures for disposal of pollutants to ensure compliance with the Inland Vessels (Prevention and Control of Pollution) Rules, 2022.Inland mechanically propelled vessels may also be required to submit reports or documents regarding the nature and quantity of pollutants.

(2) The State Authority may, through written order, prescribe any other suitable methods for disposal of pollutants for the owner or operator of the passenger or cargo terminal as it deems appropriate.

Chapter IX

Wreck and Salvage

28. Under Section 58(1) of the Act, the Registring Authority shall be the receiver of wrecks within its jurisdiction.

Chapter X

Liability and Limitation of Liability

29. Authorized Officer under this Chapter: The Registrar of mechanically propelled inland vessels shall have the authority under Chapter XI, Section 63 of the Act and the rules framed thereunder to detain any mechanically propelled inland vessel in connection with any claim or offence.

30. Procedure for Detention and Release of Mechanically propelled inland vessel:

(1) If the authorized officer in section 29 above has reason to believe that any inland mechanically propelled vessel has been or is being used in contravention of the provisions of Chapter XI of the Act, he may detain such vessel by issuing.

http://shipsonline.up.gov.in

an order to the the owner or operator or master person in charge or member of crew of the inland mechanically propelled vessel specifying clearly the reasons for detention, and he shall take or cause to be taken necessary measures for temporary custody of the vessel.

(2) Where any inland mechanically propelled vessel has been detained, the owner or operator or master in-charge or member of crew may apply for release of the vessel before the concerned authority in electronic or other format specified by the State Authority along with required documents.

After verification of documents, the concerned authority may release the inland mechanically propelled vessel by order, subject to appropriate conditions and payment of penalty or fine specified by the State Authority.

31. Fees and Charges:

(1) Charges, penalties and other dues for safe custody and maintenance of detained or seized inland mechanically propelled vessels shall be payable as per Schedule-1 attached to these rules.

(2) Such charges, penalties and other dues shall be deposited in the bank account of the State Authority through UPI, QR Code, Net Banking or any other online mode.

Chapter XI

Inquiry into Casualty, Accident or Wreck of Inland Mechanically Propelled Vessels

32. Authorized Officer under this Chapter: The Registrar of inland mechanically propelled vessels or any other officer authorized by the State Government shall be the designated authority for carrying out the functions specified under Chapter XIII of the Act and the rules framed thereunder.

33. Form and Manner of Information:

(1) Whenever the owner or operator or master of an inland mechanically propelled vessel faces wreck, abandonment, damage, casualty, accident, explosion or loss to or on board any inland vessel while in inland waters**,** he shall provide information in SR-Form-2 to the officer incharge of the nearest police station and the designated authority.

(2) Submission of information shall be made through the specified portal, e-mail, any other electronic mode, physical mode, or both, as determined by the State Authority.

34. Powers and Procedure of District Magistrate for Inquiry into Accidents in Inland Waters:

(1) On the directions of the State Government, the District Magistrate may initiate inquiry into incidents occurring within his jurisdiction and shall submit additional reports under sub-section (2) of Section 75 of the Act.

(2) The District Magistrate or inquiry committee constituted by him shall have authority to summon witnesses, examine evidence and require production of relevant documents for purposes of inquiry under Chapter XIII.

(3) The District Magistrate or inquiry committee shall issue notices informing all concerned parties including vessel owners, operators, crew members and concerned authorities about the inquiry.

(4) The District Magistrate or inquiry committee shall conduct hearings, examine witnesses and collect evidence relating to the marine incident.

(5) Inquiry proceedings shall be conducted fairly and without discrimination**.**

(6) The District Magistrate or inquiry committee shall maintain complete records of proceedings including records, exhibits and other relevant documents.

(7) Upon completion of inquiry, the District Magistrate or inquiry committee shall prepare a report containing findings, conclusions and recommendations relating to the accident.

(8) If the inquiry has been conducted by the committee, the District Magistrate may require the committee to review the report or submit a supplementary report.

(9) The inquiry report shall be submitted by the District Magistrate to the State Government and one copy thereof shall be sent to the Judicial Magistrate First Class of the concerned district.

35. Qualifications, Standards, Remuneration, Fees or Charges for Assessors: The assessor shall discharge responsibilities under Section 76 of Chapter XIII of the Act of the Government of India. The

https://shabmadesh.up.gov.in

institution/surveyor nominated under Rule 10(a) of these rules for surveys shall also discharge responsibilities of assessors. Remuneration, fees or charges payable to assessors shall be as per Schedule-1 attached to these rules.

Chapter XII
Pilot Service, Vessel Detention and Development Fund

36. Requirement of Pilot Service: For specified inland waterways situated within the jurisdiction of the State Government, wholly or partly, or waterways in respect of which no direction has been issued by the Central Government under sub-section (1) of Section 83 of the Act, pilot service requirements may be specified by the State Authority subject to approval of the State Government.

37. Authorized Officer under this Chapter: The Registrar of inland mechanically propelled vessels shall have authority under sub-section (1) of Section 85 of the Act to detain any mechanically propelled inland vessel.

38. Procedure for Detention and Release:

(1) If the Registering Authority has reason to believe that any inland mechanically propelled vessel has been used or is being used in violation of Section 85(1) of the Act, it may issue an order to the owner, operator or person in charge for detention of the inland mechanically propelled vessel.

The order shall specify reasons for detention, and for this purpose the authority may take or require any necessary measures for temporary custody of the vessel.

(2) Where any inland mechanically propelled vessel has been detained, its owner, operator or person in charge may apply for release before the concerned authority in electronic or other format specified by the State Authority along with required documents.

After verification of documents, the Registering Authority may release the inland mechanically propelled vessel by order, subject to such conditions as deemed appropriate and subject to payment of fine or penalty as mentioned in Schedule-1 of these rules.

39. Fees and Charges:

(1) Fees and charges for safe custody and maintenance of detained or seized inland mechanically propelled vessels shall be payable at the rates specified in Schedule-1 of these rules.

(2) Such fees and charges shall be deposited electronically or through any other method in the bank account of the State Authority through UPI, QR Code, Net Banking and other online modes.

40. State Development Fund: A State Development Fund shall be constituted under Section 86 of the Act.

(1) The State Development Fund shall be utilized for the following purposes—

(a) For fulfillment of emergency preparedness;

(b) For controlling pollution caused by leakage of oil, mixtures, waste substances, chemicals, unhealthy or other hazardous materials so as to ensure protection and conservation of inland waters;

(c) For providing partial or full financial assistance to persons or economically weaker sections engaged in trade or livelihood dependent upon inland waters;

(d) For removal of wrecks or obstructions of unidentified inland mechanically propelled vessels affecting or obstructing navigation; and

(e) For promoting development works relating to inland water navigation from the perspective of safety and transportation convenience.

(2) Efforts shall be made to establish the Development Fund with assistance from the following sources—

(a) State Government;

(b) Stakeholders;

(c) Amount received from sale of wrecks, cargo or remnants of inland mechanically propelled vessels after deduction of expenses;

(d) Surplus amount remaining after adjustment of expenses of courts or administrative machinery from sale proceeds of any property, inland mechanically propelled vessel or goods pursuant to court orders;

http://shipmadesh.up.gov.in

(e) Minimum 50 percent of the amount received from fees, penalties etc. from inland mechanically propelled vessels/cargo vehicles, or such amount as determined from time to time by the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority, shall be deposited in the account of the State Authority.

(3) Constitution of Committee for Operation of State Development Fund:

The Development Fund constituted under Section 86 of the Act shall be operated by a State Level Committee comprising the following—

S.No.	Designation	Status
1	2	3
1	Chairman, U.P. Inland Waterways Authority	Chairman
2	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Transport, U.P.	Member
3	Transport Commissioner, U.P.	Member
4	Chief Executive Officer, U.P. Inland Waterways Authority	Member
5	Special Secretary nominated by Principal Secretary Finance, U.P.	Member
6	Special Secretary Tourism nominated by Principal Secretary Tourism, U.P.	Member
7	Special Secretary nominated by Principal Secretary Irrigation, U.P.	Member
8	Additional Transport Commissioner (Administration), U.P.	Member Secretary
9	Representative nominated by Chairman	Member
10	Secretary Revenue/Relief Commissioner, Revenue Department	Special Invitee Member

Functions of the Committee: The committee shall maintain accounts of the amount received in the Development Fund constituted under Section 86 of the Act, ensure its proper utilization, provide financial assistance at regional level according to requirements of Water Transport Management, Safety and Advisory Committees constituted at divisional and district levels, and maintain and audit expenditure records.

Chapter XIII

Offences and Penalties

41. Procedure relating to Receipt Forms, Accounts Maintenance, Rates and Intervals of Fees, Additional Charges and Penalties: Fees and additional fees payable under the Act, and other charges or payments against any penalty, along with their rates and intervals, and procedures relating to receipt, collection, accounting and accountability of such amounts, formats of receipts, maintenance of accounts and other necessary matters shall be specified by the State Authority under Section 89 of the Act, subject to approval of the State Government, unless specified in the Appendix .

42. Place of Trial: The State Government shall notify places for trial of persons violating any provision of the Act or rules framed thereunder.

Chapter XIV

Emergency Preparedness, Appeal, Advisory Committee and Ports or Offices for Registration/Survey

43. Emergency Preparedness:

The State Authority may, from time to time, specify such measures by which any emergency situation or crisis situation adversely affecting navigation safety, protection of human life or protection of inland waters may be minimized or dealt with.

44. Appeal:

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) For compliance of Section 105 of the Inland Vessels Act, 2021**(as amended)** , the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary of Transport Department of the State Government shall be the Appellate Authority.

(2) The Appellate Authority shall, after providing an opportunity of hearing to the appellant and recording reasons, pass an appropriate order, which shall be final.

45. Port or Office for Registration and Survey–For the purpose of registration and survey of mechanically propelled inland vessels, the administrative jurisdiction of all ports or registration and survey offices situated in the State of Uttar Pradesh shall be in accordance with Appendix-1 of these rules.

Chapter XV

Provisions Relating to Non-Mechanically Propelled Inland Vessels

46. Definitions

Unless the context otherwise requires for purpose of this chapter of these rules,

1. "Appellate Authority" means the Regional Transport Officer (Administration) of the concerned division, by whom appeals against any decision/order of the Enrolment Authority or Competent Authority shall be disposed of.
2. "Boat Ghat/Boat Terminal" means a platform/deck made of wood, brick, stone, iron, concrete, high density polyethylene (HDPE)/fiber glass reinforced plastic (FRP) floaters etc., used for access into water bodies and for boarding/deboarding of crew and passengers as well as loading and unloading of goods, animals, livestock, articles and materials etc.
3. "Competent Authority" means the Assistant Regional Transport Officer (Administration) of the concerned district, by whom complaints against any decision/order of the Enrolment Authority shall be disposed of.
4. "Commercial operation" means operation of a non-mechanically propelled inland vessel for hire, fee or profit.
5. "Cargo vessel" means any non-mechanically propelled inland vessel used generally for transportation of all kinds of movable or personal property including animals.
6. "Department" means the Transport Department of the State of Uttar Pradesh or any department specified by the State Government, authorized to issue/suspend/cancel Enrolment/inspection and registration of boats and personnel working on such boats
7. "Enrolment" means the registration of a non-mechanically propelled inland vessel in the records of the competent authority.
8. "Inspector of non-mechanically propelled inland vessels" means a person appointed by the State Government or by any department/authority/institution authorized by the State Government for inspection of boats under these rules.
9. "Non-mechanically propelled inland vessel" means a vessel which is not operated by engine, motor or mechanical power, but is operated by human force, oar, pole, sail or any other natural means.
10. "Owner of non-mechanically propelled inland vessel" means the person/institution in whose name the non-mechanically propelled inland vessel is registered.
11. "Operator of non-mechanically propelled inland vessel" means the person who operates the non-mechanically propelled inland vessel.
12. "Passenger vessel" means such non-mechanically propelled inland vessel which is used for transportation of persons.
13. "Restricted area" means such water areas where operation of non-mechanically propelled inland vessels has been prohibited by the State Government.
14. . "Traditional non-mechanically propelled inland vessel navigator" means a person who traditionally operates a non-mechanically propelled inland vessel but may not possess formal qualification or training.

http://shasanadesh.up.gov.in

15. "Enrolment Authority" means the Motor Vehicle Inspector posted at district headquarters and Assistant Motor Vehicle Inspector posted at tehsil level in the Transport Department, who shall function as Enrolment Authorities for their respective jurisdictions and shall maintain and compile the database of non-mechanically propelled vessels under Section 91(1) of the Act.
16. "Salvage" means the process of recovering a boat and its cargo after an accident or other river mishap. Salvage may include towing, lifting or repairing the boat.
17. "Sports vessel" means a non-mechanically propelled sports vessel used for sports, personal use or any other such purpose.
18. "State Authority" means the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority. Provided that words and expel used but not defined herein shall have same meaning as respectively assigned in the Central Actor rules.

47. Administration and Implementation: Under Section 91(1) of the Inland Vessels Act, 2021, the Transport Department shall be authorized for operation, administration and regulation of non-mechanically propelled inland vessels. Under this, the Assistant Regional Transport Officer (Administration) at district level or any authority authorized by the State Government shall be responsible for implementation, whose duties shall be as follows—

1. To ensure Enrolment of non-mechanically propelled inland vessels through the Enrolment Authority under Chapter-17 of the Inland Vessels Act, 2021, of GOI (as amended)
2. To collect data relating to enrolled non-mechanically propelled inland vessels through the Enrolment Authority and report the same to the relevant Government of India portal and the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority.
3. To inspect fitness/safe operation of vessels from time to time through the Enrolment Authority.
4. To discharge responsibilities as Member Secretary of the district-level Water Transport Management and Safety Committee.
5. To provide guidance and conduct awareness programs for owners, operators and users of enrolled non-mechanically propelled inland vessels.
6. To perform such other duties as may be assigned by the State Government from time to time.

48. Categories of Non-Mechanically Propelled Inland Vessels

For the purposes of these rules, non-mechanically propelled inland vessels shall be classified as follows—

S.No.	Basis of Classification	Category A	Category B	Category C
1	2	3	4	5
1	Passenger carrying capacity	More than 10 passengers	More than 5 but less than 10 passengers	5 or less passengers
2	Cargo carrying capacity	More than 5 tons	More than 3 tons but less than 5 tons	3 tons or less

49. Basic Minimum Standards for Construction and Safety of Non-Mechanically Propelled Vessels: The basic minimum standards for construction and safety of non-mechanically propelled vessels shall be such as specified in these rules or as may be prescribed from time to time by the Government of Uttar Pradesh and the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority through Gazette notification under Section 94 of the Inland Vessels Act, 2021.

50. Enrolment and Registration

1. The Motor Vehicle Inspector at district level and Assistant Motor Vehicle Inspector at tehsil level shall discharge duties as Enrolment Authorities. Until Assistant Motor Vehicle Inspectors are posted at tehsil level, the Motor Vehicle Inspector posted at district level shall function as Enrolment Authority for all tehsils of the district. In districts where more than one Motor Vehicle Inspector is

http://shipradesh.up.gov.in

posted, the Transport Commissioner, Uttar Pradesh may authorize one Motor Vehicle Inspector to function as Enrolment Authority. Where no Motor Vehicle Inspector is posted in a district, the Transport Commissioner, Uttar Pradesh may authorize a Motor Vehicle Inspector posted in another district or headquarters to act as Enrolment Authority for such district.

2. Enrolment of every non-mechanically propelled vessel operating within the State shall be mandatory.
3. Application for Enrolment shall be made in prescribed Form SR-NM-1 along with the prescribed fee.
4. The following documents shall be submitted for enrolment of a non-mechanically propelled inland vessel:—

(a) identity proof of vessel owner (Voter ID Card or Aadhaar Card or any other document prescribed by the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority).

(b) proof of current address/current residence (Voter ID Card or Aadhaar Card or any other document specified by the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority).

(c) latest passport size photograph of the applicant.

(d) details and photograph of the non-mechanically propelled inland vessel.

(e) capacity details.

(f) ownership certificate of the non-mechanically propelled inland vessel (in case of new vessel, certificate/declaration of vessel manufacturer; in case of purchase from another person/institution, purchase certificate; in case of old vessel, declaration of ownership).

51. Enrolment of Vessel by Enrolment Authority

(a) On receipt of application, for enrolment of a non-mechanically propelled inland vessel, the Enrolment Authority shall scrutinize the application and, if necessary, inspect the non-mechanically propelled inland vessel and issue Enrolment Certificate in Form SR-NM-2.

(b) A unique Enrolment number shall be issued to the non-mechanically propelled inland vessel. The Enrolment number shall consist of twelve characters/digits, wherein the first two letters in English shall be NM (Non-Mechanized), next two letters shall be State Code UP, next two digits shall be district vehicle registration code (for Lucknow, 32) as per Appendix NM-1, next two letters shall be tehsil code (such as SR for Sadar tehsil, MG for Mohanlalganj, BT for Bakshi KaTalab) as per Appendix NM-2, and the last four digits shall be serial number from 0001 to 9999. Thus, for Lucknow district, the first Enrolment number shall be NMUP32SR0001. After serial numbers 0001 to 9999 are exhausted, alphabets A, B, C to Z shall be added after district registration code. After completion from A to Z (excluding I and O), double alphabets such as AA, AB, AC to ZZ shall be used.

(c) The number issued to the non-mechanically propelled inland vessel shall be displayed prominently in clear letters and numerals on a steel/aluminum plate as per prescribed standards so that it remains clearly visible and legible from a distance.

(d) The non-mechanically propelled inland vessel presented for Enrolment shall ensure compliance with standards and safety norms prescribed from time to time by the State Government or Uttar Pradesh Inland Waterways Authority.

(e) The Competent Authority shall maintain details of Enrolment of non-mechanically propelled inland vessels in prescribed Form SR-9.

(f) Non-mechanically propelled inland vessels shall not be operated in such water areas where operation of vessels has been prohibited by the State Government or Uttar Pradesh Inland Waterways Authority.

52. Issue of Duplicate Enrolment Certificate: In case the Enrolment Certificate issued by the Competent Authority is lost, destroyed or mutilated, the owner of the non-mechanically propelled inland vessel shall apply in prescribed Form SR-NM-3 along with prescribed fee under Schedule-1 and submit the torn/mutilated certificate copy or, in case of loss, a copy of the First Information Report. On receipt of such application, the Enrolment Authority, after verification, shall issue a duplicate Enrolment Certificate and record the same in the records/database.

http://sparadesh.up.gov.in

53. Transfer of Vessel Having Enrolment Certificate: Where the owner of a non-mechanically propelled inland vessel having an Enrolment Certificate sells the vessel to another person, the owner shall apply before the Enrolment Authority in prescribed Form SR-NM-4 along with prescribed fee under Schedule-1 and sale deed Form SR-NM-5. Passport size photographs and proof of residence/identity of both purchaser and seller shall also be attached. On receipt of such application, the Competent Authority after verification shall endorse the transfer in the Enrolment Certificate and record it in the records/database.

54. Cancellation of Enrolment Certificate: If the owner of a non-mechanically propelled inland vessel having Enrolment Certificate declares that the vessel is no longer fit for operation or has been discontinued / scrapped, the owner shall apply before the Enrolment Authority in prescribed Form SR-NM-6 along with self-certified declaration Form SR-NM-7. A copy of scrapping certificate shall also be attached. On receipt of such application, the Enrolment Authority after verification shall cancel the Enrolment Certificate and record the same in the records/database.

55. Ghat Management

1. O**peration from designated Ghats**— Transparent arrangements for management of Ghats shall be ensured through the concerned local body/District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee/Development Authority. Responsibility for lease, management, maintenance and safety of ghats shall also rest with the local body/District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee and Development Authority. In case ghats are leased out by local bodies, responsibility for management, maintenance and safety shall lie with the lessee. Owners/operators of non-mechanically propelled inland vessels shall operate only from ghats designated by the concerned local body. In water areas where ghats are not available or designated, the District Water Transport Management and Safety Committee constituted under the chairmanship of District Magistrate shall ensure arrangements for lease/contract. Where funds are available in the district-level Vessel Welfare Fund, such ghats may be managed through the said fund.
2. Responsibilities of Ghat Operator/Lessee:
   The ghat operator/lessee shall ensure that—
   (a) the ghat is safe;
   (b) the ghat is clean;
   (c) proper arrangements exist for boarding /deboarding;
   (d) permanent lighting arrangements exist at night;
   (e) crowd control arrangements are available;
   (f) permanent signboards in Hindi and English are installed on platforms and ghats displaying mandatory safety rules prominently;
   (g) rescue rope, lifebuoy, diver and first-aid facilities are available at every ghat.
3. Instructions for Passengers—
   (a) Wearing of life jacket shall be mandatory.
   (b) Standing travel in non-mechanically propelled inland vessels shall be prohibited.
   (c) Travelling under intoxication shall be prohibited.
   (d) Carrying inflammable or hazardous materials shall be prohibited.

56. Responsibilities of Owners/Operators of Non-Mechanically Propelled Inland Vessels

1. Brief passenger safety information—
   (a) Before every journey, operators shall provide safety information in Hindi along with local/regional language.
   (b) Such briefing shall include major safety procedures, use and location of safety equipment, especially life jackets, passenger capacity, speed limits, navigation rules, smoking prohibition and emergency actions.
2. Enforcement of life jackets—
   (a) All persons onboard shall wear life jackets conforming to prescribed safety standards.

http://shasanadesh.up.gov.in

(b) In emergencies, life jackets shall be of proper size and securely fastened.
(c) Children shall use life jackets designed according to their age and weight.
(d) Lifebuoys with strong rope shall be available according to seating capacity.

3. Compliance with operational restrictions—
(a) Only experienced persons shall operate the vessel.
(b) Operation by minors shall be prohibited.
(c) Night operation shall be permitted only with adequate lighting arrangements.
(d) Operators shall not operate under influence of alcohol or intoxicating drugs.
(e) Operation during adverse weather such as strong winds, storms, heavy rain and low visibility shall remain prohibited. Operation shall be conducted only during safe operational periods.
(f) Operation in restricted water areas shall be prohibited.
(g) Operators shall maintain safe distance from other water users to avoid collision.

4. Safety equipment— Every non-mechanically propelled inland vessel shall mandatorily carry—
(a) life jackets exceeding passenger capacity by 10%;
(b) minimum10 meter rope;
(c) first-aid box;
(d) battery-operated lighting arrangement;
(e) whistle.

5. Maximum load and passenger limit—
(a) Vessel owners/operators shall not carry passengers or load beyond specified limit.
(b) Maximum load/passenger capacity shall be marked on the vessel.

6. Operational readiness— Operators shall conduct daily inspection to ensure that the vessel is fully fit and safe for operation, has no leakage or holes, and that materials used in construction are strong and not broken, damaged or rotten.

57. Emergency Response Vessel

(a) At every location related to tourism activities, fishing, passenger and cargo transportation activities, properly equipped emergency response boats shall be readily available for immediate search and rescue operations.
(b) The required ratio of emergency response vessels to operational vessels shall be 1:10.
(c) At places where less than 10 operational vessels are functioning, at least one non-mechanically propelled inland vessel shall be designated and equipped as emergency response vessel.
(d) District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee shall organize regular training exercises to ensure rescue skill efficiency of emergency response vessel operators.
(e) Suitability and operational efficiency of all emergency response vessels shall be inspected annually to ensure operational readiness and compliance with safety standards.

58. Fire Safety and Crew Training by operator of non-mechanically propelled inland vessel:

Depending upon nature and type of boating equipment, the following measures shall be adopted to prevent fire—
(a) No inflammable material shall be transported and no fire source such as stove etc. shall be used in the vessel.
(b) Emergency plans shall be prepared and practiced regularly.
(c) Fire extinguishing attempts shall be made using bucket or fire extinguisher.
(d) Any burning object shall be safely thrown into water.

59. Insurance of Non-Mechanically Propelled Inland Vessels: The State Government or State Authority may, as required, issue separate instructions in future regarding insurance of non-mechanically propelled inland vessels, their personnel and passengers.

60. Environmental Protection:

http://sbsanadesh.up.gov.in

1. Operators of non-mechanically propelled inland vessel shall collect all solid waste generated on the vessel and dispose it at designated places on shore.
2. All waste water shall be collected, safely stored and responsibly disposed of.
3. Use of paper or cloth bags shall be encouraged instead of polythene bags.
4. Arrangements shall be made for separating recyclable waste from non-recyclable waste.
5. Appropriate measures shall be taken for proper disposal of biodegradable waste so as not to damage the local environment.
6. Signboards displaying "Do Not Litter" shall be installed at visible places for passengers.

61. Accident and Inquiry

1. **Information regarding accident—**In case of accident involving any non-mechanically propelled inland vessel, the owner/operator shall inform the nearest police station and Enrolment Authority.
2. **Inquiry into accident—**In case of serious accident, the District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee constituted under Chapter-16 shall conduct inquiry within 07 days.

62. Offences and Penalties: For the following violations, penalties mentioned in Schedule-03 shall be imposed on owners of non-mechanically propelled inland vessels—

1. Operating vessel without Enrolment.
2. Carrying passengers/cargo beyond capacity.
3. Absence of safety equipment.
4. Operating under intoxication.
5. Operating during prohibited weather/area conditions.

63. Suspension of Enrolment: In case of serious negligence, after issuing 07 days' notice and providing opportunity of hearing, the Enrolment or permission for operation of the non-mechanically propelled inland vessel may be suspended. Suspension period shall not exceed 03 months.

64. Appeal: Any owner aggrieved by the order of the Enrolment Authority or Competent Authority may file appeal before the Appellate Authority within 30 days from date of order in prescribed Form SR-NM-8 along with appeal fee prescribed in Schedule-1. The Appellate Authority shall dispose of the appeal within 15 working days from receipt.

65. Maintenance of Register and Database of Non-Mechanically Propelled Inland Vessels: The Enrolment Authority shall maintain database of all non-mechanically propelled inland vessels operating in rivers/canals/lakes/water reservoirs or any other water body within its jurisdiction on Government of India portal or State Government portal/register and provide monthly information to Uttar Pradesh Inland Waterways Authority, which shall preserve database of all such vessels operating within the State. Such database may be produced before higher authorities whenever required for inspection or any other purpose. Register of Enrolment shall be maintained in Form SR-NM-9.

66. Constitution of Advisory Committee for Safe Operation and Maintenance of Non-Mechanically Propelled Inland Vessels: The committee constituted under Chapter-16 of these rules shall also perform functions relating to safe operation and handling of emergency situations concerning non-mechanically propelled inland vessels.

67. Constitution of Welfare Fund:

There shall be a District Welfare Fund for non-mechanically propelled inland vessels in every district. Accordingly separate bank account may be opened in each district in a nationalized scheduled commercial bank in the name of District Magistrate or Assistant Regional Transport Officer (Administration). This Welfare Fund can receive money through departmental budget, funds of local bodies, Corporate Social Responsibility (CSR), public contributions and other sources. In addition The Development Fund constituted under chapter-12 of these rules shall also be utilized for Welfare Fund Management of Welfare fund shall be done by District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee, which is chaired by District Magistrate and has Assistant Regional Transport Officer (Administration) of the concerned district as member secretary. Meeting of this Welfare Fund shall be held at least once every six months.

http://sbsansthan.up.gov.in

68. Miscellaneous

1. Fees/Penalties: Fees/penalties prescribed under various rules of these regulations shall be payable at rates specified in Schedule-1 and Schedule-2 or as amended by the State Government from time to time.
2. Payment of fees and penalties payable under the Act, Central Rules and these rules shall be made in the bank account of Uttar Pradesh Inland Waterways Authority through UPI, QR Code, Net Banking and other online modes.

Chapter XVI
Miscellaneous

69. Any amendment or modification in these rules in future shall be made by the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority with the approval of the State Government.

70. Constitution of Water Transport Management, Safety and Advisory Committee: – Under Section 99(1) of the Inland Vessels Act, 2021, for safe operation and regulation of mechanically and non-mechanically operated inland vessels and for consideration of various related matters, a District Water Transport Management and Safety Committee under the chairmanship of the District Magistrate in every district and a Divisional Water Transport Management, Safety and Advisory Committee under the chairmanship of the Divisional Commissioner in every division shall be constituted, which shall be as follows:–

(1) District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee

S.No.	Designation of Officer	Position
1	2	3
1	District Magistrate	Chairperson
2	Police Commissioner / Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police	Member
3	Chief Executive Officer/Additional Chief Officer, Zila Panchayat	Member
4	Municipal Commissioner	Member
5	Additional District Magistrate looking after District Disaster Management Committee work	Member
6	Chief Medical Officer	Member
7	Executive Engineer, Irrigation Department	Member
8	Assistant Regional Transport Officer (Administration)	Member Secretary
9	District Tourism Officer	Member
10	District Fire Officer	Member
11	Representatives of any department/expert/association considered appropriate by the Chairperson (may be more than one)	Nominated Member

(a) Primary objectives of the District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee shall be as follows:

(i) To discharge the responsibilities prescribed under Section 99 of the Inland Vessels Act, 2021.

(ii) In emergency situations, in accordance with the directions of the Central Government or State Government, or on its own initiative, it may declare the situation as an emergency and adopt the

http://shasanadesh.up.gov.in

measures prescribed under sub-section 7 and such other practical measures as may be necessary to minimize or deal with such emergency according to the best possible decision.

(iii) In special circumstances, it may seek assistance from the Navy, Coast Guard, any other emergency force or any inland vessel, as may be necessary.

(iv) To provide all necessary and essential basic facilities to persons or vessels affected by emergency situations.

(v) To promote safe operation of inland vessels.

(vi) To monitor the safe operation of inland vessels and prevent possible accidents caused by such vessels.

(vii) To enforce established rules regulating tourism activities, fishing, passenger transport and cargo transport within the district/city.

(viii) To create awareness and organize knowledge dissemination sessions for educating owners, operators and service users regarding necessary improvements for safe navigation.

(ix) To provide assistance or relief during casualties, accidents or such emergency situations.

(x) To discharge the responsibility of daily water transport management.

(xi) Management, and operation of district welfare fund constituted for non-mechanically propelled water vessels, execution and monitoring of expenditure /various works through this fund.

(xii) To perform such other functions as the Committee may consider appropriate.

(xiii) To perform other objectives indicated in these rules.

(b) Meetings and Quorum:

(i) The District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee shall meet every month.

(ii) The meeting of the District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee shall be chaired by the District Magistrate.

(iii) Presence of the Chairperson and Member Secretary along with a minimum of 05 members shall be mandatory in the meeting.

(c) Reporting:

(i) The District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee shall maintain a secure database for recording all inspection activities, collected data, enforcement actions taken and reported incidents related to tourism activities, fishing, passenger transport and cargo transport activities.

(ii) The District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee shall submit a report of every meeting to the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority containing summaries of inspection findings, trends and recommendations, and based on review findings shall recommend improvements in water transport safety plans, regulations and training programs.

(iii) To submit reports to the Central Government or State Government or State Authority regarding incidents, outcomes and measures adopted under sub-section 3, and the effectiveness of such measures in dealing with emergencies.

(d) Roles and Responsibilities

(i) The District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee shall appoint officers for inspection and fortnightly supervision to verify implementation of these rules.

(ii) As required, cameras shall be installed by the Committee at boat ghats to monitor whether passengers are wearing life jackets and complying with seating limits, especially during festivals and holidays.

(iii) The Committee shall conduct surprise inspections every month to ensure that passengers are wearing life jackets. Awareness regarding life safety shall be promoted through local and government organizations. Emergency procedure drills shall be conducted in coordination with local fire and emergency services and such activities shall be publicized through media and social media.

(iv) The officer designated for inspection and fortnightly supervision shall conduct inspection while respecting the rights of vessel owners/operators and exercising due caution. Before inspection, such officer shall disclose his identity and produce identity card if required, and may take photographs or video recordings as evidence during inspection.

http://shipmadesh.up.gov.in

(v) To ensure compliance with navigation rules.

(vi) On various special occasions, the Committee shall organize meetings with inter-departmental bodies such as Tourism Department, Police Department, Fire Department, Coast Guard, Medical Services Department and other related institutions for implementation of safety measures in inland water areas.

(vii) With the cooperation of concerned stakeholders, the Committee shall develop training programmers regarding safety rules, emergency procedures and first aid for tourism activities/passenger transport.

(viii) The District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee shall prepare emergency response plans whenever required for emergency situations.

(2) Divisional Water Transport Management, Safety and Advisory Committee

S.No.	Designation of Officer	Position
1	2	3
1	Divisional Commissioner	Chairperson
2	District Magistrate, as required	Member
3	Inspector General of Police / Deputy Inspector General of Police	Member
4	Additional Director, Health	Member
5	Divisional Chief Engineer, Irrigation Department	Member
6	Regional Transport Officer (Administration)	Member Secretary
7	Divisional Fire Officer	Member
8	Regional Tourism Officer	Member
9	Representatives of any department/expert/association considered appropriate by the Chairperson (may be more than one)	Nominated Member

(a) Primary objectives of the Divisional Water Transport Management, Safety and Advisory Committee shall be as follows:–

(i) To review the functions of the District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee.

(ii) To provide guidance to the District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee from time to time.

(iii) To assess emergency situations and provide assistance to the District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee as far as possible.

(b) Meetings and Quorum:

(i) The Divisional Water Transport Management, Safety and Advisory Committee shall meet once every three months.

(ii) The meeting of the Divisional Water Transport Management, Safety and Advisory Committee shall be chaired by the Divisional Commissioner.

(iii) Presence of the Chairperson and Member Secretary along with minimum 04 members shall be mandatory in the meeting.

71. Saving / Safeguard Clause:

(a) Notwithstanding anything contained in these rules, the provisions of any Act, Rule, Regulation, Notification, Order or Direction issued by the Central Government or State Government from time to time shall prevail, and in case of inconsistency, the provisions of such Act, Rule or Order shall prevail.

http://basmadesh.up.gov.in

(b) Any action taken, permission granted, enrolment, inspection, order or direction issued under these rules shall not be deemed invalid merely on the ground of technical defect or procedural deficiency, if such action has been taken in good faith by the Enrolment/Competent Authority.

(c) Nothing contained in these rules shall be construed to limit or render ineffective the enforcement of any other prevailing law, environmental provisions, public safety, disaster management, police administration or revenue laws.

(d) The State Government or authorized officer shall have the authority to impose additional directions, restrictions or safety measures in public interest, passenger safety, environmental protection, waterway safety or disaster situations as required.

(e) No person shall acquire any ownership or permanent right over waterways, ghats, banks or public property merely by virtue of any permission or registration issued under these rules.

(f) If any provision of these rules is declared invalid or ineffective by a competent court, the remaining provisions shall continue to remain effective.

(g) The State Government shall retain the authority to issue amendments, relaxations or clarifications in these rules from time to time keeping in view administrative requirements, technical advancement, safety standards or public interest.

72. Dispute Resolution Clause:

(a) Any dispute or complaint arising out of enrolment, operation permit, fees, inspection, penalty, suspension, cancellation or any administrative order under these rules shall be decided by the Competent Authority, namely the Assistant Regional Transport Officer (Administration) of the district. Any affected person may file an appeal before the designated Appellate Authority, namely the Regional Transport Officer of the division, within 30 days from the date of receipt of the order.

(b) The Appellate Authority shall pass appropriate orders after examining records and providing an opportunity of hearing to the parties concerned, and such order shall be binding upon the concerned parties.

(c) If the dispute relates to technical, operational or safety standards, the State Government shall take a decision as required on the basis of recommendations of the Expert Committee or District Water Transport Management, Safety and Advisory Committee.

(d) During the dispute resolution process, the Competent Authority may issue interim orders or restrictive directions for maintaining public safety, passenger safety, environmental protection or waterway management.

(e) Jurisdiction over all disputes and legal proceedings under these rules shall lie with the competent courts of the concerned district or State.

(f) Proceedings for dispute resolution under these rules shall be in accordance with the principles of Indian jurisprudence, natural justice and prevailing legal provisions.

73. Difficulties Removal Clause:

(a) If any difficulty arises in effectively implementing the provisions of these rules, the State Government or the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority may, by publishing notification in the Gazette or issuing orders, issue such provisions, directions or clarifications as may be necessary for removing such difficulty, provided that such order is not inconsistent with the basic objectives of these rules or the prevailing Act.

(b) Every order, clarification or direction issued by the State Government or the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority shall be deemed to form an integral part of these rules and shall be binding upon the concerned authorities and stakeholders.

(c) Powers conferred under this clause shall be limited only to matters for which no clear provision exists in these rules or where practical or administrative difficulties arise in implementation.

http://shrsonadesh.up.gov.in

(d) The State Government or the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority may obtain consultation from technical experts, district administration, inland water transport authorities or other related departments as required.

By order,

Amrit Abhijat
Additional Chief Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

Appendix–1

Office of the Designated Authority (D.A.)

S. No.	Designated Authority (D.A.)	Location	Districts (Jurisdiction Area)
1	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Agra	Agra, Mainpuri, Firozabad, Mathura
2	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Aligarh	Aligarh, Etah, Hathras, Kasganj
3	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Ayodhya	Ayodhya, Sultanpur, Barabanki, Ambedkar Nagar, Amethi
4	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Azamgarh	Azamgarh, Mau, Ballia
5	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Banda	Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba
6	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Bareilly	Bareilly, Shahjahanpur, Pilibhit, Badaun
7	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Basti	Basti, Siddharthnagar, SantKabir Nagar
8	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of RegionalTransport Officer, Ghaziabad	Ghaziabad, Bulandshahr, Gautam Buddha Nagar, Hapur
9	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Devipatan–Gonda	Gonda, Balrampur, Bahraich, Shravasti
10	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of RegionalTransport Officer, Gorakhpur	Gorakhpur, Maharajganj, Kushinagar, Deoria
11	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Jhansi	Jhansi, Lalitpur, Orai
12	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Kanpur	Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, Etawah, Farrukhabad, Kannauj
13	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Lucknow	Lucknow, Sitapur, Raebareli, Hardoi, Unnao, LakhimpurKheri
14	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Mirzapur	Mirzapur, Sonbhadra, SantRavidas Nagar (Bhadohi)
15	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Moradabad	Moradabad, Amroha, Rampur, Bijnor, Sambhal
16	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Meerut	Meerut, Baghpat
17	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Prayagraj	Prayagraj, Fatehpur, Pratapgarh, Kaushambi
18	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Saharanpur	Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli
19	Designated Authority (D.A.) for Inland Vessels	Office of Regional Transport Officer, Varanasi	Varanasi, Jaunpur, Ghazipur, Chandauli

http://shipping.up.gov.in

Appendix–2

Port or Offices of Registration and Survey

S. No.	Registration Authority	S. No.	Registration Authority
01	Registrar of Inland Vessels, District Saharanpur	21	Registrar of Inland Vessels, District Sitapur
02	Registrar of Inland Vessels, District Muzaffarnagar	22	Registrar of Inland Vessels, District Unnao
03	Registrar of Inland Vessels, District Bulandshahr	23	Registrar of Inland Vessels, District Amethi
04	Registrar of Inland Vessels, District Ghaziabad	24	Registrar of Inland Vessels, District Hapur
05	Registrar of Inland Vessels, District Meerut	25	Registrar of Inland Vessels, District Sambhal
06	Registrar of Inland Vessels, District Gautam Buddha Nagar	26	Registrar of Inland Vessels, District Bahraich
07	Registrar of Inland Vessels, District Baghpat	27	Registrar of Inland Vessels, District Barabanki
08	Registrar of Inland Vessels, District Shamli	28	Registrar of Inland Vessels, District Ayodhya
09	Registrar of Inland Vessels, District Bijnor	29	Registrar of Inland Vessels, District Gonda
10	Registrar of Inland Vessels, District Moradabad	30	Registrar of Inland Vessels, District Sultanpur
11	Registrar of Inland Vessels, District Rampur	31	Registrar of Inland Vessels, District Ambedkar Nagar
12	Registrar of Inland Vessels, District Amroha	32	Registrar of Inland Vessels, District Shravasti
13	Registrar of Inland Vessels, District Badaun	33	Registrar of Inland Vessels, District Balrampur
14	Registrar of Inland Vessels, District Bareilly	34	Registrar of Inland Vessels, District Azamgarh
15	Registrar of Inland Vessels, District Pilibhit	35	Registrar of Inland Vessels, District Basti
16	Registrar of Inland Vessels, District Shahjahanpur	36	Registrar of Inland Vessels, District Deoria
17	Registrar of Inland Vessels, District Hardoi	37	Registrar of Inland Vessels, District Gorakhpur
18	Registrar of Inland Vessels, District LakhimpurKheri	38	Registrar of Inland Vessels, District Mau
19	Registrar of Inland Vessels, District Lucknow	39	Registrar of Inland Vessels, District Siddharthnagar
20	Registrar of Inland Vessels, District Raebareli	40	Registrar of Inland Vessels, District Maharajganj
41	Registrar of Inland Vessels, District Kushinagar	61	Registrar of Inland Vessels, District Agra
42	Registrar of Inland Vessels, District SantKabir Nagar	62	Registrar of Inland Vessels, District Aligarh

http://shasanadesh.up.gov.in

43	Registrar of Inland Vessels, District Ballia	63	Registrar of Inland Vessels, District Etah
44	Registrar of Inland Vessels, District Ghazipur	64	Registrar of Inland Vessels, District Firozabad
45	Registrar of Inland Vessels, District Jaunpur	65	Registrar of Inland Vessels, District Mainpuri
46	Registrar of Inland Vessels, District Mirzapur	66	Registrar of Inland Vessels, District Mathura
47	Registrar of Inland Vessels, District Sonbhadra	67	Registrar of Inland Vessels, District Hathras
48	Registrar of Inland Vessels, District Varanasi	68	Registrar of Inland Vessels, District Kasganj
49	Registrar of Inland Vessels, District Bhadohi	69	Registrar of Inland Vessels, District Banda
50	Registrar of Inland Vessels, District Chandauli	70	Registrar of Inland Vessels, District Hamirpur
51	Registrar of Inland Vessels, District Prayagraj	71	Registrar of Inland Vessels, District Jalaun
52	Registrar of Inland Vessels, District Fatehpur	72	Registrar of Inland Vessels, District Jhansi
53	Registrar of Inland Vessels, District Pratapgarh	73	Registrar of Inland Vessels, District Lalitpur
54	Registrar of Inland Vessels, District Kaushambi	74	Registrar of Inland Vessels, District Mahoba
55	Registrar of Inland Vessels, District Kannauj	75	Registrar of Inland Vessels, District Chitrakoot
56	Registrar of Inland Vessels, District Etawah		
57	Registrar of Inland Vessels, District Farrukhabad		
58	Registrar of Inland Vessels, District Kanpur Dehat		
59	Registrar of Inland Vessels, District Kanpur Nagar		
60	Registrar of Inland Vessels, District Auraiya		

Appendix–3

S. No.	District Name	Code	S. No.	District Name	Code
01	Saharanpur	UP-11	21	Sitapur	UP-34
02	Muzaffarnagar	UP-12	22	Unnao	UP-35
03	Bulandshahr	UP-13	23	Amethi	UP-36
04	Ghaziabad	UP-14	24	Hapur	UP-37
05	Meerut	UP-15	25	Sambhal	UP-38
06	Gautam Buddha Nagar	UP-16	26	Bahraich	UP-40

http://shasanadesh.up.gov.in

07	Baghpat	UP-17	27	Barabanki	UP-41
08	Shamli	UP-19	28	Ayodhya	UP-42
09	Bijnor	UP-20	29	Gonda	UP-43
10	Moradabad	UP-21	30	Sultanpur	UP-44
11	Rampur	UP-22	31	Ambedkar Nagar	UP-45
12	Amroha	UP-23	32	Shravasti	UP-46
13	Badaun	UP-24	33	Balrampur	UP-47
14	Bareilly	UP-25	34	Azamgarh	UP-50
15	Pilibhit	UP-26	35	Basti	UP-51
16	Shahjahanpur	UP-27	36	Deoria	UP-52
17	Hardoi	UP-30	37	Gorakhpur	UP-53
18	LakhimpurKheri	UP-31	38	Mau	UP-54
19	Lucknow	UP-32	39	Siddharthnagar	UP-55
20	Raebareli	UP-33	40	Maharajganj	UP-56
41	Kushinagar	UP-57	61	Agra	UP-80
42	SantKabir Nagar	UP-58	62	Aligarh	UP-81
43	Ballia	UP-60	63	Etah	UP-82
44	Ghazipur	UP-61	64	Firozabad	UP-83
45	Jaunpur	UP-62	65	Mainpuri	UP-84
46	Mirzapur	UP-63	66	Mathura	UP-85
47	Sonbhadra	UP-64	67	Hathras	UP-86
48	Varanasi	UP-65	68	Kasganj	UP-87
49	Bhadohi	UP-66	69	Banda	UP-90
50	Chandauli	UP-67	70	Hamirpur	UP-91
51	Prayagraj	UP-70	71	Jalaun	UP-92
52	Fatehpur	UP-71	72	Jhansi	UP-93
53	Pratapgarh	UP-72	73	Lalitpur	UP-94
54	Kaushambi	UP-73	74	Mahoba	UP-95
55	Kannauj	UP-74	75	Chitrakoot	UP-96
56	Etawah	UP-75			

http://shasandesh.up.gov.in

57	Farrukhabad	UP-76			
58	Kanpur Dehat	UP-77			

S.R. Form–1

Application for Duplicate Copy of Registration Certificate of an Inland Mechanically Propelled Vessel

To,

The Registering Authority,

Port or Registration Office (Name) _____

I/We _____ resident of _____,

owner(s) of the inland mechanically propelled vessel whose official registration number is _____, state that the Registration Certificate has been lost/destroyed/torn-damaged.

(Delete whichever is not applicable.)

If lost, the details of the First Information Report are as follows:

I/We declare that, to the best of my/our knowledge, the Registration Certificate of the inland mechanically propelled vessel has not been suspended or cancelled under the Act or the rules made thereunder.

The details of the inland mechanically propelled vessel are as follows:

1. Name and full address of the owner _____
2. Name and serial number of the Registration Office (if previously registered) _____
3. Type of inland mechanically propelled vessel, such as name and address of engine manufacturer, horse power, speed and year of manufacture _____
4. Details of Pollution Certificate (certificate number, issuing authority and validity of certificate) _____
5. Details of Insurance Certificate (certificate number, issuing authority and validity of certificate) _____
6. Details of Survey Certificate (certificate number, issuing authority and validity of certificate) _____
7. Mobile number of the owner or master _____
8. E-mail address of the owner or master _____
9. Enclosures _____

(a) Receipt/challan showing payment of fee for the said purpose.

(b) Copy of Pollution Certificate.

(c) Copy of Insurance Certificate of the inland mechanically propelled vessel.

(d) Copy of Survey Certificate.

(e) Details relating to hypothecation; if the inland mechanically propelled vessel is under any hire-purchase/lease agreement, a No Objection Certificate issued by the financier shall be attached.

(f) In case of loss, copy of the First Information Report.

(g) In case of damage, copy of the original torn/damaged Registration Certificate.

(h) In case of destruction, a notarized affidavit on non-judicial stamp paper of Rs.100/- mentioning the place or reason of destruction.

In case the Registration Certificate is lost, I/we declare that if the original Registration Certificate is found, it shall be surrendered to the issuing authority for cancellation.

I/We hereby declare with full knowledge and belief that I/we have not concealed any fact and that the information given above is true.

I/We undertake that I/we shall be personally responsible for any incorrect or false information.

http://shasanadesh.up.gov.in

Date:
Place:

Signature of the Owner of the Inland Mechanically Propelled Vessel
Name and Address

S.R. Form–2

Information Regarding Accident or Other Related Information of an Inland Mechanically Propelled Vessel

[Under Section 74(2) of the Act]

To,
The Designated Authority
…….
I/We hereby submit the following information under Section 74(2) of the Act:
(i) Name of the inland mechanically propelled vessel _____
(ii) Type of inland mechanically propelled vessel
(a) Registered under the Act _____
(b) Registered in a foreign country (name of country) _____
(c) Registered under the Merchant Shipping Act, 1958 _____
(iii) Registration or official number _____
(iv) Registering Authority _____
(v) Name of Registration Office _____
(vi) Details of the occurrence/incident
(a) Date and time of occurrence _____
(b) Place of occurrence _____
(c) Nature and extent of destruction, damage, casualty, accident, explosion or loss _____
(d) Cause and circumstances of the occurrence _____
(e) Details of injured persons _____
(f) Details of deceased persons _____
(g) Details of environmental damage _____
(vii) Steps taken or proposed to be taken to minimize the effects of the occurrence _____
(viii) Details of obstruction
(a) Nature of objects _____
(b) Size of objects _____
(c) Nature of danger to navigation _____
(ix) Date of informing the insurer or its representative _____
(x) Name and address of the insurer _____
(xi) Details of the person giving information
(a) Name _____
(b) Designation _____
(c) Address _____
(d) Name of company/firm/other legal entity _____
(e) Address _____
I/We hereby declare with full knowledge and belief that I/we have not concealed any fact and that the information given above is true.
I/We undertake that I/we shall be personally responsible for any incorrect or false information.
Date:
Place:

Signature of the Owner of the Inland Mechanically Propelled Vessel

http://shasanadesh.up.gov.in

Name and Address

http://shasanadesh.up.gov.in

Schedule–1

Fees for Survey of Inland Mechanically Propelled Vessels

S. No.	Objective	Amount (₹)
1	2	3
1	Fee for initial survey, annual survey, renewal survey, intermediate survey and additional survey of inland mechanically propelled vessels (as per GT)	
1(a)	Up to and including 10 GT	1500
1(b)	Above 10 GT up to 25 GT	2100
1(c)	Above 25 GT up to 50 GT	2500
1(d)	Above 50 GT up to 75 GT	3000
1(e)	Above 75 GT up to 100 GT	3500
1(f)	Above 100 GT up to 200 GT	4500
1(g)	Above 200 GT up to 400 GT	5000
1(h)	Above 400 GT up to 600 GT	6000
1(i)	Every additional 100 GT or part thereof	500
2	Issue of survey certificate (Form 5 or 6)	50% of fee in S. No. 1
3	Provisional survey certificate (Form 4 or 6)	25% of fee in S. No. 1
4	Survey on Sundays and holidays (additional fee)	10% of fee in S. No. 1
5	Survey between 5:30 PM and 9:00 AM (additional fee)	10% of fee in S. No. 1
6	Extension of survey certificate validity up to 60 days	10% of fee in S. No. 1
7	Extension of validity up to 3 months	25% of fee in S. No. 1
8	Extension of validity up to 6 months (dry-dock not available)	50% of fee in S. No. 1
9	Change of vessel name in certificate	25% of fee in S. No. 1
10	Duplicate / certified copy of survey certificate	25% of fee in S. No. 1
11	Appeal against surveyor order	25% of fee in S. No. 1
12	Examination of design plans / drawings / layouts	25% of fee in S. No. 1
13	Inspection of fire-fighting/life-saving equipment etc.	25% per inspection
14	Survey for alteration/modification in certificate	Equal to S. No. 1 fee
15	Recording alteration/modification in certificate	50% of fee in S. No. 1
16	Registration/listing of manufacturer or repairer	5000

http://shasanadesh.up.gov.in

17	Surveyor fee	₹5000 per day + TA/DA (owner borne); ₹1000 extra on holidays
18	Seized vessel custody & maintenance charges	Survey visit ₹3000; storage ₹500/day; security ₹500/shift; terminal safety ₹1000/day
19	Assessor fee	₹1000 + actual TA/DA (Level-12 officers)
20	Pollution Survey Fee	20 % ofsurvey fee for various categories of vessels at serial no 1 of this schedule-1

http://shasanadesh.up.gov.in

Schedule–2

Fees for Registration Certificate (Inland Mechanically Propelled Vessels)

S. No.	Objective	Amount (₹)
1	Fee for approval or renewal of registration certificate of inland mechanically propelled vessels (GT based)	—
1(a)	Up to and including 50 GT	1000
1(b)	Above 50 GT up to 100 GT	2000
1(c)	Above 100 GT up to 200 GT	4000
1(d)	For every additional 100 GT or part thereof	1000
2	Issue of duplicate registration certificate	50% of fee under S. No. 1
3	Issue of temporary registration certificate	25% of fee under S. No. 1
4	Application for amendment / modification in registration certificate	Equal to fee under S. No. 1
5	Transfer of registry	Equal to fee under S. No. 1
6	Transfer of vessel	Equal to fee under S. No. 1
7	Appeal against order of Registrar	25% of fee under S. No. 1
8	Registration of vessel already registered under Merchant Shipping Act, 1958	25% of fee under S. No. 1

http://shasanadesh.up.gov.in

SCHEDULE NM-1

Fees for Enrolment, Transfer and Duplicate Copy of Non-Mechanical Inland Vessel

S.No.	Description	Fee (₹)
1	Issuance of Enrolment certificate	50/-
2	Issuance of duplicate Enrolment certificate	50/-
3	Transfer of Enrolment certificate	50/-
4	Appeal against order of Enrolment/competent authority	50/-

Note: The above rates may be revised from time to time by the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority with approval of the Board.

http://shasanadesh.up.gov.in

SCHEDULE NM-2

Offences and Penalties for Non-Mechanical Inland Vessel

S.No.	Description	Penalty (₹)
1	Operation of non-mechanical inland vessel without Enrolment	1000/-
2	Carrying passengers beyond capacity	50/- per passenger (Max 500/-)
3	Carrying goods beyond capacity	200/-
4	Absence of safety equipment	200/-
5	Operation of vessel under intoxication	500/-
6	Operation during prohibited weather	500/-
7	Tampering with name plate of vessel	200/-
8	Operation in restricted area	200/-
9	Failure to wear life jacket by passengers	50/- per passenger (Max 500/-)

Note: The above prescribed rates may be revised from time to time by the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority, subject to approval of the Authority Board.

http://shasanadesh.up.gov.in

FORM SR-NM-1

(See Rule 8(b))

Application for Enrolment of Non-Mechanical Inland Vessel

To,

The Enrolment Authority

……..

Under Rule 8(b) of the Uttar Pradesh Non-Mechanical Inland Vessel Rules, 2026, Enrolment of non-mechanical inland vessels is mandatory for their operation. Therefore, I request that the Enrolment of the applicant's non-mechanical inland vessel be carried out after depositing the prescribed fee.

The details of the non-mechanical inland vessel are as follows:

1. Name of owner/operator
2. Full address of owner/operator
3. Mobile number
4. Email ID
5. Occupation/Business
6. Year of construction / keel laying year of the vessel
7. Design details of the vessel (if classified)
8. Overall length of the vessel
9. Maximum width of the vessel
10. Depth of the vessel at mid deck
11. Name and address of the builder, including place and year of construction (in case of new vessel)
12. Builder certificate/declaration (for new vessel)
13. Sale deed (for second-hand vessel)
14. Mortgage details
15. Ownership declaration certificate (for old vessel)
16. Fee payment proof (challan receipt)

Place:_____

Date: _____

Signature of Vessel Owner

Name of Owner: _____

http://shasanadesh.up.gov.in

FORM SR-NM-2

(See Rule 9(a))

Enrolment Certificate of Non-Mechanical Inland Vessel

Enrolment Certificate No.: _____

Date of Issue: _____

Place of Issue: _____

Name of Vessel Owner: _____

Full Address of Vessel Owner: _____

Vessel Details

Type of Vessel (Passenger/Cargo): _____

Gross Tonnage: _____

Registered Tonnage: _____

Passenger Carrying Capacity: _____

Vessel Specifications

Overall Length: _____

Maximum Width: _____

Depth at Mid Deck: _____

Builder Name and Address: _____

Year of Construction / Keel Laying: _____

Hull Material (Wood/Steel etc.): _____

Number of Decks: _____

Signature of Enrolment Authority

Date: _____

http://shasanadesh.up.gov.in

FORM SR-NM-3

(See Rule 10)

Intimation of Loss, Damage or Defacement of Enrolment Certificate of Non-Mechanical Inland Vessel and Application for Duplicate Copy

To,

The Enrolment Authority

……

I, _____ son/daughter/wife of _____, resident of _____, am the owner of a non-mechanical inland vessel bearing Enrolment Number _____.

I hereby state that the Enrolment Certificate of my non-mechanical inland vessel has been lost / damaged / defaced (strike off whichever is not applicable).

I further declare that to the best of my knowledge, the certificate has neither been suspended nor cancelled under any provision of the Act or the Rules made thereunder.

I am enclosing a fee of ₹ _____ and hereby apply for issuance of a duplicate Enrolment certificate.

Place:_____

Date: _____

Signature of Vessel Owner

Name of Owner: _____

http://shasanadesh.up.gov.in

FORM SR-NM-4

(See Rule 11)

Application for Transfer of Enrolment Certificate of Non-Mechanical Inland Vessel

To,

The Enrolment Authority

……

I, _____ son/daughter/wife of _____, resident of _____, am the owner of a non-mechanical inland vessel bearing Enrolment Number _____.

I hereby request that the said vessel be transferred in the name of Shri _____ son of Shri _____ resident of _____.

Place: _____

Date: _____

Signature of Transferor (Owner/Seller)

Name: _____

I, _____ son/daughter/wife of _____, resident of _____, have purchased the above-mentioned non-mechanical inland vessel bearing Enrolment Number _____ from Shri _____ son of Shri _____ resident of _____.

I am enclosing proof of payment of transfer fee of ₹ _____ along with treasury challan. Kindly approve transfer of the said vessel in my name.

Place:_____

Date: _____

Signature of Transferee (Buyer)

Name: _____

Witnesses:

1.
2.

http://shasanadesh.up.gov.in

FORM SR-NM-5

(See Rule 11)

Bill of Sale

I/We, _____ son/daughter/wife of _____, resident of _____, owner of non-mechanical inland vessel bearing Enrolment Number _____, hereby sell the said vessel to Shri _____ son/daughter/wife of _____, resident of _____, and have received full consideration amount for the same.

Details of Sold Vessel:

1. Enrolment Number of Vessel
2. Place of Registration (District/Tehsil)
3. Length of Vessel
4. Width of Vessel
5. Depth of Vessel
6. Gross Tonnage
7. Registered Tonnage
8. Passenger Carrying Capacity

I further declare that the vessel is free from all liabilities and encumbrances.

Signature of Seller (Owner): _____

Name: _____

Signature of Buyer: _____

Name: _____

Witnesses:

1.
2.

Note: This deed shall be executed on a stamp paper of ₹100.

http://shasanadesh.up.gov.in

FORM SR-NM-6

(See Rule 12)

Application for Cancellation of Enrolment Certificate of Non-Mechanical Inland Vessel

To,

The Enrolment Authority

…….

I, _____ son/daughter/wife of _____, resident of _____, am the owner of a non-mechanical inland vessel bearing Enrolment Number _____.

I state that my vessel has become unfit for operation / has been destroyed.

Therefore, I request that the Enrolment certificate of my non-mechanical inland vessel bearing Enrolment Number _____ may kindly be cancelled.

I further declare that no case or legal proceeding is pending against my vessel.

I am enclosing the original Enrolment certificate along with this application.

Place: _____

Date: _____

Signature of Vessel Owner

Name: _____

http://shasanadesh.up.gov.in

FORM SR-NM-7

(See Rule 12)

Declaration for Cancellation of Enrolment Certificate of Non-Mechanical Inland Vessel

To,

The Enrolment Authority

……..

DECLARATION

I, _____ son/daughter/wife of _____, resident of _____, hereby declare that I am the owner of a non-mechanical inland vessel bearing Enrolment Number _____.

I further declare that the vessel has become unfit for operation / has been destroyed and has been scrapped/disposed of by me. The vessel no longer exists.

I also declare that no case or legal proceeding is pending against the said vessel.

All the information provided above is true and correct. If any information is found false, I shall be fully responsible.

Place:_____

Date: _____

Signature of Vessel Owner

Name: _____

http://shasanadesh.up.gov.in

FORM SR-NM-8

(See Rule 22)

Appeal Against Order of Enrolment / Competent Authority

To,

Appellate Authority / Regional Transport Officer (Administration)

……

I, _____ son/daughter/wife of _____, resident of _____, am the owner of a non-mechanical inland vessel bearing Enrolment Number _____.

I am aggrieved by the order passed by the Enrolment / Competent Authority dated _____ in respect of the said vessel and hereby file this appeal under Rule 22 of the Uttar Pradesh Non-Mechanical Inland Vessel Rules, 2026.

The prescribed fee of ₹100 as per Schedule-1 for filing this appeal is enclosed herewith.

Place:_____

Date: _____

Signature of Appellant

Name: _____

http://shasanadesh.up.gov.in

Form SR NM-9

(See Rule 23)

Register of Enrolment of Non-Mechanical Inland Vessels

Register Number: ----------

Enrolment Number: ----------

Date of Enrolment: ----------

Place of Enrolment: ----------

Name of Owner: ----------

Full Address of Owner: ----------

Details of Vessel

Passenger/Cargo Vessel: ----------

Gross Tonnage: ----------

Registered Tonnage: ----------

Passenger Carrying Capacity: ----------

Specifications

Overall Length: ----------

Maximum Width: ----------

Depth in Mid Deck: ----------

Name & Address of Builder: ----------

Year of Construction/Laying Keel: ----------

Material of Hull (Wood/Steel etc.): ----------

Number of Decks: ----------

Signature of Registration Authority

Date: ----------

http://shasanadesh.up.gov.in

Appendix NM-1
District-wise List with Codes

No.	District Name	Code	No.	District Name	Code
01	Saharanpur	UP-11	21	Sitapur	UP-34
02	Muzaffarnagar	UP-12	22	Unnao	UP-35
03	Bulandshahr	UP-13	23	Amethi	UP-36
04	Ghaziabad	UP-14	24	Hapur	UP-37
05	Meerut	UP-15	25	Sambhal	UP-38
06	GautamBuddh Nagar	UP-16	26	Bahraich	UP-40
07	Baghpat	UP-17	27	Barabanki	UP-41
08	Shamli	UP-19	28	Ayodhya	UP-42
09	Bijnor	UP-20	29	Gonda	UP-43
10	Moradabad	UP-21	30	Sultanpur	UP-44
11	Rampur	UP-22	31	Ambedkar Nagar	UP-45
12	Amroha	UP-23	32	Shravasti	UP-46
13	Budaun	UP-24	33	Balrampur	UP-47
14	Bareilly	UP-25	34	Azamgarh	UP-50
15	Pilibhit	UP-26	35	Basti	UP-51
16	Shahjahanpur	UP-27	36	Deoria	UP-52
17	Hardoi	UP-30	37	Gorakhpur	UP-53
18	LakhimpurKheri	UP-31	38	Mau	UP-54
19	Lucknow	UP-32	39	Siddharthnagar	UP-55
20	Raebareli	UP-33	40	Maharajganj	UP-56
41	Kushinagar	UP-57	61	Agra	UP-80
42	SantKabir Nagar	UP-58	62	Aligarh	UP-81
43	Ballia	UP-60	63	Etah	UP-82
44	Ghazipur	UP-61	64	Firozabad	UP-83
45	Jaunpur	UP-62	65	Mainpuri	UP-84
46	Mirzapur	UP-63	66	Mathura	UP-85
47	Sonbhadra	UP-64	67	Hathras	UP-86
48	Varanasi	UP-65	68	Kasganj	UP-87

http://shasanadesh.up.gov.in

49	Bhadohi	UP-66	69	Banda	UP-90
50	Chandauli	UP-67	70	Hamirpur	UP-91
51	Prayagraj	UP-70	71	Jalaun	UP-92
52	Fatehpur	UP-71	72	Jhansi	UP-93
53	Pratapgarh	UP-72	73	Lalitpur	UP-94
54	Kaushambi	UP-73	74	Mahoba	UP-95
55	Kannauj	UP-74	75	Chitrakoot	UP-96
56	Etawah	UP-75			
57	Farrukhabad	UP-76			
58	Kanpur Dehat	UP-77			
59	Kanpur Nagar	UP-78			
60	Auraiya	UP-79			

http://shasanadesh.up.gov.in

Appendix NM-2

District-wise List of Tehsils

S. No.	District	Code	Tehsils	Codes
01	Saharanpur	UP-11	1. Saharanpur (Sadar) 2. Behat 3. Nakur 4. Deoband 5. Rampur Maniharan	SR JN KT BD BD
02	Muzaffarnagar	UP-12	1. Sadar 2. Jansath 3. Khatauli 4. Budhana	SR JN KT BD
03	Bulandshahr	UP-13	1. Bulandshahr (Sadar) 2. Sikandrabad 3. Syana 4. Anupshahr 5. Dibai 6. Shikarpur 7. Khurja	SR SK SY AN DB SK KJ
04	Ghaziabad	UP-14	1. Ghaziabad 2. Modinagar 3. Loni	SR MD LN
05	Meerut	UP-15	1. Meerut 2. Mawana 3. Sardhana	SR MV SR
06	Gautam Buddha Nagar	UP-16	1. Sadar 2. Dadri 3. Jewar	SR DD JV
07	Baghpat	UP-17	1. Baghpat 2. Baraut 3. Khekra	SR BD KH
08	Shamli	UP-19	1. Shamli 2. Kairana 3. Un	SR KR UN
09	Bijnor	UP-20	1. Bijnor 2. Chandpur 3. Dhampur 4. Nagina 5. Najibabad	SR CD DM NG NJ
10	Moradabad	UP-21	1. Moradabad 2. Bilari 3. Kanth 4. Thakurdwara	SR BL KT TK
11	Rampur	UP-22	1. Sadar 2. Bilaspur 3. Milak	SR BL ML

http://shasanadesh.up.gov.in

			4. Shahabad 5. Swar 6. Tanda	SH SV TD
12	Amroha	UP-23	1. Amroha 2. Hasanpur 3. Dhanaura 4. Naugawan Sadat	SR HS DN NG
13	Badaun	UP-24	1. Badaun (Sadar) 2. Bisauli 3. Bilsi 4. Dataganj 5. Sahaswan	SR BS BI DT SH
14	Bareilly	UP-25	1. Aonla 2. Baheri 3. Bareilly 4. Faridpur 5. Meerganj 6. Nawabganj	AN BH SR FR MR NW
15	Pilibhit	UP-26	1. Pilibhit 2. Bisalpur 3. Puranpur 4. Kalinagar 5. Amaria	SR BS PR KL AM
16	Shahjahanpur	UP-27	1. Sadar 2. Powayan 3. Tilhar 4. Jalalabad 5. Kalan	SR PV TL JL KL
17	Hardoi	UP-30	1. Hardoi 2. Shahabad 3. Sawayajpur 4. Bilgram 5. Sandila	SR SH SV BL SN
18	LakhimpurKheri	UP-31	1. Lakhimpur 2. Mohammadi 3. Gola 4. Nighasan 5. Dhaurahara 6. Palia 7. Mitauli	SR MH GL NG DR PL MT
19	Lucknow	UP-32	1. Sadar 2. Sarojini Nagar 3. BakshiKaTalab 4. Malihabad 5. Mohanlalganj	SR SR BK ML MH
20	Raebareli	UP-33	1. Raebareli 2. Salon	SR SL

http://shasanadesh.up.gov.in

			3. Lalganj 4. Dalmau 5. Unchahar 6. Maharajganj	LL DL UC MH
21	Sitapur	UP-34	1.Sitapur 2.Mishrikh 3. Maholi 4.Mahmoodabad 5. Biswan 6. Sidhauli 7. Laharpur	SR MS MH MM BS SD LH
22	Unnao	UP-35	1. Unnao 2. Safipur 3. Hasanganj 4. Purwa 5. Bighapur 6. Bangarmau	SR SF HS PR BS BG
23	Amethi	UP-36	1. Gauriganj 2. Amethi 3. Musafirkhana 4. Tiloi	GR SR MS TL
24	Hapur	UP-37	1. Hapur 2. Garhmukteshwar 3. Dhaulana	SR GD DH
25	Sambhal	UP-38	1. Sambhal 2. Chandausi 3. Gunnaur	SR CD GN
26	Bahraich	UP-40	1. Payagpur 2. Nanpara 3. Motipur 4. Mahsi 5. Bahraich 6. Kaiserganj	PY NN MT MH SR KS
27	Barabanki	UP-41	1. Nawabganj 2. Fatehpur 3. RamsanehiGhat 4. Haidergarh 5. Ramnagar 6. SirauliGauspur	SR FT RG HD RM SG
28	Ayodhya	UP-42	1. Sadar 2. Sohawal 3. Bikapur 4. Milkipur 5. Rudauli	SR SH BK ML RD
29	Gonda	UP-43	1. Colonelganj 2. Gonda	KR SR

http://shasanadesh.up.gov.in

			3. Mankapur 4. Tarabganj	MN TR
30	Sultanpur	UP-44	1. Sadar 2. Jaisinghpur 3. Lambhua 4. Kadipur 5. Baldirai	SR JS LM KD BL
31	Ambedkarnagar	UP-45	1. Akbarpur 2. Tanda 3. Bhiti 4. Jalalpur 5. Alapur	SR TD BT JL AL
32	Shravasti	UP-46	1. Bhinga 2. Ikauna 3. Jamunaha	SR EK JM
33	Balrampur	UP-47	1. Balrampur 2. Tulsipur 3. Utraula	SR TL UT
34	Azamgarh	UP-50	1. Lalganj 2. Sadar 3. Sagri 4. Mehnagar 5. Budhanpur 6. Nizamabad 7. Martinganj 8. Phulpur	LL SR SG MH BD NJ MR PL
35	Ballia	UP-51	1. Sadar 2. Harraiya 3. Bansdih 4. Rasra	SR HR BN RD
36	Deoria	UP-52	1. Sadar 2. Salempur 3. Rudrapur 4. Barhaj 5. Bhatpar Rani	SR SL RD BR BH
37	Gorakhpur	UP-53	1. Sadar 2. Campierganj 3.Bansgaon 4. Khajni 5. ChauriChaura 6. Sahjanwa 7. Gola	SR KM BS KJ CH SH GL
38	Mau	UP-54	1. Mau 2. Muhammadabad Gohna 3. Ghosi 4. Madhuban	SR MG GS MD
39	Siddharthnagar	UP-55	1. Naugarh	BS

http://shasanadesh.up.gov.in

			2. Bansi	BS
			3. Dumariyaganj	DM
			4. Itwa	ET
			5. Shohratgarh	SH
40	Maharajganj	UP-56	1. Maharajganj (Sadar)	SR
			2. Pharenda	FR
			3. Nichlaul	NC
			4. Nautanwa	NT
41	Kushinagar	UP-57	1. Padrauna	SR
			2. Kasia	KS
			3. Hata	HT
			4. Tamkuhiraj	TM
			5. Kaptainganj	KP
			6. Khadda	KD
42	SantKabir Nagar	UP-58	1. Khalilabad	SR
			2. Mehdawal	MH
			3. Dhanghata	GH
43	Ballia	UP-60	1. Ballia (Sadar)	SR
			2. Belthara Road	BL
			3. Bansdih	BS
			4. Rasra	RS
			5. Sikandarpur	SK
			6. Bairia	BR
44	Ghazipur	UP-61	1. Sadar	SR
			2. Jakhania	JM
			3. Zamania	JK
			4. Mohammadabad	MH
			5. Saidpur	SD
			6. Kasimabad	KS
			7. Seorai	SV
45	Jaunpur	UP-62	1. Jaunpur (Sadar)	SR
			2.Badlapur	BD
			3. Kerakat	KR
			4. Machhlishahr	MC
			5. Mariahu	MR
			6. Shahganj	SH
46	Mirzapur	UP-63	1. Mirzapur (Sadar)	SR
			2. Chunar	CN
			3. Marihan	MR
			4. Lalganj	LL
47	Sonbhadra	UP-64	1. Robertsganj	SR
			2. Ghorawal	GR
			3. Dudhi	DD
			4. Obra	OB
48	Varanasi	UP-65	1. Varanasi (Sadar)	SR
			2. Pindra	GR
			3. Rajatalab	DD

http://shasanadesh.up.gov.in

49	Bhadohi	UP-66	1. Bhadohi 2. Aurai 3. Gyanpur	SR AU GN
50	Chandauli	UP-67	1. ChandauliSadar 2. Sakaldiha 3. Chakia 4. Mughalsarai 5. Naugarh	SR SK CK MG NG
51	Prayagraj	UP-70	1. Karchhana 2. Koraon 3. Phulpur 4. Bara 5. Meja 6. Sadar 7. Soraon 8. Handia	KR KV PF BR MJ SR SV HD
52	Fatehpur	UP-71	1. Fatehpur 2. Bindki 3. Khaga	SR BN KH
53	Pratapgarh	UP-72	1. Raniganj 2. Sadar 3. Kunda 4. Lalganj 5. Patti	RN SR KD LL PT
54	Kaushambi	UP-73	1. Manjhanpur 2. Sirathu 3. Chail	SR ST CH
55	Kannauj	UP-74	1. Kannauj 2. Chhibramau 3. Tirwa 4. Haseran	SR CB TR HS
56	Etawah	UP-75	1. Etawah 2. Bharthana 3. Jaswantnagar 4. Saifai 5. Chakarnagar 6. Takha	SR BR JS SF CR TK
57	Farrukhabad	UP-76	1. Farrukhabad 2. Kaimganj 3. Amritpur	SR KM AM
58	Kanpur Dehat	UP-77	1. Akbarpur 2. Bhognipur 3. Derapur 4. Rasulabad 5. Maitha 6. Sikandra	SR BG DR RS MT SK
59	Kanpur Nagar	UP-78	1. Kanpur Nagar	SR

http://shasanadesh.up.gov.in

			2. Bilhaur 3. Ghatampur 4. Narwal	BL GT NR
60	Auraiya	UP-79	1. Auraiya 2. Bidhuna 3. Ajitmal	SR BL GT
61	Agra	UP-80	1. Agra 2. Fatehabad 3. Kirawali 4. Kheragarh 5. Bah 6. Etmadpur	SR FT KR KG BH ET
62	Aligarh	UP-81	1. Koil 2. Atrauli 3. Khair 4. Iglas 5. Gabhana	KL AT KR EG GB
63	Etah	UP-82	1. Etah 2. Aliganj 3. Jalesar	SR AL JL
64	Firozabad	UP-83	1. Firozabad 2. Shikohabad 3. Tundla 4. Jasrana 5. Sirsaganj	SR SK TD JS SR
65	Mainpuri	UP-84	1. Mainpuri 2. Karhal 3. Kishni 4. Kurawali 5. Ghiror 6. Bhongaon	SR KR KS KR GH BG
66	Mathura	UP-85	1. Mathura 2. Mahavan 3. Chhata 4. Mant 5. Govardhan	SR MH CT MT GV
67	Hathras	UP-86	1. Hathras 2. Sadabad 3. SikandraRao 4. Sasni	SR SD SK SS
68	Kasganj	UP-87	1. Kasganj 2. Patiyali 3. Sahawar	SR PT SH
69	Banda	UP-90	1. Banda 2. Pailani 3. Baberu 4. Atarra	SR PL BB AT

http://shasanadesh.up.gov.in

			5. Naraini	NR
70	Hamirpur	UP-91	1. Hamirpur 2. Maudaha 3. Rath 4. Sarila	SR MD RT SR
71	Jalaun	UP-92	1. Jalaun 2. Konch 3. Orai 4. Madhogarh 5. Kalpi	JL KC UR MD KL
72	Jhansi	UP-93	1. Jhansi 2. Mauranipur 3. Moth 4. Tahrauli 5. Garautha	SR MR MT TH GR
73	Lalitpur	UP-94	1. Lalitpur 2. Talbehat 3. Mahroni 4. Madawara 5. Pali	SR TB MH MD PL
74	Mahoba	UP-95	1. Mahoba 2. Charkhari 3. Kulpahar	SR CH KL
75	Chitrakoot	UP-96	1. Karwi 2. Mau 3. Manikpur 4. Rajapur	SR MU MN RJ

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-11/2026/1033/(1)/तीस-4-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 30 अक्टूबर, 2026 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 150 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के०पी० सिंह
विशेष सचिव

संख्या-11/2026/1033/(2)/तीस-4-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के०पी० सिंह
विशेष सचिव

संख्या-11/2026/1033(3)/तीस-4-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, कैसरबाग, लखनऊ।
6- अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश।
7- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8- विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
अनु सचिव।

https://upgsadesh.up.gov.in